लोक-सभा वाद-विवाद
का
संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION OF 3rd LOK SABHA DEBATES

तृतीय माला

Third Series

खण्ड ३०, १९६४/१८८६ (शक)

Volume XXX, 1964 / 1886 (Saka)

[१५ से २८ अप्रैल, १९६४/२६ चैत्र से ८ वैशाख, १८८६ (शक)]

15th to 28th April, 1964/ Chaitra 26 to Vaisakha 8, 1886 (Saka)

Preservation Unit
Fumigated
Parliament Library

सातवां सत्र, १९६४/१८८६ (शक)

Seventh Session, 1964/1886 (Saka)

(खण्ड ३० में अंक ५१ से ६० तक हैं)

(Volume XXX contains Nos. 51 to 60)

Gazettes & Debates Unit
Parliament Library Building
Room No. FB-025
Block 'G'

लोक-सभा सचिवालय,
नई दिल्ली

LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

[यह लोक-सभा वाद-विवाद का संक्षिप्त अनूदित संस्करण है और इस में अंग्रेजी / हिन्दी में दिये गये भाषणों आदि का हिन्दी/अंग्रेजी में अनुवाद है।

This is translated version in a summary form of Lok Sabha Debates and contains Hindi/English translation of speeches etc. in English/Hindi.]

विषय-सूची

[तृतीय माला, खंड ३०—सातवां सत्र, १९६४]

अंक ५६—बुधवार, २२ अप्रैल, १९६४/२ वैशाख, १८८६ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

***तारांकित**

प्रश्न संख्या	विषय	पृष्ठ
११३०	पहाड़ी क्षेत्रों के लिये विश्वविद्यालय . . .	४२७९—८२
११३१	अलिया बेट द्वीप में खुदाई . . .	४२८२
११३२	तटदूर खुदाई	४२८२—८४
११३५	अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारियों का आचरण .	४२८४—८७
११३६	राजस्थान में पाकिस्तानियों का अवैध प्रवेश .	४२८८—९१
११३७	शारीरिक शिक्षा संबंधी कुंजरू समिति का प्रतिवेदन .	४२९१—९२
११४१	असिस्टेंटों के लिये सैलेक्शन ग्रेड . . .	४२९२—९३
११४२	दिल्ली में मिडिल स्कूल परीक्षायें . .	४२९४—९५
११४४	शिक्षा नीति के निर्धारण में अध्यापकों का योग . .	४२९५—९७
११४५	औद्योगिक प्रबन्ध "पूल" . . .	४२९७—९९
११४७	राज्य शिक्षा मंत्रियों का सम्मेलन . . .	४२९९—४३०१
११४८	जम्मू तथा काश्मीर में विस्फोट . .	४३०१—०२

प्रश्नों के लिखित उत्तर

तारांकित

प्रश्न संख्या	विषय	पृष्ठ
११३३	रूरकेला उर्वरक कारखाना	४३०३
११३४	जम्मू सीमा क्षेत्रों से परिवारों का हटाया जाना . .	४३०३
११३८	अम्बाला जेल में एक संसद्-सदस्य के साथ दुर्व्यवहार	४३०३—०४
११३९	बाल अपराध	४३०४
११४०	उत्तर प्रदेश-बिहार सीमा विवाद . . .	४३०४
११४३	सस्ती ब्रिटिश पाठ्य पुस्तकें	४३०४—०५
११४६	पाकिस्तानी रेडियो का प्रसारण	४३०५
११४९	जैसलमेर में तेल	४३०५
११५०	नया विश्वविद्यालय	४३०५—०६
११५१	चिट फंड कम्पनियों द्वारा धोखाधड़ी . . .	४३०६

*किसी नाम पर अंकित यह + चिह्न इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उसी सदस्य ने वास्तव में पूछा था।

CONTENTS

[Third Series, Vol. XXX—Seventh Session, 1964]

No. 56—Wednesday, April 22, 1964/Vaisakha 2, 1886 (Saka)

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

*Starred Questions Nos.	Subject	Pages
1130	University for Hill Areas	4279—82
1131	Drilling at Aliabet Island	4282
1132	Off-Shore Drilling	4282—84
1135	Conduct of All India Service Personnel	4284—87
1136	Infiltration of Pakistanis in Rajasthan	4288—91
1137	Report of Kunzru Committee on Physical Education	4291-92
1141	Selection Grade for Assistants	4292-93
1142	Middle School Examination in Delhi	4294-95
1144	Teachers' Say on Educational Policy	4295—97
1145	Industrial Management Pool	4297—99
1147	State Education Ministers' Conference	4299—4301
1148	Explosions in Jammu and Kashmir	4301-02

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

Starred Questions Nos.		
1133	Rourkela Fertilizer Factory	4303
1134	Evacuation from Jammu Border Areas	4303
1138	Maltreatment of an M.P. in Ambala Jail	4303—04
1139	Juvenile Delinquency	4304
1140	U. P.-Bihar Border Dispute	4304
1143	Cheap British Text-books	4304—05
1146	Pakistan Radio Broadcasts	4305
1149	Oil in Jaisalmer	3405
1150	New Universities	4305—06
1151	Cheating by Chit Fund Companies	4306

*The sign+marked above the name of a Member indicates that the Question was actually asked on the floor of the House by that Member.

अतारांकित प्रश्न संख्या	विषय	पृष्ठ
२३५१	विश्वविद्यालयों का व्यय	४३०६
२३५२	समान प्रवेश आवश्यकतायें . .	४३०६—०७
२३५३	अन्तर्विश्वविद्यालय बोर्ड की बैठक . . .	४३०७
२३५४	सरकारी शारीरिक शिक्षा कालिज, जोधपुर का डिप्लोमा	४३०७
२३५५	बिहार की शिक्षा योजनायें . . .	४३०७—०८
२३५६	दिल्ली में पोलीटेक्नीक . . .	४३०८
२३५७	दिल्ली के स्कूल अध्यापकों के लिए त्रि-लाभ योजना	४३०८—०९
२३५८	दिल्ली में सेवा निवृत्त स्कूल-अध्यापक . .	४३०९
२३५९	नवागांव में नये परीक्षण कूप .	४३०९
२३६०	गैर-सरकारी स्कूलों में अध्यापक	४३१०
२३६१	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्था, कानपुर .	४३१०
२३६२	उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जातियों का कल्याण	४३१०
२३६३	उत्तर प्रदेश में विश्वविद्यालयों को सहायता .	४३१०—११
२३६४	उत्तर प्रदेश को सांस्कृतिक अनुदान	४३११
२३६५	मैट्रिक के बाद की छात्रवृत्तियां . .	४३११—१२
२३६६	दून घाटी में तेल के निक्षेप	४३१२
२३६७	अध्यापकों को पुरस्कार .	४३१२
२३६८	पोर्ट ब्लेयर में वार्डों का परिसीमन .	४३१३
२३६९	गोम्रा में उर्वरक कारखाना	४३१३
२३७०	वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसन्धान परिषद्	४३१३—१४
२३७१	सेन्ट्रल जेल में विदेशी राष्ट्रजन . .	४३१४
२३७२	सहायकों की वरिष्ठता . . .	४३१४
२३७३	देहरादून में पाया गया बम . . .	४३१५
२३७४	विभागीय उपाहार-गृह . .	४३१५
२३७५	अखिल भारतीय सेवा पदाधिकारी . . .	४३१५—१६
२३७६	विदेशी मुद्रा विनियमों का उल्लंघन . .	४३१६
२३७७	इलैक्ट्रोलागिंग यूनिट	४३१७
२३७८	उड़ीसा में मैट्रिक से पहले की छात्रवृत्तियां	४३१७
२३७९	महाराष्ट्र के आदिवासी	४३१७—१८
२३८०	लड़कियों के लिये पोलिटेक्नीक . . .	४३१८
२३८१	हरिजनों का कल्याण	४३१८
२३८२	दिल्ली में भवन निर्माण समितियां . . .	४३१९
२३८३	हजरतबल के पवित्र बाल की चोरी के मामले के लिये न्यायाधीश	४३१९
२३८४	अमोनियम क्लोराइड उर्वरक	४३१९—२०
२३८५	अन्दमान और निकोबार द्वीप समूह के लिये मंत्रणा समितियां	४३२०

Unstarred Questions Nos.	Subject	Page
2351	Expenditure of Universities	4306
2352	Uniform Entrance Requirements	4306-07
2353	Inter-University Board Meeting	4307
2354	Diploma of Government College of Physical Education, Jodhpur	4307
2355	Education Plans of Bihar	4307-08
2356	Polytechnics in Delhi	4308
2357	Triple Benefit Scheme for Delhi School Teachers	4308-09
2358	Retired Delhi School Teachers	4309
2359	New Test Wells in Navagaon	4309
2360	Teachers in Private Schools	4310
2361	Indian Institute of Technology, Kanpur	4310
2362	Welfare of Scheduled Castes in U. P.	4310
2363	Aid to Universities in U. P.	4310-11
2364	Cultural Grants to U. P.	4311
2365	Post-Matric Scholarships	4311-12
2366	Oil Deposits in Doon Valley	4312
2367	Awards to Teachers	4312
2368	Delimitation of Wards of Port Blair	4313
2369	Fertilizer Factory, Goa	4313
2370	C. S. and I. R.	4313-14
2371	Foreign Nationals in Central Jail	4314
2372	Seniority of Assistants	4314
2373	Bomb found at Dehra Dun	4315
2374	Departmental Canteens	4315
2375	All India Service Officers	4315-16
2376	Violation of Foreign Exchange Regulations	4316
2377	Electrologging Unit	4317
2378	Pre-Matric Scholarships in Orissa	4317
2379	Adivasis of Maharashtra	4317-18
2380	Polytechnics for Girls	4318
2381	Welfare of Harijans	4318
2382	House Building Societies in Delhi	4319
2383	Judge for Hazratbal Relic Theft Case	4319
2384	Ammonium Chloride Fertilizers	4319-20
2385	Advisory Committees for Andaman and Nicobar Islands	4320

अतारांकित प्रश्न संख्या	विषय	पृष्ठ
२३८६	सूखे प्रोटीन का उत्पादन	४३२०
२३८७	विश्वायतन योगाश्रम	४३२०–२१
२३८८	इंजीनियरिंग अनुसन्धान	४३२१
२३८९	वर्ल्ड गोल्फ चैम्पियनशिप	४३२१–२२
२३९०	बरौनी तेल शोधक कारखाना	४३२२
२३९१	नंगल बांध में पोलीटेक्निक	४३२२
२३९२	राजस्थान में अनुसूचित जाति के लोग	४३२२–२३
२३९३	शस्त्रास्त्रों का निर्माण	४३२३
२३९४	राजस्थान में कास्टिक सोडा और प्लास्टिक के कारखाने	४३२३
२३९५	अन्तर्राज्यीय पुलिस संगठन	४३२३–२४
२३९६	उत्तर प्रदेश के राज्यपाल	४३२४
२३९७	उड़ीसा में संस्कृत का विकास	४३२४
२३९८	उड़िया साहित्य और संस्कृति	४३२५
२३९९	राज्यपाल	४३२५–२६
२४००	दिल्ली के स्कूलों के अध्यापकों की सेवा निवृत्ति आयु	४३२६

राष्ट्रमण्डल प्रधान मंत्री सम्मेलन के बारे में वक्तव्य . . . ४३२६

श्री जवाहर लाल नेहरू . . . ४३२६–२७

सभा पटल पर रखे गये पत्र . . . ४३२७

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति . . . ४३२८

बयालीसवां प्रतिवेदन—(उपस्थापित) . . . ४३२८

इकतालीसवां प्रतिवेदन (स्वीकृत) . . . ४३२८

वक्फ (संशोधन) विधेयक—पुरःस्थापित . . . ४३२८

कार्य मंत्रणा समिति . . . ४३२८–२९

छब्बीसवां प्रतिवेदन . . . ४३२८–२९

समवाय (लाभ) अतिकर विधेयक, १९६४ . . . ४३२९—४४

विचार करने का प्रस्ताव . . . ४३२९

श्री ति० त० कृष्णमाचारी . . . ४३२९—३१

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती . . . ४३३१–३२

श्री मी० रु० मसानी . . . ४३३२–३३

श्री मुरारका . . . ४३३३–३४

श्री हिम्मतसिंहका . . . ४३३४

श्री अल्वारेस . . . ४३३५

Unstarred Questions Nos	Subject	Pages
2386	Production of Dry Protein	4320
2387	Vishwayatan Yoga Ashram	4320-21
2388	Engineering Research	4321
2389	World Golf Championship	4321-22
2390	Barauni Refinery	4322
2391	Polytechnic at Nangal Dam	4322
2392	Scheduled Caste Community in Rajasthan	4322-23
2393	Manufacture of Arms	4323
2394	Caustic Soda and Plastic Factories for Rajasthan	4323
2395	Inter-State Police Machinery	4323-24
2396	Governor of U. P.	4324
2397	Development of Sanskrit in Orissa	4324
2398	Oriya Literature and Culture	4325
2399	Governors	4325-26
2400	Retirement Age of Delhi School Teachers	4326
	Statement *re.* Commonwealth Prime Ministers' Conference	4326
	Shri Jawaharlal Nehru	4326-27
	Papers Laid on the Table	4327
	Committee on Private Members' Bills and Resolutions	4328
	Forty-second Report—(Presented)	4328
	Forty-first (Adopted)	4328
	Wakf (Amendment) Bill—Introduced	4328
	Business Advisory Committee	4328-29
	Twenty-sixth Report	4329
	Companies (Profits) Surtax Bill, 1964	4329—44
	Motion to consider	4329
	Shri T. T. Krishnamachari	4329-31
	Shrimati Renu Chakravarty	4331-32
	Shri M. R. Masani	4332-33
	Shri Morarka	4333-34
	Shri Himatsingka	4334
	Shri Alvares	4335

विषय	पृष्ठ
श्री कृ० चं० शर्मा	४३३६
श्री बड़े	४३३६–३७
श्री हेडा	४३३७
श्री जोकीम आल्वा	४३३७–३८
श्री स० मो० बनर्जी	४३३८—४०
खण्ड २ से २६ और १	४३४०
संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव . . .	४३४०
श्री ति० त० कृष्णमाचारी	४३४०—४४
सशस्त्र सेनायें (विशेष शक्तियां) जारी रखना विधेयक .	४३४४—६७
विचार करने का प्रस्ताव	४३४४
श्रीमती लक्ष्मी मेनन	४३४४–४५
श्री रंगा	४३४५
लोक आयुक्त की नियुक्ति के बारे में संकल्प—वापस लिया गया .	४३४६
डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी	४३४६—४९
श्री हरिश्चन्द्र माथुर	४३५०—५२
श्री रंगा	४३५२–५३
श्री सिद्धेश्वर प्रसाद	४३५३–५४
श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी	४३५४–५५
श्री नि० चं० चटर्जी	४३५५–५६
श्री सिंहासन सिंह	४३५६
श्री श० ना० चतुर्वेदी	४३५६–५७
श्री स० मो० बनर्जी	४३५७
श्री यशपाल सिंह	४३५७–५८
श्री हाथी	४३५८—६१
आय में असमानता के बारे में संकल्प	४३६१–६२
श्री भी० प्र० यादव	४३६१–६२

Subject	Pages
Shri K. C. Sharma	4336
Shri Bade	4336-37
Shri Heda	4337
Shri Joachim Alva	4337-38
Shri S. M. Banerjee	4338—40
Clauses 2 to 26 and 1	3440
Motion to pass, as amended	4340
Shri T. T. Krishnamachari	4340—44
Armed Forces (Special Powers) Continuance Bill	4344—61
Motion to consider	3444
Shrimati Lakshmi Menon	4344-45
Shri Ranga	4345
Resolution *re.* People's Procurator—*Contd.*—Withdrawn	4346
Dr. L. M. Singhvi	4346—49
Shri Harish Chandra Mathur	4350—52
Shri Ranga	4352-53
Shri Sidheshwar Prasad	4353-54
Shri Surendranath Dwivedy	4354-55
Shri N. C. Chatterjee	4355-56
Shri Sinhasan Singh	4356
Shri S. N. Chaturvedi	4356-57
Shri S. M. Banerjee	4357
Shri Yashpal Singh	4357-58
Shri Hathi	4358—61
Resolution *re.* Disparity in Income	4361-62
Shri B. P. Yadava	4361-62

लोक सभा

LOK SABHA

बुधवार, २२ अप्रैल, १९६४/२ वैशाख, १८८६ (शक)

Wednesday April 22, 1964/Vaisakha 2, 1886 (Saka)

लोक सभा ग्यारह बजे समवेत हुई ।

The Lok Sabha met at Eleven of the clock

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए ।
MR. SPEAKER *in the Chair*]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

पहाड़ी क्षेत्रों के लिए विश्वविद्यालय

+

*११३०. श्री सुबोध हंसदा:
श्री बिशनचन्द्र सेठ :
श्री भी० प्र० यादव:
श्री धवन:
श्री स० चं० सामन्त :
श्री म० ला० द्विवेदी:
श्री सिद्धेश्वर प्रसाद :
श्री प्र० चं० बरुआ:
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती:
श्री विश्वनाथ पाण्डेय:
श्री रिशांग किशिंग :

क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने उच्च शिक्षा के विकास का अध्ययन करने तथा नागालैण्ड नेफा, मनीपुर और आसाम के अन्य पहाड़ी क्षेत्रों के लिए एक नया विश्वविद्यालय स्थापित करने के लिए भी एक समिति नियुक्त की है ;

(ख) यदि हां, तो क्या इस समिति द्वारा कोई प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है ;

(ग) उसमें की गई मुख्य सिफारिशें क्या हैं और उनमें से कितनी स्वीकार कर ली गई हैं ; और

(घ) उस विश्वविद्यालय के कब तक स्थापित हो जाने की सम्भावना है ?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला): (क) जी, हां । शिक्षा मन्त्रालय तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने मिलकर इस प्रयोजन के लिये एक समिति स्थापित की है ।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) और (घ). प्रश्न ही नहीं उठते ।

श्री सुबोध हंसदा : क्या कालेजों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों की संख्या के सम्बन्ध में कोई अध्ययन किया गया है और क्या संख्या को देखते हुए उस क्षेत्र के लिये एक विश्वविद्यालय स्थापित करना उचित है ?

श्री मु० क० चागला : इस सारे प्रश्न पर विचार किया जा रहा है । जब तक समिति का प्रतिवेदन न आ जाये मैं इस प्रश्न का उत्तर नहीं दे सकता । इस बात का निर्णय करते समय कि वहां पर एक विश्वविद्यालय स्थापित करना उपयुक्त होगा अथवा नहीं विद्यार्थियों की संख्या को अवश्य ही ध्यान में रखा जायेगा ।

श्री सुबोध हंसदा : क्योंकि नागालैण्ड तथा नेफा प्रशासन वैदेशिक-कार्य मन्त्रालय के नियन्त्रणाधीन हैं अतः मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या वैदेशिक कार्य मन्त्रालय से परामर्श लिया गया है और क्या इस विश्वविद्यालय को स्थापित करने में इसका भी कुछ सहयोग मिल रहा है ?

श्री मु० क० चागला : मैं माननीय सदस्य का प्रश्न नहीं समझ सका ।

अध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है कि क्या वैदेशिक कार्य मन्त्रालय से परामर्श लिया गया है अथवा इस निर्णय को लेने में उसका भी कुछ सहयोग है ।

श्री मु० क० चागला : कोई निर्णय नहीं लिया गया है । वैदेशिक कार्य मन्त्रालय से परामर्श लेने का प्रश्न ही नहीं उठता । समिति द्वारा प्रतिवेदन दिये जाने के पश्चात् शायद हमें वैदेशिक कार्य मन्त्रालय से परामर्श लेना पड़े ।

Shri Sidheshwar Prasad : Who demanded the formation of this Committee which has been jointly set up by the Ministry of Education and University Grants Commission and what matters are to be considered by this Committee ?

श्री मु० क० चागला: यह समिति इन पहाड़ी क्षेत्रों में विश्वविद्यालयों की स्थापना करने के प्रश्न पर विचार करने के लिये नियुक्त की गई है ।

अध्यक्ष महोदय: किसने इसकी स्थापना की मांग की ?

श्री मु० क० चागला : इन राज्यों के लोगों की इसके लिये कुछ मांग थी; समिति के निर्देश-पद ये हैं : उच्च शिक्षा के विकास का अध्ययन करना तथा नागालैण्ड, नेफा, मनीपुर राज्यों तथा आसाम के अन्य पहाड़ी क्षेत्रों में एक विश्वविद्यालय स्थापित करने के प्रश्न की जांच करना ।

श्री शिकरे : क्या मन्त्री महोदय को यह ज्ञात है कि नये विश्वविद्यालयों को स्थापित करने की इन मांगों का राजनीतिक आधार भी है और यदि हां, तो क्या सरकार इस बात पर विचार कर रही है कि ऐसी मांगों को प्रोत्साहित नहीं किया जाना चाहिये ? गोआ की भी ऐसी मांग है ।

अध्यक्ष महोदय : यह प्रश्न यहां पर नहीं उठता ।

श्री मु० क० चागला : यदि शिक्षा की प्रगति के लिये विश्वविद्यालयों की स्थापना की आवश्यकता होगी तभी हम ऐसा करेंगे । हम किसी राजनोतिक दबाव के सामने नहीं झुकेंगे ।

श्री हेम बरुआ : क्योंकि जब विश्वविद्यालयों को ऐसे नाम दिये जाते हैं, जैसे कि पहाड़ी क्षेत्रों के लिये विश्वविद्यालय, मैंगलोइड, तिब्बती, बर्मी, आर्य, द्रविड़, आस्ट्रेलियाई विश्वविद्यालय आदि, तो प्रेरणा और उच्चाकांक्षा के मामलों में उनका सार्वभौमिक रूप नहीं रहता, अतः क्या मैं जान सकता हूं कि सामरिक महत्व के इस क्षेत्र में अर्थात् पूर्वी सीमान्त में समेकन को सुनिश्चित करने के लिये क्या सरकार किसी कार्यवाही को करने के बारे में विचार कर रही है ?

श्री मु० क० चागला : मैं माननीय सदस्य की इस बात से सहमत हूं कि किसी विश्वविद्यालय का मुख्य उद्देश्य उसकी सार्वभौमिकता होती है और विद्यार्थियों के एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने की व्यवस्था होनी चाहिये । हम इसके लिये भरसक प्रयत्न कर रहे हैं कि किसी विश्वविद्यालय के विद्यार्थी केवल उस क्षेत्र विशेष के ही नहीं हों और विद्यार्थी एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सकें और विश्वविद्यालयों का अखिल भारतीय स्वरूप हो ।

Shri Vishwa Nath Pandey : Will this proposed University be set up by the Central Government or by the State Government ?

श्री मु० क० चागला : जैसा कि मेरे माननीय मित्र को ज्ञात है कि शिक्षा राज्य सूची का एक विषय है और विश्वविद्यालयों की स्थापना राज्यों द्वारा की जाती है । किसी विश्वविद्यालय के केन्द्रीय विश्वविद्यालय हो जाने पर ही केन्द्रीय मन्त्रालय उसके लिये उत्तरदायी होता है ।

श्री कपूर सिंह : क्या सरकार ने यह सुनिश्चित कर लिया है कि एक विश्वविद्यालय स्थापित करने के लिये पूर्वपेक्षित दशा—सांस्कृतिक तथा शैक्षणिक आधार—इस क्षेत्र में मौजूद है ?

श्री मु० क० चागला : मुझे विश्वास है कि यह समिति इस बात पर भी विचार करेगी ।

श्री बसुमतारी : क्या इन क्षेत्रों में—आसाम, नेफा तथा नागालैण्ड में—लो एकता न होने की हाल की आशंकाओं के बारे में सरकार को कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है ?

श्री मु० क० चागला : हमें कोई अभ्यावेदन प्राप्त नहीं हुआ है ।

श्री नि० रं० लास्कर : क्या माननीय मन्त्री यह बता सकेंगे कि क्या अब तक इस समिति ने किन्हीं स्थानों अथवा स्थलों का दौरा किया है ?

श्री मु० क० चागला : जी, हां, उन्होंने शिलांग, ऐजाल, हफलोंग, तुरा, कोहिमा, इम्फाल, जोरहाट तथा अन्य कुछ स्थानों का दौरा किया है ।

श्री मान सिंह पृ० पटेल : विश्वविद्यालय शिक्षा के स्तर पर प्रादेशिक भाषाओं को माध्यम बनाने के मामले में जो प्रगति हो रही है उसको ध्यान में रखते हुए, विद्यार्थियों के एक विश्वविद्यालय से दूसरे विश्वविद्यालय में जाने के मामले में किस प्रकार से प्रोत्साहन दिये जाने की सम्भावना है ?

श्री मु० क० चागला : यही कारण है कि मैं भारत में एक संयोजक भाषा को रखने पर जोर दे रहा हूं, चाहे वह हिन्दी हो अथवा अंग्रेजी। यदि किसी समय आप सभी विश्वविद्यालयों में हिन्दी को अनिवार्य कर देंगे तो वह विद्यार्थियों के एक विश्वविद्यालय से दूसरे विश्वविद्यालय में जाने का आधार बन जायेगा।

अलिया बेट द्वीप में खुदाई

+

*११३१. { **श्री सुबोध हंसदा** :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री सुधांशु दास :
श्री महेश्वर नायक : }

क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खम्भात की खाड़ी में अलियाबेट द्वीप में तटदूर खुदाई[1] शुरू हो गई है ;

(ख) क्या यह खुदाई तेल और प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा की जा रही है ; और

(ग) क्या पश्चिम एशियाई देशों के तकनीकी जानकारों से कोई सहयोग प्राप्त हुआ है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री हुमायून् कबिर) : (क) जी, नहीं। प्रस्तावित कुएं की खुदाई भूमि पर होगी।

(ख) और (ग). प्रश्न ही नहीं उठते।

श्री सुबोध हंसदा : क्योंकि प्रारम्भिक सर्वेक्षण में यह निष्कर्ष निकाला गया था कि अलियाबेट द्वीप समूह में तेल के पाये जाने की सम्भावना है, क्या मैं जान सकता हूं कि सरकार को उस क्षेत्र में खुदाई करने का निर्णय क्यों नहीं किया है ?

श्री हुमायून् कबिर : मैंने जो कहा उसको कदाचित् माननीय सदस्य ने नहीं सुना है। मैंने यह कहा था कि भूमि पर एक कुएं की खुदाई की जायेगी।

तटदूर खुदाई

+

*११३२. { **श्री नि० रं० लास्कर** :
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :
श्री विश्वनाथ राय :
श्री ओंकार लाल बेरवा :
श्री राम हरख यादव :
श्री मुरली मनोहर : }

क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कलकत्ता के पास पोर्ट कैनिंग में तटदूर खुदाई शुरू करने का निश्चय किया है ; और

[1]Off-shore drilling.

(ख) यदि हां, तो क्रमबद्ध कार्यक्रम क्या है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री हुमायून् कबिर): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री नि० रं० लास्कर : अप्रैल १९६३ में तेल मन्त्री ने हमको बताया था कि वे उस स्थान से खुदाई प्रारम्भ करेंगे जहां कि स्टैनवैक के कर्मचारियों ने काम छोड़ा था और इसलिये क्या मैं जान सकता हूं कि क्या वहां पर इस मामले में अब तक कोई प्रगति हुई है ?

श्री हुमायून् कबिर: स्टैनवैक परियोजना द्वारा एकत्रित की गई सामग्री का पुनर्अध्ययन करने पर तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग को यह पता चला है कि पोर्ट कैनिंग में तेल मिलने की कुछ सम्भावनायें हैं और इसलिये पोर्ट कैनिंग के उत्तर-पश्चिम में लगभग छः मील की दूरी पर एक स्थान पर एक कुएं की खुदाई करने के लिये तैयारियों की व्यवस्था करने का निर्णय किया गया है।

श्री नि० रं० लास्कर : कब कुआं खोदने का उनका विचार है ? निर्धारित तिथि क्या है ?

श्री हुमायून् कबिर : लक्ष्य तिथि तो बताना कठिन है। हमने यह व्यवस्था की है कि मानसून प्रारम्भ होने से पहिले वहां पर एक ढांचा तैयार कर दिया जायेगा। मानसून के दौरान इस क्षेत्र में कुआं खोदना सम्भव नहीं होगा। इसलिये मानसून के समाप्त होने के पश्चात् कुएं के खोदे जाने की सम्भावना है।

Shri Onkar Lal Berwa : Has any foreign assistance been obtained for this project and if so, to what extent ?

Shri Humayun Kabir : O. N. G. C. has acquired enough of experience in drilling. We take foreign assistance, if it is required, whether any foreign assistance is required for this project or not will be made known after completion of some work there.

श्री वें० वेंकटासुब्बया : क्या इस क्षेत्र में तटदूर खुदाई करने के अतिरिक्त तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग ने मद्रास राज्य में कोरामण्डल तट पर खुदाई कार्य प्रारम्भ करने के लिये कोई प्रयत्न किया है ?

श्री हुमायून् कबिर : यह प्रश्न पोर्ट कैनिंग के बारे में है और मैंने यह बता दिया है कि वहां पर तट दूर खुदाई नहीं होगी किन्तु तट पर ही खुदाई होगी।

Shri Yashpal Singh : After how many days exploratory work in a particular area it is declared that there are no prospects of oil being found in that area ?

श्री हुमायून् कबिर: यह बात किसी स्थान की भूतत्वीय रचना पर निर्भर करती है। कभी कभी तो बगैर कोई खुदाई किये भी यह कह सकते हैं इस स्थान पर तेल नहीं है परन्तु इस प्रकार से ठोस बात कहना बहुत कठिन है कि वहां पर तेल है अथवा नहीं और यह सब कुछ परिस्थितियों पर निर्भर करता है।

श्री हेम बरुआ : क्या मैं माननीय मन्त्री का ध्यान इस तथ्य की ओर दिला सकता हूं कि स्टैनवैक ने सरकार के सहयोग में इस क्षेत्र में तेल की खोज की थी और अन्त में यह निष्कर्ष निकाला था कि उस

क्षेत्र में तेल मिलने की तनिक भी सम्भावना नहीं है और यदि हां, तो जैसा कि माननीय मन्त्री ने अभी कहा है, स्टैनवैक ने किस प्रकार यह सिफारिश कर दी कि अब वहां पर तेल मिलने की सम्भावना है ?

श्री हुमायून् कबिर : मेरे माननीय ने मेरी बात आधी सुनी है । मैंने सदन को यह बताया था कि स्टैनवैक द्वारा दी गई सामग्री का पुनर्अध्ययन करने पर तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग ने यह निष्कर्ष निकाला है कि वहां पर तेल मिलने की सम्भावना है ।

श्री हेम बरुआ : मेरी बात गलत समझी गई है । श्री मालवीय के तेल मन्त्री होने की अवधि में, इस क्षेत्र में खोज करने के पश्चात् निश्चय ही स्टैनवैक ने यह कहा था कि इस क्षेत्र में तेल मिलने की कोई सम्भावना नहीं है । स्टैनवैक ने नये मन्त्री महोदय को किस प्रकार से सामग्री दे दी जिसके आधार वह नवीन खोज करा सके हैं ? मैं यह बात जानना चाहता हूं ।

श्री हुमायून् कबिर : जो सामग्री वहां पर थी हमने उस सबका अध्ययन किया था । यदि मेरे माननीय मित्र यह समझते हैं कि जो कुछ स्टैनवैक ने कहा है वह वेदवाक्य है तो वह अपनी इस धारणा को बनाये रख सकते है । परन्तु स्टैनवैक द्वारा दी गई जानकारी का विशेषज्ञों ने भिन्न अर्थ निकाला है ।

अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारियों का आचरण

***११३५. श्री हरिश्चन्द्र माथुर :** क्या **गृह-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछले एक साल में अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारियों के जनता और उसके प्रतिनिधियों के साथ दुर्व्यवहार के कोई मामले सरकार की सूचना में आये हैं ;

(ख) यदि हां, तो ऐसे अधिकारियों के विरुद्ध यदि कोई कार्रवाई की गई है तो क्या; और

(ग) क्या इस विषय में कोई हिदायतें जारी की गई हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ल० ना० मिश्र): (क) से (ग). पूरी जानकारी एकत्रित की जा रही है तथा सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

श्री हरिश्चन्द्र माथुर : वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा किये गये दुर्व्यवहार के बहुत से मामलों की सूचना मिली है और सैकड़ों ऐसे मामलों की सूचना नहीं मिलती और शिकायतें नहीं की जातीं । क्या मैं जान सकता हूं कि इस मामले में मन्त्री महोदय की निजी जानकारी क्या है और प्रजातांत्रिक भावनाओं तथा नागरिकों के प्रति उन अधिकारियों के दृष्टिकोण में सुधारात्मक परिवर्तन लाने के लिये मन्त्रालय ने अब तक क्या ठोस कार्यवाही की है ?

श्री ल० ना० मिश्र: हमने इस महीने में सभी राज्य सरकारों को इस मामले में लिख दिया है और कुछ राज्य सरकारों, जैसे कि पंजाब, उड़ीसा, मध्य प्रदेश तथा राजस्थान, से हमें जानकारी प्राप्त हो गई है । अन्य राज्यों से जानकारी अभी तक प्राप्त नहीं हुई है ।

जहां तक सरकार द्वारा की गई कार्यवाही का सम्बन्ध है, सभी राज्य सरकारों को एक विशेष परिपत्र जारी किया गया था कि वे सार्वजनिक कार्यकर्त्ताओं, विशेष रूप

से संसद्-सदस्यों तथा विधान सभाओं के सदस्यों के साथ नम्रता का व्यवहार करें तथा उनका आदर करें। जहां तक दूसरे मामले का सम्बन्ध है, माननीय सदस्य को यह ज्ञात है कि प्रशासनिक सुधारों के लिये हम ने एक विशेष विभाग स्थापित किया है। वह विभाग निश्चय ही इस मामले की जांच करेगा।

श्री हरिश्चन्द्र माथुर : माननीय उपमंत्री अपने कार्य पर बिलकुल नये हैं। उन्हें इस मामले की पिछली बातें नहीं मालूम हैं। औपचारिक परामर्शदात्री समिति में इस मामले पर चर्चा की गई थी और मैंने इस विषय पर एक पत्र श्री नन्दा को लिखा था। मेरे विचार में उन्हें उस प्रसंग में उत्तर देना चाहिये। परन्तु वह तो यह बता रहे हैं कि वह राज्य सरकारों को लिख रहे हैं। इस प्रश्न पर अधिक विचार किये जाने की आवश्यकता है। क्या मैं यह समझ लूं कि नागरिकों के प्रतिनिधियों के प्रति इन अधिकारियों के व्यवहार और दृष्टिकोण में सुधारात्मक परिवर्तन लाने के लिये इन पूरे १७ वर्षों के दौरान सरकार ने तनिक भी कोई कार्यवाही नहीं की है और केवल अब ही वे राज्य सरकारों से पूछताछ कर रहे हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री हाथी) : ऐसी बात नहीं है कि कुछ भी कार्यवाही नहीं की गई है। श्री माथुर द्वारा हमको पत्र लिखे जाने के पश्चात्, हमने विभिन्न राज्यों से यह पूछा था कि वहां पर ऐसे कितने कितने मामले हुए हैं और उनमें क्या कार्यवाही की गई है। हम को ५ अथवा ६ राज्यों से यह उत्तर मिले हैं कि जनता से सम्बन्ध रखने वाले--केवल संसद्-सदस्यों से ही नहीं अपितु जनता से भी सम्बन्ध रखने वाले--१७ मामलों में कुछ शिकायतें की गई थीं। उनमें से ५ मामलों में अधिकारियों की भर्त्सना की गई और ७ मामलों की जांच की जा रही है। हमने संबंधित राज्य सरकारों को पुनः इस बात पर जोर देते हुए लिखा है कि प्रजातांत्रिक ढांचे में सरकारी नौकरों को शिष्ट तथा नम्र होने की आवश्यकता है। भारतीय प्रशासन सेवा के हमारे युवा अधिकारियों के प्रशिक्षण में भी इस प्रश्न को लेने का हमारा विचार है। वहां पर भी यह प्रशिक्षण दिया जायेगा।

श्री श० ना० चतुर्वेदी : क्या केन्द्रीय सरकार को सीधे ही कोई शिकायतें प्राप्त नहीं हुई हैं और यदि कुछ शिकायतें प्राप्त हुई हैं तो उन में क्या कार्यवाही की गई है ?

श्री हाथी : केन्द्रीय सरकार को सीधे ही ऐसी कोई शिकायतें प्राप्त नहीं हुई हैं परन्तु विभिन्न राज्यों में हमें ऐसी शिकायतें प्राप्त हुई हैं।

श्रीमती सावित्री निगम : क्या अखिल भारतीय सेवा के कर्मचारियों के लिये सरकार ने कोई आचरण संहिता निर्धारित कर रखी है और क्या विनम्रता भी उस के विषयों में से एक है ?

श्री हाथी : आचरण संहिता बनी हुई है और उस में यह भी है कि उन्हें विनम्र होना चाहिये। परन्तु प्रश्न यह है कि इस आचरण संहिता के रहते हुए भी कुछ भूलें हुई हैं। स्वयं प्रशिक्षण की ही इस प्रारम्भिक अवस्था में हम उन्हें इस से परिचित करा देना चाहते हैं।

श्री कपूर सिंह : क्या मैसूर विधान सभा में भूतपूर्व मंत्री श्री कार्डलाल नन्जप्पा द्वारा हाल ही में दिये गये इस आशय के वक्तव्य की ओर सरकार का ध्यान गया है कि (१) ईमानदार प्रशासकों की आवश्यकता नहीं है, (२) राजनीतिज्ञ लोग स्वतंत्रतापूर्वक दीवानी, फौजदारी तथा लगान

635 (Ai) LSD—2.

सम्बन्धी मामलों में हस्ताक्षेप करते हैं और (३) अधिकारियों में बेईमानी सफलता के लिए एक योग्यता है ? यदि हां, तो इस मामले में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

श्री हाथी : मैंने यह समाचार नहीं देखे हैं ।

श्री कपूर सिंह : क्या वह मेरा प्रश्न नहीं समझे ?

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने यह कहा है कि उन्होंने वह वक्तव्य नहीं देखा है ।

श्री स० मो० बनर्जी : माननीय मंत्री द्वारा दिये गये उत्तरों से यह स्पष्ट है कि राज्य सरकारों ने कुछ कार्यवाही की है । मैं यह जानना चाहता हूं कि, संसद् तथा विधान सभाओं के सदस्यों के साथ किये गये दुर्व्यवहार के इन मामलों के अतिरिक्त, क्या ऐसे भी मामले इस मंत्रालय अथवा राज्य सरकारों के ध्यान में लाये गये हैं जिन में उन अधिकारियों ने उन ग्रामीण लोगों के प्रति दुर्व्यवहार किया है जोकि उन की सहायता लेने और पथ-प्रदर्शन प्राप्त करने के लिये उन के पास जाते हैं ?

श्री हाथी : जैसाकि मैंने कहा है, यह केवल संसद् अथवा विधान सभाओं के सदस्यों के प्रति ही विनम्रता प्रदर्शित करने का प्रश्न नहीं है ; यह प्रश्न तो आम लोगों के साथ नम्रतापूर्ण व्यवहार करने का है जिसका अर्थ यह है कि चाहे कोई आदमी ग्रामीण क्षेत्र का हो अथवा किसी नगर का सब के साथ समान विनम्रतापूर्ण व्यवहार किया जाना चाहिये ।

श्री रंगा: क्या राज्यों तथा केन्द्र में नियुक्त भारतीय प्रशासन सेवा के कर्मचारियों से सरकार को कोई ऐसी शिकायतें प्राप्त हुई हैं कि सत्तारूढ़ दलके राजनीतिक नेताओं के इशारों पर न नाचने के कारण उन्हें विभिन्न प्रकार से धमकियां दी जाती हैं अथवा परेशान किया जाता है अथवा दंड भी दिया जाता है जो आम अनुशासनिक प्रक्रिया के अनुसार नहीं होता अपितु उनका स्थानान्तरण करके अथवा अन्य रूप में दिया जाता है ?

श्री हाथी : जी, नहीं ।

श्री अ० प्र० जैन : माननीय मंत्री ने कहा है उन्हें दुर्व्यवाहर के समाचार नहीं मिले हैं । परन्तु इस प्रकार के अविनम्र व्यवहार सम्बन्धी तथ्य तो सुज्ञात हैं । क्या वह केवल उन समाचारों पर ही विश्वास करना चाहते हैं अथवा जो उन की निजी साधारण ज्ञान है तथा जिसके बारे में सारा संसार जानता है उस पर भी विश्वास करेंगे ?

श्री हाथी : मैंने यह तो नहीं कहा कि हमें समाचार नहीं मिले हैं । कुछ राज्यों से हमें ऐसे समाचार मिले हैं । परन्तु मैंने यह भी कहा था कि ,चाहे हमें ये सूचनायें मिलें अथवा न मिलें, हम केवल उन सूचनाओं पर ही विश्वास नहीं करेंगे और हम इस मामले को स्वतंत्र रूप से ले रहे हैं । यह सुनिश्चित करने के लिये ये अधिकारी लोगों के साथ नम्रतापूर्ण व्यवहार करें हम उन्हें प्रारम्भिक अवस्था में ही प्रशिक्षण देने के कार्य को करने का प्रयत्न कर रहे हैं ।

डा० सरोजिनी महिषी : अखिल भारतीय सेवा के कर्मचारियों को उनके दुर्व्यवहार के लिये जो दण्ड दिया गया है क्या वह उस दुर्व्यवहार का निरोधक सिद्ध होने के लिए पर्याप्त है और क्या तब से उस क्षेत्र में ऐसे मामलों की संख्या कम हो गई है ?

श्री हाथी : यह इस बात पर निर्भर करता है कि मामला कैसा है और कितना गम्भीर है ।

श्री रामनाथन् चेट्टियार : क्या इस समाचार में कोई सत्यता है कि औद्योगिक प्रबन्ध पूल के अधिकारियों का भारतीय प्रशासन सेवा में विलय कर दिया जायेगा ?

श्री हाथी : इस विषय पर आज एक अलग प्रश्न है ।

श्री मानसिंह पृ० पटेल : क्या अखिल-भारतीय अनुशासन नियमों के न होने के कारण, दुर्व्यवहार के छोटे से छोटे मामले को भी केन्द्रीय सरकार के पास भेजना होता है ?

श्री हाथी : जी, नहीं ।

श्री हेम बरुआ : क्या सरकार को यह ज्ञात है कि लोगों के कुछ प्रतिनिधि, क्योंकि वे लोगों के प्रतिनिधि हैं, अधिकारियों के रोजमर्रा के कार्य में भी अपना जोर चलाते हैं और हस्तक्षेप करते हैं ; यदि हां, तो क्या लोगों के प्रतिनिधियों के लिये भी सरकार का कोई आचरण संहिता बनाने का विचार है जिस से कि वे इन अधिकारियों के कार्य में हस्तक्षेप न करें . . .

अध्यक्ष महोदय : अथवा उन के जोर को कम करने के लिये !

श्री हेम बरुआ : श्रीमन्, कोई उत्तर नहीं दिया गया ।

श्री हाथी : क्या मैं इस का भी उत्तर दूं ?

अध्यक्ष महोदय : वह यह जानना चाहते हैं कि क्या राजनीतिक नेता अपना अनुचित जोर डालते हैं ?

श्री हाथी : जैसाकि मैंने प्रारम्भ में कहा है, केवल संसद्-सदस्यों अथवा विधान सभाओं के सदस्यों अथवा राजनीतिक नेताओं के प्रति ही विनम्रतापूर्ण व्यवहार करने का प्रश्न नहीं है । वास्तव में तो हमारा आम जनता से सम्बन्ध है, और जो कोई भी इन असैनिक अधिकारियों के पास जाये उसके प्रति वह विनम्रता तथा आदर प्रदर्शित किया जाना चाहिये जोकि किसी स्वतंत्र देश के एक नागरिक के लिये अपेक्षित है । यह प्रश्न, कि क्या संसद्-सदस्य अथवा अन्य राजनीतिक नेता सरकारी कर्मचारियों पर जोर डालते हैं या नहीं और यदि जोर डालते हैं तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की जानी चाहिये , सरकार के विचाराधीन हो ।

श्री हरिश्चन्द्र माथुर : इस प्रश्न पर सरकार कब से विचार कर रही है, सरकार के ध्यान में यह बात कब आई थी और तब से उन्होंने इस सम्बन्ध में क्या किया है ?

श्री हाथी : यह प्रश्न कि असैनिक अथवा सरकारी कर्मचारी विनम्र हैं अथवा नहीं आदि पर प्रारम्भ से ही सरकार ग़ौर करती रही है और समय समय पर हम राज्य सरकारों को लिखते रहे हैं तथा आवश्यक कार्यवाही करते रहे हैं ।

अध्यक्ष महोदय : अगला प्रश्न ।

श्री कपूर सिंह : श्रीमन्, राजनीतिक नेताओं के अधिकारियों पर जोर को कम करने के सम्बन्ध में किये गये आपके सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रश्न का उत्तर नहीं दिया गया है ।

श्री हरिश्चन्द्र माथुर : मैं अपने माननीय मित्र को यह आश्वासन दिलाता हूं कि इस विषय पर बहुत शीघ्र ही एक प्रश्न आने वाला है ।

Infiltration of Pakistanis in Rajasthan

*1136. **Shri P. L. Barupal :**
Shri Hukam Chand Kachhavaiya :
Shri Tan Singh :

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that a large number of Pakistani nationals have illegally entered Rajasthan without passports; and

(b) whether it is also a fact that a Pakistani national has been elected to the Ajmer (Rajasthan) Municipality and if so, how this has happened?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Hathi) : (a) During the years from 1961 to 1963, 789 such Pakistani infiltrants were detected.

(b) One Shri Gulam Hussain Qureshi of Ajmer, who came to India from Pakistan in 1948 on a temporary permit, has been elected to the Ajmer Municipality on the basis of his name appearing in the Electoral Roll. An election petition has been preferred against his election on the ground that he is not a citizen of India. The matter is *sub judice* in the court of District Judge, Ajmer.

Shri P. L. Barupal : Was the name of that Pakistani national entered in the electoral roll after his coming from Pakistan or it already existed in the electoral roll?

Shri Hathi : That man was born at Ajmer itself and he was previously working in Railway Loco Workshop, Ajmer. He went to Pakistan in 1948 and returned to India after three-four months on a temporary permit and his name still stands on the electoral roll.

Shri P. L. Barupal : Are government aware of the fact that so many other Pakistani nationals have also infiltrated into Rajasthan and if so, what concrete steps have been taken to drag them out?

Shri Hathi : As already stated, about 800 such persons have infiltrated and steps are being taken in that matter. The Chief Minister of Rajasthan has visited the border areas just three days before. Some Pakistani infiltrants have been detected there and sent back to Pakistan.

Shri Tulshi Das Jadhav : Why were they not dragged out immediately after their infiltration and why were they allowed to stay here so long?

Shri Hathi : On the border areas there are no compact villages and people live in scattered huts there and as such there is no difficulty in going from one village to another. Whenever the police exercises a check such infiltrants are detected and then dragged out.

श्री श० ना० चतुर्वेदी : क्या सरकार सदन को यह आश्वासन दे सकती है कि राजस्थान में, जहां कि हजारों लाखों की संख्या में पाकिस्तानी अवैध रूप से प्रवेश कर गये हैं और हमारी नौकरियों पर भी लग गये हैं, वैसी ही स्थिति को न पनपने देने के लिये जैसी कि इस समय हमारी पूर्वी सीमा पर चल रही है वह पर्याप्त रूप से ही सावधान तथा सतर्क है?

श्री हाथी : राजस्थान सरकार इस मामले में पूर्ण अभिरुचि से कार्य कर रही है। जैसा कि मैं बता चुका हूं, तीन दिन पहले ही वहां के मुख्य मंत्री ने सीमावर्ती क्षेत्रों का दौरा किया है और कार्यवाही और कड़ी कर दी है जिससे कि अवैध प्रवेश इतना सरल न रहे जैसा कि आजकल है।

श्री भागवत झा आजाद : प्रश्न के भाग (क) के सम्बन्ध में, जिसे कि राजस्थान के मुख्य मंत्री के वक्तव्य द्वारा प्रमाणित किया गया है, क्या सरकार का विचार ऐसे अधिकरण बनाने का है जिसे कि पूर्वी प्रदेश में है जिससे कि यह समस्या प्रभावी रूप से और शीघ्रतापूर्वक हल हो सके ?

श्री हाथी : इस सम्बन्ध में प्रक्रियायें हैं, परन्तु इनमें से अधिकांश मामलों में लोगों ने स्वयं यह स्वीकार कर लिया है कि वे पाकिस्तानी राष्ट्रजन हैं और बिना किसी कागजात आदि के वे सीमा पार करके चले आये हैं। उनमें से २५४ को देश से बाहर निकाल दिया गया है।

Shri Tan Singh : The cases of these 800 infiltrants are pending since long. Is this delay being caused because of the fact that there are no sufficient Govt. agencies to solve this problem?

Shri Hathi : I am not aware of this.

श्री हरिश्चन्द्र माथुर : क्या माननीय मंत्री उत्तरदायित्व की भावना से यह कह सकते हैं कि पाकिस्तान के साथ मिली हुई राजस्थान की सीमा बिलकुल खुली हुई है और यह कि केवल ७०० ही नहीं अपितु सहस्त्रों लोग राजस्थान में बिना पता लगे घुस आते हैं? वे वहीं पर बस जाते हैं। उन्हें रोकने की कोई भी एजेन्सी नहीं है। यदि लोग राजस्थान के ५० या ७० मील अन्दर भी चले आये तो भी आप इसे जान नहीं सकते।

श्री हाथी : जहां तक मैं जानता हूं, यह हालत पहले तो थी परन्तु हाल ही के ४ या पांच महीनों में राजस्थान की सीमा पर निगरानी कड़ी कर दी गई है। लगातार गश्त लगाई जाती हैं। सीमा चौकियां स्थापित कर दी गई हैं और राजस्थान सरकार सक्रिय है।

श्री हरिश्चन्द्र माथुर : उन्हें कुछ और अच्छी तरह से जानना चाहिये था।

श्री सिंहासन सिंह : प्रश्न के भाग (ख) के सम्बन्ध में मैं यह पूछना चाहता हूं, कि जब वह पाकिस्तानी राष्ट्रजन १९४८ में अस्थायी परमिट पर आया था तो यहां पर १९६४ तक कैसे बना रहा और चुनाव में चुन लिया गया? क्या सरकार को इस अस्थायी परमिट की बात पता नहीं थी जिसकी वजह से वह यहां पर ठहरा रहा और चुन लिया गया?

श्री हाथी : जैसा कि मैं बता चुका हूं वह यहां पर अजमेर में था और वहां १९४८ तक रहा था। जब वह पाकिस्तान गया उस समय परमिट का कोई प्रश्न ही नहीं था परन्तु जिस समय वह लौटा उस समय तक अस्थायी परमिट पद्धति लागू कर दी गई थी। वह यहां पर आया और अभी तक यहीं पर है।

श्री अ० प्र० जैन : इस व्यक्ति के विरुद्ध चुनाव याचिका कब से लम्बित है तथा इस समय वह किस प्रक्रम पर है?

श्री हाथी : मेरा विचार है कि चुनाव याचिका १९६३ में किसी समय दायर की गई थी, इसकी निश्चित तिथि मैं नहीं बता सकता।

श्री अ० प्र० जैन : यह किस प्रक्रम पर लम्बित है?

Shri Kashi Ram Gupta : Are Government aware of the fact that Pakistani Muslims living in border areas of Pakistan adjoining Rajasthan many a time participate in the marriage ceremonies of Muslims living on Rajasthan border and stay here for a few days and some of them even return unnoticed after the ceremonies are over?

Shri Hathi : There have been some cases like this.

श्री हेम बरुआ : क्या सरकार को यह बात ज्ञात है कि राजस्थान की सीमा पर ऐसे गांव हैं, विशेषरूप से बाउड़ी के नाम से कहा जाने वाला एक ऐसा गांव है, जो कि भारत और पाकिस्तान दोनों ही के राज्य क्षेत्र में हैं और यह बताया जाता है कि इस गांव में रहने वाले लोगों के लिये भारत और पाकिस्तान केवल एक भावना की वस्तु हैं और यह गांव पाकिस्तानियों के राजस्थान में आने के लिये एक दालान का सा कार्य करता है....

अध्यक्ष महोदय : क्या प्रश्न पूछा भी जायेगा या नहीं? इतनी लम्बी प्रस्तावना देने की आवश्यकता नहीं है। जो अनुपूरक प्रश्न पूछा जाये वह सीधा होना चाहिये। यदि माननीय सदस्य इस प्रकार से प्रश्न पूछने लगेंगे तो सारे प्रश्न-काल में केवल एक ही प्रश्न पूरा होगा।

श्री हेम बरुआ : मैं प्रश्न पूछता हूं। इस प्रसंग में मैं यह पूछना चाहता हूं कि क्या सरकार को यह ज्ञात है कि राजस्थान की सशस्त्र पुलिस ने इस गांव के रास्ते होकर भारत में पाकिस्तानियों के अवैध प्रवेश को रोकने में अपनी असमर्थता व्यक्त की है और यदि हां, तो क्या सरकार का वहां पर सीमांकन करने और बाढ़ लगाने का विचार है जिससे कि यह अवैध प्रवेश न हो?

श्री हाथी : यह समाचार शायद दो या तीन दिन पहिले ही समाचारपत्रों में प्रकाशित हुआ था जब कि राजस्थान के मुख्य मंत्री उस क्षेत्र का दौरा कर रहे थे। इस कठिनाई से वे अवगत हैं तथा इस मामले में कार्यवाही की जा रही है।

Shri Onkar Lal Berwa : The Hon. Minister has just stated that only 789 Pakistanis infiltrated, while as per Chief Minister's yesterday's statement the number of such infiltrants is about 2,000 . May I know whether 1211 more Pakistanis infiltrated during these four months and how old are these Government figures?

श्री हाथी : जिनका पता लगा था तथा जो गिरफ्तार किये गये थे उनकी संख्या ७८९ है।

अध्यक्ष महोदय : ऐसा कब हुआ था? वह कहते हैं कि ये पुराने आंकड़े हैं। उनके अनुसार तो ऐसे लोगों की संख्या इससे अधिक है।

श्री हाथी : जैसा कि मैंने बताया ये गांव एक दूसरे के इतने निकट हैं—जैसा कि माननीय सदस्य श्री हेम बरुआ ने भी कहा है कि एक गांव ऐसा है जिसका कुछ भाग पाकिस्तान में है और कुछ भाग हिन्दुस्तान में है—कि लोग यहां आते हैं और चले जाते हैं। परन्तु यह संख्या उन लोगों की है जो वास्तव में पकड़े गये थे तथा गिरफ्तार किये गये थे।

Shri Sheo Narain : Let the Home Minister state clearly his policy regarding the illegal entry of Pakistanis and the action taken by police in this regard.

Shri Hathi : The policy is to deport those Pakistanis who come here without regular documents.

शारीरिक शिक्षा सम्बन्धी कुंजरू समिति का प्रतिवेदन

+

११३७. **{श्री धुलेश्वर मीना :**
श्री रामचन्द्र उलाका :

क्या शिक्षा मंत्री १२ फरवरी, १९६४ के तारांकित प्रश्न संख्या ५६ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने शारीरिक शिक्षा सम्बन्धी कुंजरू समिति के प्रतिवेदन की इस बीच जांच कर ली है; और

(ख) यदि हां, तो उस पर क्या निर्णय किया गया है?

शिक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (श्री भक्त दर्शन) : (क) समिति के प्रतिवेदन की अभी सरकार द्वारा जांच हो रही है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री धुलेश्वर मीना : क्या मैं जान सकता हूं कि जब यह प्रतिवेदन १२ दिसम्बर, १९६३ को प्रस्तुत कर दिया गया था तो ऐसी कौन सी कठिनाइयां है कि सरकार अभी तक इस पर विचार भी नहीं कर पाई?

श्री भक्त दर्शन : मुख्य कठिनाई यह थी कि प्रतिरक्षा मंत्रालय इसके बारे में अपनी अन्तिम राय नहीं बता सका। शिक्षा मंत्री तथा प्रतिरक्षा मंत्री के बीच अभी २५ मार्च को ही एक बैठक हुई है और अब एक समझौता हो गया है तथा ब्योरा तैयार किया जा रहा है।

श्री धुलेश्वर मीना : इस योजना पर जो व्यय होगा वह केन्द्रीय सरकार करेगी राज्य सरकार?

श्री भक्त दर्शन : सारा व्यय केन्द्रीय सरकार ही करेगी।

Shri Sidheshwar Prasad : May I know which of the recommendations of this Committee have been accepted by the Government?

Shri Bhakt Darshan : The main recommendation of the Kunzru Committee was to work out an integrated scheme embibing all the good points of the three scheme which are already in existence, *i. e.* physical exercises. National Discipline Scheme and A.C.C. That scheme has been prepared and is being finalised. It will be implemented soon after a decision is taken.

श्री भागवत झा आजाद : कुंजरू समिति के इस प्रतिवेदन पर विचार करते समय क्या मैं जान सकता हूं क्या सरकार ने साथ ही साथ अखिल भारतीय अध्यापक संघ जैसी संस्थाओं या स्कूलों की राय मांगी है कि इस योजना को कहां तक क्रियान्वित किया जा सकता है ?

श्री भक्त दर्शन : जहां तक मैं समझता हूं, अन्तिम निर्णय करने से पहले कुंजरू समिति ने ऐसे सभी संगठनों से परामर्श नहीं किया था ।

Shri Yashpal Singh : Has Govt. any objection to laying on the Table of the House a copy each of the report of the Kunzru Committee and its integrated scheme so that the hon. Members may know about them?

Shri Bhakt Darshan : The report of the Kunzru Committee has already been placed in the Parliament Library.

Shri Yashpal Singh : And the copy of the Government's integrated scheme ?

Shri Bhakt Darshan : That is being prepared.

श्रीमती सावित्री निगम : क्या मैं जान सकती हूं कि किन बातों पर समझौता हुआ है और क्या शिक्षा मंत्रालय तथा प्रतिरक्षा मंत्रालय मिलकर इस समन्वित योजना को चलायेंगे या शिक्षा मंत्रालय ही चलायेगा ?

श्री भक्त दर्शन : जब अन्तिम रूप से इसका निर्णय हो जायेगा तो शिक्षा मंत्रालय ही इसे चलायेगा ।

श्रीमती सावित्री निगम : किन बातों पर समझौता हुआ है ?

श्री भक्त दर्शन : इस बात पर कि तीनों योजनाओं की सर्वोत्तम बातें एक में समेकित कर दी जायें ।

Shri Sheo Narain : I want to know whether physical education includes drill only or training in the handling of gun and lathi also.

Shri Bhakt Darshan : When A.C.C. scheme is merged into it, gunfire and military training would also come under it.

असिस्टेंटों के लिये सेलैक्शन ग्रेड

*११४१. **डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री २७ मार्च, १९६३ के तारांकित प्रश्न संख्या ६२० के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या असिस्टेंटों के लिये 'सेलैक्शन ग्रेड' लागू करने के प्रश्न पर इस बीच पुनः विचार कर लिया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) : (क) और (ख) मामला अभी विचाराधीन है ।

डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी : मैं जानना चाहता हूं कि कितनी देर यह विचाराधीन रहा है, इसमें इतना समय क्यों लगा है और कब तक विचार हो जाने की संभावना है ।

श्री ल० ना० मिश्र : यह मामला दो या तीन प्रक्रमों में उठा था और कु स्टेनोग्राफरों के बारे में कुछ निर्णय किये गये थे । असिस्टेंटों के बारे में कुछ समय और लग जायेगा ।

डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी : क्या यह सच है कि वरिष्ठ असिस्टेंटों के लिये, जो दस दस वर्षों से काम कर रहे हैं, इस समय कोई प्रोत्साहन नहीं है और यदि हां, तो क्या अब काम कर रहे वरिष्ठ असिस्टेंटों को उत्प्रेणा देने की कोई योजना लागू करने का प्रस्ताव है ?

श्री ल० ना० मिश्र : यह सच है कि उनकी पदोन्नति की संभावना बहुत कम है । उनका मामला विचाराधीन है ।

श्री स० मो० बनर्जी : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या यह वेतन आयोग की सिफारिश थी ? क्या एक अन्य सिफारिश निम्न श्रेणी के क्लर्कों के लिए एक विशेष ग्रेड लागू करने के बारे में थी और यदि हां, तो वेतन आयोग की इन सिफारिशों को कार्यरूप में क्यों नहीं लाया गया है तथा क्या सम्बन्धित एसोसियेशन के साथ कोई बातचीत हुई है और यदि हां, तो क्या परिणाम निकला है ?

श्री ल० ना० मिश्र : बातचीत हुई है और वित्त मंत्रालय से भी इस बारे में पत्र-व्यवहार हो रहा है । जहां तक वेतन आयोग की विशिष्ट सिफारिश का सम्बन्ध है, उसके लिये मुझे पूर्वसूचना चाहिये ।

श्री भागवत झा आजाद : विचार पूरा न होने तक क्या सरकार ने यह सुनिश्चित करने के लिए कोई प्रक्रिया निर्धारित की है कि जिन कर्मचारियों पर प्रभाव पड़ने की संभावना है उन पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े ?

श्री ल० ना० मिश्र : किसी पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने का कोई प्रश्न नहीं है । यह तो केवल पदोन्नति की बात है ।

Shri Sidheshwar Prasad : The hon. Minister has just stated that the Govt. had taken a few decisions. May I know what are those decisions and which are the points under consideration?

Shri L. N. Mishra : As just stated, a combined grade for stenographers has been introduced which has given them much benefit. As for the assistants, the matter is under consideration.

दिल्ली में मिडिल स्कूल परीक्षायें

\+

*११४२. { श्री यशपाल सिंह :
श्री राम सेवक यादव :
श्री रा० गि० दुबे :

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली में मिडिल स्कूल परीक्षायें शिक्षा निदेशालय के एक बोर्ड द्वारा कराई जा रही है ;

(ख) क्या यह सच है कि अध्यापकों तथा विद्यार्थियों को बोर्ड की परीक्षा की तैयारी के लिए केवल दो महीने की सूचना दी गई थी ;

(ग) क्या यह सच है कि अध्यापक इतनी थोड़ी अवधि में निर्धारित पाठ्यक्रम पूरा नहीं पढ़ा पाये थे ; और

(घ) क्या पाठ्यक्रम को शीघ्रता से पढ़ाये जाने के कारण बहुत से विद्यार्थियों के अनुत्तीर्ण होने की आशा है?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क) और (ख). जी नहीं । इस वर्ष केवल ३ विषयों में एक तदर्थ समिति द्वारा सामान्य वार्षिक परीक्षा ली जा रही है । परीक्षा के इस प्रकार लिये जाने की सूचना दिसम्बर १९६३ में दी गई थी । ऐसा कोई नोटिस अपेक्षित नहीं था और न ही दिया गया था ।

(ग) जी नहीं । इन परीक्षाओं के लिये कोई नया पाठ्यक्रम निर्धारित नहीं किया गया था ।

(घ) जी नहीं । पाठ्यक्रम पूरे शैक्षणिक सत्र में पढ़ाया गया था ।

Shri Yashpal Singh : Is the Govt. aware of the fact that the students would not have had so much of difficulty had the intimation been given in the beginning of the session?

Shri M. C. Chagla : The students had no difficulty. The courses and the examination were the same as earlier.

Shri Yashpal Singh : The teachers could not complete the courses because on short notice the examination is to be held by a Board.

Mr. Speaker : The Minister says that there has been no change in the courses.

Shri Yashpal Singh : The examination body has changed. The examination was not conducted by the Board previously. In the light of the decision taken by the Government only a month ago, the mode of examination and examiners and paper setters have changed.

Mr. Speaker : The examiners might have changed but when the courses were the same for the examinees, they had only to prepare themselves whether there was to be a Board or any other body.

Shri Yashpal Singh : The paper setters have changed. The examiners who have been there for twenty years have changed.

Shri Sheo Narain : Is it a fact that as a result of middle course Government would issue separate certificates to those who get through the middle examination ?

Shri M. C. Chagla : This question does not arise. There has been only one change the examinations would now be conducted by the Board and not by the schools. There is no other change.

Shri Onkar Lal Berwa : What was the flow in the old system on account of which these examinations have been entrusted to a Board ?

Shri M.C. Chagla : This change has been brought about so as to attain co-ordination and higher standards.

Teachers' say on Education Policy

1144. Shri Sidheshwar Prasad : Will the Minister of **Education** be pleased to state :

(a) Whether it is a fact that in the seminar of National Institute of Audio-Visual Education held in New Delhi on the 10th April, 1964 he declared that the teachers would be given full opportunity to participate in the formulation of Government education policy;

(b) if so, in which form ; and

(c) the particulars of the decision, if any, taken by Government in this behalf ?

The Minister of Education (Shri M. C. Chagla) : (a) Yes, Sir. The intention is to ascertain and duly consider the views of teachers regarding educational policies and programmes.

(b) & (c). The matter is under consideration.

Shri Sidheshwar Prasad : I want to know as to what led the hon. Education Minister to say that teachers should participate in the formulation of conducation policy.

श्री मु० क० चागला : मैंने यह अनुभव किया कि शिक्षा सम्बन्धी नीति निर्धारण करने में यह परमावश्यक है कि अध्यापक नीति बनाने और उस को कार्यान्वित करने में भाग लें। अध्यापकों को इस से अलग रखना गलत है। अब तक हमने उन से उतनी अधिक मंत्रणा नहीं ली, जितनी लेनी चाहिये थी।

Shri Sidheshwar Prasad : Has Governments' attention been drawn to the fact that the representation available to teachers in legislative Assemblies is being withdrawn and if so will it not deprive the teachers from participating in the formulation of education policy ? If so , what action is being taken by the Govt. in this direction ?

श्री मु० क० चागला : अध्यापकों के मत संग्रह करने का एकमात्र मार्ग विधान परिषदों में निर्वाचनों अथवा निर्वाचन क्षेत्रों के द्वारा ही नहीं है। यह पता लगाने के विविध उपाय हैं कि अध्यापक क्या चाहते हैं अथवा शिक्षा के बारे में उनके क्या विचार हैं अथवा उन के परियोजना संबंधी विचार क्या हैं ?

डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी : किस विशिष्ट तरीके से और किस संस्थात्मक उपायों से शिक्षा संबंधी नीतियां निर्धारित करने में भाग लेने का अध्यापकों को अवसर देने का विचार है ?

श्री मु० क० चागला: जैसाकि मा० सदस्य जानते हैं, भारत में अध्यापकों के बहुत से संगठन हैं विश्वविद्यालय हैं, कालेज और स्कूल हैं और हमें उन के विचार तथा अभ्यावेदन प्राप्त हो जाते हैं, अत इस में कोई कठिनाई नहीं है ।

Shri Yogendra Jha : At present the policy is decided by the Govt. and influence of political authority is increasing in every walks of life. In these circumstances, formulation of the teachers can effectively participate in the educational policy only when they are allowed to take active part in politics. Do Govt. propose to allow them to take part in politics?

Mr. Speaker : I am not prepared to allow it.

श्री भागवत झा आजाद: अध्यापकों के योगदान का उल्लेख करते हुए, मा० मंत्री ने उच्चतर माध्यमिक स्तर की भी बात की । क्या यह समझा जाये कि अध्यापकों को केवल उसी स्तर का अधिकार होगा अथवा क्या यह अधिक प्राथमिक एवं बुनियादी स्तरों पर भी होगा?

श्री मु० क० चागला : जी नहीं । मैंने वही बात कही थी जो मैंने माध्यमिक अध्यापकों के सम्मेलन में कही थी और मेरे विचार अभी निकाय तक सीमित हैं । कोई कारण नहीं कि प्राथमिक एवं प्रारम्भिक स्कूलों के अध्यापकों के सुझावों एवं मंत्रणाओं को ध्यान में न रखा जाय ?

श्रीमती सावित्री निगम : किस प्रकार विभिन्न श्रेणियों के अध्यापकों को शिक्षा मंत्रालय में नीति निर्धारण निकाय में स्थान दिया जा रहा है ?

श्री मु० क० चागला : मैं समझता हूं कि मैंने इसका स्पष्टीकरण कर दिया है । हम उन के विचारों और अभ्यावेदनों का संग्रह करते हैं और यह प्रयत्न करते हैं कि क्या हम उन के विचारों को कार्य रूप में स्वीकार कर सकते हैं ।

डा० सरोजिनी महिषी : क्या राज्य स्तर और केन्द्रीय दोनों स्तरों पर सलाहकार निकायों में सभी स्तरों पर अध्यापकों को एक निश्चित प्रतिशतता में प्रतिनिधित्व देने का कोई विचार है ?

श्री मु० क० चागला : अध्यापक बहुत से निकायों के सदस्य होते हैं, परन्तु हम ने उन के लिये निश्चित प्रतिनिधित्व नहीं रखा । किसी सलाहकार निकाय की नियुक्ति करने में हम इस बात का ध्यान रखते हैं कि अध्यापकों को प्रतिनिधित्व दिया जाय, और मैं समझता हूं कि हमारे अधिकांश सलाहकारी निकायों में अध्यापक हैं ।

श्री शं० ना० चतुर्वेदी : किस रूप में सलाह के वर्तमान तरीके और ढंग दोषयुक्त समझे समझे गये हैं जिन के कारण माननीय मंत्री ने यह बात कही है ?

श्री मु० क० चागला : हमने अध्यापकों से निकाय के तौर पर सलाह नहीं की । हमारे संगठनों में अध्यापक हैं, किन्तु अब विचार यह है कि यदि आप ने अध्यापकों के मत को संगठित किया है तो नीति निर्धारण करने एवं उस को कार्य रूप में परिणत करने के लिये उस विचार को ध्यान में रखा जाना चाहिये ।

श्री दे० जी० नायक : शिक्षा राज्य का विषय है । क्या भारत सरकार राज्य सरकारों को इस मामले में प्राथमिक, माध्यमिक तथा उच्चतर शिक्षा पढ़ाने वाले अध्यापकों के मत जानने को कहेगी ?

श्री मु० क० चागला : जी, हां, मुझे इस बात का पता है कि शिक्षा राज्य विषय है और प्राय हमें इस मामले में कोई कार्रवाई करने के लिये राज्य सरकारों से प्रार्थना करनी पड़ती है ।

औद्योगिक प्रबन्ध 'पूल'

+

*११४५. { **श्री स० मो० बनर्जी :**
श्री दाजी : }

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या औद्योगिक प्रपन्ध 'पूल' को समाप्त करने का सरकार का विचार है ;

(ख) यदि हां, तो उस के क्या कारण हैं ;

(ग) 'पूल' के अधिकारियों के हितों का संरक्षण करने के लिये क्या उपाय करने का विचार है ;

(घ) क्या औद्योगिक प्रबन्ध 'पूल' पदाधिकारी संघ से कोई ज्ञापन प्राप्त हुआ है ; और

(ङ) यदि हां, तो उस पर क्या कार्रवाई की गई है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री हाथी) : (क) से (ग) सरकारी क्षेत्र में औद्योगिक गतिविधियों को बढ़ाने की दृष्टि से, सरकारी क्षेत्र में प्रबन्धकीय पदों पर कर्मचारी नियुक्त करने के समूचे प्रश्न पर पुनर्विचार किया जा रहा है

(ख) जी हां ।

(ङ) इस पर भी पुनर्विचार किया जा रहा है

श्री स० मो० बनर्जी : प्रश्न और उत्तर दोनों में ऐसा प्रतीत होता है कि सरकार के पास औद्योगिक प्रबन्ध पूल अधिकारियों की ओर से एक ज्ञापन आया है इन अफसरों की विशिष्ट मांगें क्या हैं और इस के बारे में सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

श्री हाथी : उन की मांग मुख्यतः यह है कि यह पुंज जारी रहना चाहिये और समाप्त नहीं किया जाना चाहिये ; वास्तव में प्रश्न पुंज को समाप्त करने का नहीं है परन्तु विस्तार के लिये हमें इन क्षेत्रों का प्रबन्ध करने वाले कर्मचारियों को उच्च स्तर पर और विभिन्न श्रेणियों में प्रशिक्षण देने की आवश्यकता होगी । अतः इस समूचे प्रश्न पर विचार किया जा रहा है कि किस प्रकार इस पुंज का पुनर्गठन किया जाय ।

श्री स० मु० बतर्जी : वह वशिष्ट पुंज सरकारी क्षेत्र भी तथी अन्य परियोजनाओं को अच्छे अफसर दने के लिए बनाया गया था । इस को समाप्त करने की क्या आवश्यकता अनुभव हुई है?

श्री हाथी : यह पुंज को समाप्त करने का प्रश्न नहीं है। मुख्य कठिनाइयां ये हैं, पहली, औद्योगिक प्रबंध पुंज के लिये चुना गया व्यक्ति एक विशिष्ट फैक्टरी या उद्योग के लिए बहुत अच्छा हो सकता है, परन्तु जब वह वहां से इस्पात या उर्वरक में जाता है तो उसे उत्पादन, प्रबन्ध तथा

अन्य बातों की कुछ और प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है हमारे, सरकारी क्षेत्र में, ये स्वायत्त निकाय हैं और वे अपनी ही पदालि का व्यक्ति लेना पसंद करेंगे । परन्तु इन सब प्रश्नों पर विचार करना होगा, कि क्या इसे वर्गवार करें या उद्योगवार आदि ।

श्री हरिश्चन्द्र माथुर: क्या सरकार ने इस मामले में सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के मतों का पता लगाया है ? उन की प्रतिक्रिया क्या है और उन्होंने क्या कठिनाइयां बताई हैं, क्योंकि सर्वाधिक उपक्रमों का नियंत्रण करने वाले राज्य मंत्री ने कुछ दिन पूर्व कहा था कि यह पुंज संतोषजनक नहीं होगा, और उन को पूर्ण स्वायत्तता तथा अपनी पदालि रखनी चाहिये ।

श्री हाथी : वास्तव में मैं ने यही बात कही है । इस मंत्रालय के मत जान लिये गये हैं । सरकारी क्षेत्र के कुछ उपक्रम यह अनुभव करते हैं कि उन के पास प्रशिक्षित पदालि होनी चाहिये न कि पुंज । ये परस्पर विरोधी मत हैं अतः हमें समस्त प्रश्न पर नये सिरे से विचार करना होगा ।

श्री सिंहासन सिंह : क्या सरकार को मालूम है कि जीवन बीमा निगम के मामले के दौरान ––अब श्री चागला जो यहां मंत्री के रूप में बैठे हैं, उस समय वह न्यायाधीश थे––उन्होंने कहा था कि आई-ए०एस तथा आई० सी० एस० अफसरों को सरकारी उपक्रमों में प्रभारी बना कर नहीं रखना चाहिये, और भिन्न औद्योगिक पुंज आरम्भ किये जाने चाहियें ? अब सरकार किन कारणों से इस के विपरीत सोच रही है और इस को आई० ए० एस० के साथ मिलाने का विचार कर रही है ?

श्री हाथी : प्रश्न औद्योगिक पदालि तथा आई० ए० एस० पदालि को मिलाने का नहीं है । समस्या यह है कि सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा व्यक्त की गई कठिनाइयों तथा, लोगों को भरती करने में आई हुई कठिनाइयों एवं सरकारी क्षेत्र के मुखिया नियुक्त करने के लिये लोगों को चुनने की कठिनाइयां और यह प्रश्न कि क्या पदालि क्षेत्रवार हो या उद्योगवार, क्या उन की भरती निचले स्तर पर की जाय और विभिन्न प्रकार के उद्योगों के लिये प्रशिक्षण दिया जाय, आदि प्रश्नों पर अब विचार किया जा रहा है

श्री रामनाथन् चेट्टियार : क्या औद्योगिक प्रबंध पुंज को अधिकारियों को भारत की प्रशासन पुंज के अधिकारियों के साथ मिलाने का विचार किया गया है ?

श्री हाथी : मैंने बताया है कि समूचा प्रश्न विचाराधीन है ।

श्री जोकीम आल्वा : क्या हम यह समझें कि समस्त योजना मूलतः असफल है ? आप ने औद्योगिक गृहों से ५०० रुपये और १५०० रुपये के बीच वेतन पाने वाले लोग भरती किये और उन को बहुत से आई ए० एस० तथा अन्य प्रशासनिक अधिकारियों के साथ मिलाया गया है, जिन का कोई औद्योगिक अनुभव नहीं है ।

श्री हाथी : प्रश्न पृष्ठभूमि का नहीं । गैरसरकारी क्षेत्रों से आये हुए लोगों को इसमें भरती किया गया है । किन्तु प्रश्न यह है कि यदि कोई व्यक्ति एक विशिष्ट प्रकार के उद्योग के लिये ठीक है हो सकता है वह अन्य प्रकार के उद्योग के लिये समान रूप से ठीक न हो और उस कार्य के लिये कुछ प्रशिक्षण देना होगा ––**(अन्तर्बाधा)**

श्री सिंहसन सिंह : क्या आई० ए० एस० अधिकारी सभी उद्योगों के लिये योग्य हैं ?

श्री कृ० चं० पन्त : मंत्री ने कुछ कठिनाइयां व्यक्त की हैं जिन के कारण इस योजना पर पुनः विचार करने की आवश्यकता अनुभव हुई। क्या पुर्जे के बनाये जाते समय इन कठिनाइयों का विचार नहीं किया गया था, और यदि हां, तो पुर्जे बनाने के पुनर्विचार का प्रश्न कैसे उत्पन्न होता है ?

श्री हाथी : उस समय क्योंकि सरकारी क्षेत्र के उपयुक्त उपक्रम थोड़े थे, यह कठिनाई नहीं आई, परन्तु बाद में ये कठिनाइयां सामने आईं।

राज्य शिक्षा मंत्रियों का सम्मेलन

+

***११४७. श्री धुलेश्वर मीना :**
श्री रामचन्द्र उलाका :

क्या शिक्षा मंत्री ४ दिसम्बर, १९६३ के तारांकित प्रश्न संख्या ३७१ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में नवम्बर, १९६३ में हुए राज्य शिक्षा मंत्रियों तथा उपकुलपतियों के सम्मेलन में पारित संकल्पों पर राज्य सरकारों तथा केन्द्र सरकार ने इस बीच विचार कर लिया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले ?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क) और (ख): केन्द्रीय सरकार द्वारा सम्मेलन की सिफारिशों को कार्यान्वित करने के लिये की गई कार्रवाइयां २६ तारीख १९६४ के अतारांकित प्रश्न संख्या ६१८ के उत्तर में बताई गई हैं। राज्य सरकारों तथा संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा की गई को दर्शाने वाला विवरण सभा पटल पर रखा जाता है। **[पुस्तकालय में रख दिया गया। देखिये संख्या एल० टी० २७६०।६४]** अभी कुछ राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के उत्तर नहीं आये।

श्री धुलेश्वर मीना : क्या केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों ने शिक्षा मंत्रियों तथा उप कुलपतियों के सम्मेलन द्वारा की गई सभी सिफारिशों को स्वीकार कर लिया है, यदि नहीं, तो क्या कारण हैं ?

श्री मु० क० चागला : विवरण में बताया गया है कि कौन सी सिफारिशें स्वीकार की गई हैं और किन राज्यों द्वारा तथा किस सीमा तक यह लम्बा विवरण है, जिस में सम्मेलन द्वारा पारित विविध संकल्प तथा विविध राज्यों द्वारा जिस सीमा तक कार्रवाई की गई है, वह दर्शाई गई है।

श्री धुलेश्वर मीना : विवरण में बताया है कि कुछ राज्य सरकारों ने उन संकल्पों पर कार्रवाई की गई है और कुछ राज्यों ने कोई कार्रवाई नहीं की। कुछ राज्यों द्वारा कार्रवाई न किये जाने के कारण क्या है ?

श्री मु० क० चागला : मुख्य कठिनाई धन की है। राज्य के पास इन निर्णयों को कार्यान्वित करने के लिये कई बार धन नहीं होता।

डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी : क्या, सभा पटल पर रखे गये विवरण में, उच्च स्तर शिक्षा और विश्वविद्यालय शिक्षा के क्षेत्र में अधिक एकरूपता लाने की आवश्यकता पर जोर दिया गया है, इस कारण क्या मंत्री जी का यह विचार है कि शिक्षा को समवर्ती विषय बनाने के लिये शीघ्र कार्रवाई की जानी चाहिये और यदि हां, तो किस सीमा तक, किस राज्य में तथा किस तिथि तक ?

श्री मु० क० चागला : यदि मा० सदस्य मुझे यह आश्वासन दे सकते हैं कि अधिकांश राज्य संविधानक मिंशोधन का समर्थन करेंगे तो मैं तुरन्त ऐसा संशोधन ले आऊंगा।

श्री सुबोध हंसदा : संकल्प संख्या २ का संबंध देश में लड़कियों की शिक्षा को बढ़ाने से संबंधित कार्रवाई से है । सरकार ने गृह कार्य मंत्रालय के परामर्श से इस दिशा में अग्रसर होने के लिये क्या कार्रवाई की है ?

श्री मु० क० चागला : मैं समझता हूं कि माननीय सदस्य महिला अध्यापकों संबंधी संकल्प का उल्लेख कर रहे हैं । हमके इस बारे में उन्सुक हैं । मुझे यह कहते हुए खेद है कि बहुत से राज्य लड़कियों की शिक्षा के बारे में पीछे रह गये हैं । हम राज्यों को याद दिला रहे हैं कि उन को अपना पूरा प्रयत्न करना चाहिये । असंतुलित समाज रखना खराबी है, परन्तु इस में भी कठिनाई धन की है ।

श्री भागवत झा आजाद : हाल ही में विश्वविद्यालयों की स्वायत्तता पर राज्यों की सरकारों द्वारा किये गये हस्तक्षेप की चुनौती को मुकाबला करने के लिये सरकार क्या करने का विचार करती है, यद्यपि इस के बारे में उप कुलपतियों ने अपनी आशंकाएं व्यक्त की थीं ?

श्री मु० क० चागला : जहां तक शिक्षा मंत्रालय का सम्बन्ध है यह विश्वविद्यालयों की स्वायत्तता में विश्वास करता है और स्वायत्तता को बनाये रखने के लिये अपना पूरा प्रयत्न कर सकता है ।

श्री ह० वेंकटासुब्बया : क्या अखिल भारतीय शिक्षा सेवा बनाने के लिये मंत्री का सुझाव राज्य सरकारों द्वारा स्वीकार कर लिया गया है और यह कब तक कार्य रूप में परिणत किया जा रहा है ?

श्री मु० क० चागला : प्रतिक्रिया उत्साहवर्धक है । मैं अगले सप्ताह शिक्षा मंत्रियों का सम्मेलन बुला रहा हूं, जिस में हमें कुछ ब्योरा तय करने की आशा है, जिस की योजना को कार्यान्वित करने से पहले आवश्यकता है ।

श्री शं० ना० चतुर्वेदी : क्या सरकार ने माध्यमिक स्कूलों में गैर सरकारी संस्थाओं और सरकार द्वारा सहायता प्राप्त संस्थाओं के वेतन मानों की बड़ी भारी विषमता के प्रश्न पर विचार किया है ?

श्री मु० क० चागला : जिस संकल्प के बारे में मुख्य प्रश्न पूछा गया है, वे विवरण में दिये गये हैं और मैं नहीं समझता कि इन संकल्पों में वेतन मानों के प्रश्न पर विचार किया गया है ।

Shri Tan Singh : I want to draw the attention of the hon. Minister towards first resolution given in the statement, which deals with making elementary education compulsory. The Minister has just now stated that the resolution could not be implemented for want of finances. What help will the central Govt. give to States for the purpose?

श्री मु० क० चागला : हम विविध पहलुओं में वित्तीय सहायता देते रहे हैं, उदाहरणार्थ अध्यापकों के वेतनों को बढ़ाने, इमारतें बनाने, होस्टल बनाने आदि में। परन्तु प्रारम्भिक शिक्षा का उत्तरदायित्व राज्यों का है । फिर समस्या स्कूलों की इमारतों, अध्यापकों, धन आदि की है, और यह वही समस्या है ।

जम्मू तथा काश्मीर में विस्फोट

\+

*११४८. **श्री ओंकार लाल बेरवा :**
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री बृजराज सिंह :
श्री कछवाय :
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
श्री भी० प्र० यादव :
श्री धवन :
श्री दी० चं० शर्मा :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत दो वर्षों में जम्मू तथा काश्मीर के सीमा क्षेत्रों में कितने विस्फोट हुए;

(ख) प्रत्येक क्षेत्र में उनके कारण धन जन की कितनी हानि हुई ; और

(ग) कितने मामलों में पता लगा कि विदेश से चोरी छिपे लाया गया विस्फोटक पदार्थ इस्तेमाल किया गया है और सामान्यतः यह विस्फोटक पदार्थ किन देशों से लाया गया था ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री हाथी) : (क) जम्मू तथा काश्मीर सरकार ने हमें सूचित किया है कि १९६२ से प्रारंभ होने वाली अवधि में, जम्मू तथा काश्मीर के विभिन्न भागों में विस्फोटों की संख्या ७२ है ।

(ख) इस अवधि में ६ व्यक्ति मारे गये और १७ घायल हुए । सैनिक ट्रकों, एक यात्री बस, पुलों, और पुलियों, इमारतों और टैलीफोन के खम्बों को हानि हुई ।

(ग) उन में से कुछ विस्फाटों की जांच करने पर पता चला है कि पाकिस्तान से आये हुए किन्हीं व्यक्तियों द्वारा विस्फोटक पदार्थ रखा गया था । जम्मू तथा काश्मीर सरकार ने हमें सूचित किया है कि कुछ मामलों में विस्फोटक पदार्थ मिले और उन पर पाकिस्तान में बनने के चिह्न थे । कितने मामलों में ऐसे चिह्न पाये गये, यह मालूम नहीं ।

635 (Ai) LSD—3.

Shri Onkar Lal Berwa: The Minister has stated that the number of persons killed is 9 or 10. May I know as to how many Indians have been beheaded since Pakistan announced the award of Rs. 100/- for presenting the head of an Indian.

Shri Hathi : I have no information.

Shri Onkar Lal Berwa : What action other than sending a protest has been taken to check the recorrence of such incidents?

Shri Hathi : Whatever action was necessary to restore peace has been taken by Govt. apart from sending a protest note.

श्री नाथ पाई : माननीय मंत्री ने बताया है कि ७२ विभिन्न अवसरों पर विस्फोट हुए और उन्होंने आगे बताया कि इन सभी अवसरों पर वे लोग पाकिस्तान से आये। क्या हम यह समझें कि हमारी सीमाएं से इतनी असुरक्षित हैं कि पाकिस्तानी लोग इस देश में आ जाते हैं और सुरक्षित लौट जाते हैं और भारत में घुस कर, सरकार की सुरक्षा संबंधी सतर्कता इतनी अधिक है कि उनके पहचाने जाने बिना इस प्रकार की कार्रवाइयां हो जाती है ?

श्री हाथी : मैं ने यह नहीं कहा कि सभी मामलों में यह स्थिति थी। राज्य सरकार ने हमें बताया है कि कुछ मामलों में विस्फोटक पदार्थ की जांच करने पर इन पर पाकिस्तान में बने होने के चिह्न पाये गये।

श्री नाथ पाई : फिर भी मेरे प्रश्न का उतर मिलना चाहिये। पाकिस्तानी कैसे अब तक जम्मू में आये और वे किस प्रकार चले गये और क्यों पकड़े नहीं गये?

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न इसी प्रकार सरल होना चाहिये।

श्री हाथी : वे किस प्रकार आये, कैसे इतनी हानि पहुंचा सके, यह ऐसा प्रश्न है, जिस की जांच की गई और बहुतेरे मामलों में जांच हुई और वे लोग गिरफ्तार किये गये।

श्री स० मो० बनर्जी : ये विस्फोट काश्मीर विधान सभा के स्थान के समीप हुए और विस्फोटक पदार्थ के कुछ टुकड़े अध्यक्ष के कक्ष में भी गये। क्या कोई जांच हुई है और यदि हां, तो कितने व्यक्ति गिरफ्तार किये गये हैं और क्या वे पाकिस्तानी राष्ट्रजन हैं ?

श्री हाथी : संभवत: माननीय सदस्य जम्मू के असेम्बली हाल के समीप की विस्फोटक घटना का उल्लेख कर रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : अध्यक्ष के समीप असेम्बली मैम्बर।

श्री हाथी : जांच चल रही है। मैं नहीं समझता कि कोई व्यक्ति गिरफ्तार किया गया है। पिछले महीने में पूंछ क्षेत्र में दो व्यक्ति गिरफ्तार किये गये थे।

प्रश्नों के लिखित उत्तर
WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

रूरकेला उर्वरक कारखाना

११३३. { **श्री महेश्वर नायक :**
श्री प्र० चं० बरुआ :

क्या पेट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रुरकेला उर्वरक कारखाने में गैस की सप्लाई की कमी के कारण उत्पादन में रुकावट हो रही है ; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं और स्थिति को ठीक करने के लिए क्या उपाय किये जा रहे हैं ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अलगेशन) : (क) जी,हां ।

(ख) कोयले में उड़ने वाले तत्व कम होने के कारण कोक ओवन गैस इस्पात संयंत्रों को सारा इंधन देने के लिये और उर्वरक संयंत्र की समूची क्षमता का उपयोग करने के लिये पर्याप्त मात्रा में हाइड्रोजन पैदा करने के लिये पर्याप्त नहीं है । रुरकेला में बनाई गयी कोक ओवन गैस के इस्तेमाल के प्रश्न की जांच करने के लिये एक विशेषज्ञ समिति नियुक्त किये जाने का प्रस्ताव है ।

जम्मू सोमा क्षेत्रों से परिवारों का हटाया जाना

***११३४. श्री प्र० चं० बरुआ :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मार्च, १९६४ में में जम्मू की सीमा के पार पाकिस्तानी फौज की गोलीबारी के बाद कितने परिवार हटाये गये ;

(ख) इस गोलीबारी में कितने आदमी मारे गये और घायल हुए ; और

(ग) क्या इन क्षेत्रों में अब स्थिति सामान्य हो गई है और यदि हां, तो कहां तक ?

गृह-कार्य मंत्री (श्री नन्दा) : (क) लगभग १७०० परिवार जिनमें ६००० व्यक्ति हैं ।

(ख) दो असैनिक मारे गये और एक बच्चा घायल हुआ ।

(ग) अब स्थिति सामान्य हो गयी है और निष्कासित व्यक्ति अपने अपने घरों को वापस चले गये हैं ।

अम्बाला जेल में एक संसद्-सदस्य के साथ दुर्व्यवहार

***११३८. श्री हरि विष्णु कामत :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री अम्बाला जेल में एक संसद्-सदस्य के साथ कथित दुर्व्यवहार के सम्बन्ध में २५ मार्च, १९६४ के तारांकित प्रश्न संख्या ७४७ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंजाब सरकार से प्रतिवेदन मिल गया है ;

(ख) यदि हां, तो उस की उपपत्तियां तथा निष्कर्ष क्या है ; और

(ग) क्या प्रतिवेदन की एक प्रति सभा पटल पर रखी जायेगी ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री हाथी) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग). १५ अप्रैल, १९६४ को मैं श्री हुकम चन्द कछवाय, संसद् सदस्य के, अम्बाला सेन्ट्रल जेल में उनके साथ किये गये दुर्व्यवहार के बारे में, आरोपों का एक विवरण और अम्बाला के जिलाधीश द्वारा की गई जांच से पता लगे तथ्यों और कथित जांच प्रतिवेदन की एक प्रति सभा पटल पर रख चुका हूं।

बाल अपराध

*११३९. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में बाल अपराध प्रवृत्ति को दूर करने की दृष्टि से एक विधान पुरस्थापित करने का कोई प्रस्ताव है ; और

(ख) यदि हां, तो उस का ब्योरा क्या है ?

शिक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती सौन्दरम रामचन्द्रन) : (क) और (ख). बाल अधिनियम, १९६० (वर्ष १९६० का संख्या ६०) में संघ राज्य-क्षेत्रों में उपेक्षित और अपराधी बच्चों की देखभाल, संरक्षण, पोषण, कल्याण, प्रशिक्षण, शिक्षा और पुनर्वास और अपराधी बच्चों पर मुकदमा चलाये जाने की व्यवस्था है। अधिकांश राज्यों ने भी ऐसे अधिनियम बनाये हैं। तथापि, इस समय देश भर में बाल अपराध रोकने के लिये विधान लागू करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

उत्तर प्रदेश-बिहार सीमा विवाद

*११४०. **श्री श्रीनारायण दास** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार और उत्तर प्रदेश राज्यों के बीच सीमा विवाद की जांच के लिये नियुक्त श्री सी० एम० त्रिवेदी ने अपना प्रतिवेदन पेश कर दिया है ; और

(ख) यदि हां, तो उन के प्रतिवेदन की मुख्य मुख्य बातें क्या हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री हाथी) : (क) जी, अभी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

Cheap British Text-Books

*1143. **Shrimati Johraben Chavda** :
Shri P. C. Borooah :

Will the Minister of **Education** be pleased to state:

(a) whether any agreement has been reached between his Ministry and a British book-publishing house for bringing out cheap text-books;

(b) if so, the nature of books to be published and the categories of people for whose benefit these would be published ; and

(c) the amount the Ministry propose to spend under this project?

The Minister of Education (Shri M.C. Chagla) : (a) An agreement has been reached in principle;

(b) The books will be mainly text-books intended for the benefit of the students.

(c) There is no financial liability on the part of the Government of India.

Pakistan Radio Broadcasts

***1146. Shri Prakash Vir Shastri :** Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Pakistan broadcasts an exaggerated account of ordinary happenings which occurred during communcal riots in India with a view to create tension;

(b) whether it is also a fact that there is no restriction in India on listening on playing Pakistan radio and it is played publicly and deliberately in many a place in the coyntry ; and

(c) whether Government propose to impose some restrictions in that regard ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Hathi) : Instances of such Pakistan Radio broadcasts have come to our notice.

(b) Since there is no restriction in India in this regard, such broadcast can be played publicly and the question whether such playing is deliberate, therefore, does not arise.

(c) No such proposal is under consideration at present.

जैसलमेर में तेल

*११४६. **डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी :**
श्री तन सिंह :

क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जैसलमेर में तेल की खोज किस प्रक्रम पर है ; और

(ख) क्या यह आशा है कि फ्रांसीसी पेट्रोलियम संस्था के साथ किए गए सहयोग करार की अवधि में खोज कार्य पूरा हो जायगा ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री हुमायून् कबिर) : (क) और (ख). भूतत्वीय मानकीयकरण और भार और चुम्बकीय सर्वेक्षण लगभग पूरे हो गये हैं । क्रमबद्ध भूकम्पीय सर्वेक्षण केवल चालू क्षेत्र सीज़न में ही आरम्भ किये गये थे और वे चल रहे हैं। संरचनात्मक छिद्रण कार्य अगले कुछ महीनों में आरम्भ किये जाने की सम्भावना है और खोज कार्य को वर्तमान ठेके की अवधि के बाद भी जारी रखा जा सकता है ।

नया विश्वविद्यालय

*११५०. **श्री राम चन्द्र उलाका :**
श्री धुलेश्वर मीना :

क्या शिक्षा मंत्री १२ फरवरी, १९६४ के तारांकित प्रश्न संख्या ५३ के उत्तर के सम्बन्ध में

यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नये विश्वविद्यालय की स्थापना सम्बन्धी समिति का अन्तिम प्रतिवेदन इस बीच सरकार को मिल गया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

चिट फंड कम्पनियों द्वारा धोखाधड़ी

***११५१. श्री प्र० चं० बरुआ :** क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान ४ अप्रैल, १९६४ के 'टाइम्स आफ इण्डिया' में प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है जिसमें बताया गया है कि दिल्ली में मी चिट फण्ड कम्पनियों तथा चिट कमेटियों द्वारा लगभग २,१०० व्यक्तियों को धोखा दिया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो इन कम्पनियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री हाथी) : (क) जीं, हां।

(ख) भारतीय दण्ड संहिता के अन्तर्गत चिट फण्ड कम्पनियों के विरुद्ध ९ मामले दर्ज किये गये हैं।

विश्वविद्यालयों का व्यय

२३५१. श्री सिद्धेश्वर प्रसाद : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष १९६१–६२ में चार केन्द्रीय विश्वविद्यालयों के आवर्ती व्यय के पृथक पृथक आंकड़े क्या हैं ; और

(ख) चार केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में से प्रत्येक में प्रति व्यक्ति कितना व्यय हुआ ?

शिक्षा मंत्री (श्री मु०क० चागला): (क) और (ख). जानकारी एकत्र की जा रही है और यथा समय सभा पटल पर रख दी जायेगी।

समान प्रवेश आवश्यकताएं[1]

२३५२. श्री सिद्धेश्वर प्रसाद : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अखिल भारत राज्य स्तर पर प्रवेश आवश्यकताओं को समान बनाने की दिशा में कोई प्रयत्न किया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस का क्या ब्यौरा है और इस के लिये क्या व्यवस्था की गयी है ?

[1]Uniform Entrance requirements

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क) जी, हां।

(ख) अपेक्षित जानकारी संलग्न विवरण में दी गयी है। [पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० २७६१।६४]

Inter-University Board Meeting

2353. **Shri Sidheshwar Prasad :** Will the Minister of **Education** be pleased to refer to the reply given to Starred Question No. 417 on the 4th March, 1964 and state :

(a) whether the proceedings of the Thirty Ninth Meeting of the Inter-University Board have since been received;

(b) if so, the main points contained therein; and

(c) the steps, if any, being taken to implement the decisions, taken in the above meeting?

The Minister of Education (Shri M. C. Chagla) : (a) No, Sir.

(b) and (c). Do not arise.

सरकारी शारीरिक शिक्षा कालिज, जोधपुर का डिप्लोमा

२३५४. **श्री तन सिंह** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी शारीरिक शिक्षा कालिज, जोधपुर द्वारा दिये गये डिप्लोमा अथवा प्रमाणपत्र को, इस के आरम्भ के समय से रोजगार के लिये मान्यता प्रदान कर दी गयी है ; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

शिक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (श्री भक्तदर्शन):(क) भारत सरकार ने सरकारी शारीरिक शिक्षा कालिज, जोधपुर के शारीरिक शिक्षा सम्बन्धी डिप्लोमा और प्रमाणपत्र पाठ्यक्रमों को मान्यता प्रदान की हुई है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

बिहार की शिक्षा योजनाएं

२३५५. **श्रीमती रामदुलारी सिन्हा** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार में वित्तीय कठिनाई के कारण तृतीय पंचवर्षीय योजना में किस हद तक शिक्षा सम्बन्धी कार्यक्रम प्रभावित हुए हैं ; और

(ख) बिहार सरकार को तृतीय पंचवर्षीय योजना के पूरे शिक्षा लक्ष्यों को पूरा करने देने के लिये क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क) मुख्यतः प्राथमिक स्तर पर, जिसमें दर्ज संख्या में छः लाख की कमी की आशा है, अतिरिक्त पंजीयन के लक्ष्यों में कमी की गयी है।

(ख) प्राथमिक शिक्षा के कार्यक्रमों के लिये शीघ्र केन्द्रीय सहायता के अन्तर्गत वर्ष १९६३–६४ में राज्य को अतिरिक्त अध्यापकों की नियुक्ति के लिये २० लाख रुपये मंजूर किये गये हैं ताकि यह अतिरिक्त पंजीयन के अपने लक्ष्यों को पूरा कर सके।

दिल्ली में पोलीटेक्नीक

२३५६. { श्री यशपाल सिंह :
श्री भागवत झा आजाद :

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय दिल्ली में जो पोलीटेक्नीक चल रहे हैं उन के क्या नाम हैं और वे कहां स्थित हैं ;

(ख) क्या यह सच है कि शिक्षा वर्ष १९६४–६५ में प्रत्येक में विद्यार्थियों के प्रवेश की संख्या बढ़ायी जा रही है ; और

(ग) यदि हां, तो हर पोलीटेक्नीक में प्रथम वर्ष की कक्षाओं के लिये कितने स्थान उपलब्ध होंगे ?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला): (क) दिल्ली पोलीटेक्नीक के अतिरिक्त, जिस को इंजीनियरिंग कालिज में बदला जा रहा है और अब इसमें डिग्री स्तर के पाठ्यक्रमों के लिये विद्यार्थियों को दाखिल किया जा रहा है, इस समय निम्नलिखित पोलीटेक्नीक चल रहे हैं :

१. जी० बी० पन्त पोलीटेक्नीक, ओखला, नई दिल्ली ।

२. पूसा पोलीटेक्नीक, पूसा, नई दिल्ली ।

३. विमेन्स पोलीटेक्नीक, दयाल सिंह पुस्तकालय भवन, राउज़ एवेन्यू, नई दिल्ली ।

(ख) उपरोक्त तीन पोलीटेक्नीकों में से दो में विद्यार्थियों के प्रवेश की संख्या बढ़ाने का प्रस्ताव है ।

(ग)	१. जी० बी० पन्त पोलीटेक्नीक . .	३६०
	२. पूसा पोलीटेक्नीक .	३००
	३. विमेन्स पोलीटेक्नीक	१८०

इसके अतिरिक्त १२० विद्यार्थियों के एक नया पोलीटेक्नीक खोलने के बारे में प्रस्ताव सरकार के सक्रिय विचाराधीन है ।

दिल्ली के स्कूल अध्यापकों के लिये त्रि-लाभ योजना

२३५७. **श्री इ० मधुसूदन राव** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार दिल्ली में सरकारी और गैर-सरकारी हायर सेकेंडरी स्कूलों में काम करने वाले अध्यापकों को भविष्य निधि, निवृत्ति-वेतन और उपदान——तीन लाभ देने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है ;

(ख) यदि हां, तो योजना की मुख्य बातें क्या हैं और सरकारी और गैर-सरकारी स्कूलों में पृथक् पृथक् इस योजना के अन्तर्गत कितने अध्यापकों को लाभ होगा ; और

(ग) इस मामले में क्या अन्तिम निर्णय किया गया है ?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला): (क) जी, हां। सहायता प्राप्त स्कूलों के अध्यापकों के लिये।

सरकारी स्कूलों के अध्यापकों पर अन्य केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों पर लागू निवृत्ति-वेतन योजना लागू है।

(ख) इस योजना का उद्देश्य निवृत्ति-वेतन और उपदान के बारे में सहायता-प्राप्त स्कूलों के सभी अध्यापकों को भी सरकारी स्कूलों के अध्यापकों की तरह सामाजिक सुरक्षा देना है।

(ग) अभी अन्तिम रूप से कोई निर्णय नहीं किया गया है।

दिल्ली में सेवानिवृत्त स्कूल-अध्यापक

२३५८. श्री इ० मधुसूदन राव : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में सरकारी हायर सैकेंडरी स्कूलों में काम करने वाले ऐसे अध्यापकों की क्या संख्या है जो १ जनवरी, १९६३ से ५८ वर्ष की आयु प्राप्त करने से पहले सामान्य परिस्थिति में सेवा-निवृत्त हुए हैं ; और

(ख) दिल्ली में गैर सरकारी हायर सेकेंडरी स्कूलों में काम करने वाले इसी प्रकार सेवा-निवृत्त हुए अध्यापकों की क्या संख्या है ?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क) कोई नहीं।

(ख) दो।

नवागांव में नये परीक्षण कूप

२३५९. **श्री सुबोध हंसदा** :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री सुधांशु दास :
श्री महेश्वर नायक :

क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात के नवागांव क्षेत्र (बंजा तेल क्षेत्र) में नये परीक्षण कूपों का छिद्रण किया जा रहा है ;

(ख) यदि हां तो छिद्रत कूपों की क्या संख्या है ; और

(ग) छिद्रण का क्या परिणाम निकला ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री हुमायून् कबिर) : (क) जी, हां।

(ख) ३१-३-६४ तक तीन कूप पूरे किये गए हैं। दो नये छिद्रों का छिद्रण किया जा रहा है।

(ग) प्राथमिक परीक्षण के दौरान दो कूपों में तेल मिला है जबकि तीसरे का अभी परीक्षण किया जाना है।

Teachers in Private Schools

2360. Shri Sidheshwar Prasad :
Shri Kappen :
Shri A. N. Vidyalankar :

Will the Minister of **Education** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that a proposal to bring forth a Bill for safeguarding interests of teachers in private schools is under consideration;

(b) if so, the main features of the proposed Bill; and

(c) when the Bill is likely to be introduced in Parliament?

The Minister of Education (Shri M .C. Chagla) : (a) Yes, Sir.

(b) The proposed Bill is still in examination stage.

(c) As soon as the necessary procedures are completed and the bill is ready for being brought before the Parliament.

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्था, कानपुर

२३६१. **श्री श० ना० चतुर्वेदी :** क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्था, कानपुर में नियुक्त अध्यापकों के वेतन और अर्हतायें क्या हैं ; और

(ख) उपरोक्त अध्यापकों को चुनने का क्या तरीका है और चयन निकाय में कौन कौन व्यक्ति हैं ?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला): (क) और (ख) जानकरी एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जातियों का कल्याण

२३६२. **श्री विश्वनाथ पांडेय :** क्या गृह-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार द्वारा वर्ष १९६२–६३ में १९६३–६४ में अनुसूचित जातियों के कल्याण के लिये उत्तर प्रदेश को कुल कितनी रकम आवंटित की है ; और

(ख) इन वर्षों में राज्य सरकार को वास्तव में कितना धन दिया गया ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती चन्द्रशेखर) : (क) २८९.८१ लाख रुपये।

(ख) २०२.४५ लाख रुपये।

उत्तर प्रदेश में विश्वविद्यालयों को सहायता

२३६३. श्री विश्व नाथ पाण्डेय :
श्री सरजू पाण्डेय :

क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा उत्तर प्रदेश में विभिन्न विश्वविद्यालयों को कितना अनुदान दिया गया और यह अनुदान किस प्रयोजन के लिये दिया गया और तीसरी पंचवर्षीय योजना में यह कब दिया गया ;

(ख) क्या यह सच है कि कुछ विश्वविद्यालयों ने धन की कमी के कारण विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा निर्धारित वेतन-स्तर लागू नहीं किये हैं ;

(ग) क्या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा उत्तर प्रदेश में विश्वविद्यालयों से सम्बद्ध कालिजों को भी अनुदान दिये गये हैं ; और

(घ) यदि हां, तो तीसरी पंचवर्षीय योजना में कब अनुदान दिया गया, कालिजों के क्या नाम हैं, प्रत्येक को कितनी धनराशि दी गयी और यह किस प्रयोजन के लिये दी गयी ?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क) और (घ) अपेक्षित जानकारी वाले विवरण संलग्न हैं। **[पुस्तकालय में रखे गये। देखिये संख्या एल० टी० २७६२/६४]**

(ख) जी, नहीं।

(ग) जी, हां।

उत्तर प्रदेश को सांस्कृतिक अनुदान

२३६४. **श्री विश्व नाथ पाण्डेय** : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश सरकार को वर्ष १९६३–६४ में सांस्कृतिक योजना के लिये कोई अनुदान दिया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो योजनाओं का ब्यौरा क्या है और अब तक प्रत्येक को कितना अनुदान दिया गया है ?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क) जी, हां।

(ख) दिये गये अनुदानों का ब्यौरा निम्न प्रकार है :

(१) सांस्कृतिक दलों के अन्तर्राज्यीय तबादले के लिये २००० रुपये।

(२) अग्रिम क्षेत्रों में सशस्त्र बलों के मनोरंजन के लिये सांस्कृतिक दलों के लिये ४५०० रुपये।

(३) ग्रामीण क्षेत्रों में खुले थियेटरों के लिये ६८०० रूपये।

(४) संग्रहालयों के पुनर्गठन और विकास के लिये २,३२,४३२ रुपये।

(५) स्वतन्त्रता संग्राम में भाग लेने वाले व्यक्तियों की 'परिचर्यावलि'[1] तैयार करने के लिये ६००० रुपये।

मैट्रिक के बाद की छात्रवृत्तियां

२३६५. **श्री विश्व नाथ पाण्डेय** : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष १९६३–६४ में उत्तर प्रदेश में मैट्रिक के बाद अध्ययन के लिये अनुसूचित जातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के विद्यार्थियो को कुल कितनी छात्रवृत्तियां दी गयी हैं ; और

(ख) वर्ष १९६३–६४ में उत्तर प्रदेश राज्य से उनके लिये कुल कितने विद्यार्थियों ने आवेदन किया ?

[1]Who's who

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क)

	(१)	अनुसूचित जातियां	१७,५८३
	(२)	अन्य पिछड़े वर्ग	३,४०२
(ख)	(१)	अनुसूचित जातियां	१७,७६४
	(२)	अन्य पिछड़े वर्ग	६,४५१

दून घाटी में तेल के निक्षेप

२३६६. **श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :**
श्री नि० रं० लास्कर :
श्री विश्व नाथ पाण्डेय :
श्री विश्व नाथ राय :
श्री ओंकारलाल बेरवा :
श्री रामहरख यादव :
श्री मुरली मनोहर :

क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि हिमालयवर्ती क्षेत्र और तराई क्षेत्र में सर्वेक्षण से दून घाटी में अधिक तेल निक्षेपों के किस हद तक पाये जाने के बारे में पता चला है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री हुमायून् कबिर) : हिमालयवर्ती क्षेत्र और तराई क्षेत्र में सर्वेक्षण जारी है और अभी तेल की सम्भावना ओं का निश्चिय मूल्यांकन करना सम्भव नहीं हो सका है।

Awards to Teachers

2367. **Shri Vishwa Nath Pandey :** Will the Minister of **Education** be pleased to state :

(a) the number of teachers who have been given awards by the Central Government during the last four years from 1960-61 to 1963-64; and

(b) the State-wise break-up thereof?

The Minister of Education (Shri M. C. Chagla): (a) 326 teachers received the awards as under :—

1960-61	71
1961-62	85
1962-63	85
1963-64	85
Total . .	326

(b) A statement is placed on the Table of the Lok Sabha. [*Placed in Library*. See *No. L.T.* 2763/64].

पोर्ट ब्लेयर में वार्डों का परिसीमन

२३६८. श्रीमती सावित्री निगम : क्या **गृह-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पोर्ट ब्लेयर नगरपालिका क्षेत्र के वार्डों का इस प्रकार परिसीमन करने के क्या कारण हैं कि सबसे बड़े वार्ड में वर्ष १९६४ की मतदाता सूची के अनुसार लगभग २००० मतदाता हैं और सबसे छोटे वार्ड में लगभग ५०० मतदाता हैं ; और

(ख) क्या सरकार अगले नगरपालिका चुनावों से पूर्व वार्डों का फिर से परिसीमन करेगी ताकि हरेक में मतदाताओं की संख्या लगभग बराबर हो जाये ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री हाथी) : (क) नगरपालिका बोर्ड के वार्डों का वर्ष १९५७ में तब की स्थिति को देखते हुए परिसीमन किया गया था ।

(ख) जी, हां । नगरपालिका बोर्ड के अगले चुनाव अप्रैल, १९६५ में होंगे और तब तक प्रशासन का प्रस्ताव नगरपालिका वार्डों का फिर से परिसीमन करना है ।

गोवा में उर्वरक कारखाना

२३६९. श्री प्र० चं० बरुआ : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गोआ में एक उर्वरक कारखाना स्थापित करने के प्रस्ताव में कितनी प्रगति हुई है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री अलगेशन) : गोआ में अमोनियम फोस्फेट के उत्पादन के लिये एक उर्वरक कारखाना स्थापित करने के लिये एक गैर सरकारी पक्ष के आवेदन पत्र पर विचार किया गया और सिद्धान्ततः उसको स्वीकार्य पाया गया । इनको स्वीकृति पत्र भेजा जा रहा है ताकि यह पक्ष लाइसेंस दिये जाने से पूर्व योजना के सभी ब्यौरों को अन्तिम रूप दे सके ।

वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद्

२३७०. श्री रा० बरुआ : क्या **शिक्षा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वैज्ञानिक और औद्योगिकरण अनुसन्धान परिषद् में निदेशकों, उपनिदेशकों और सहायक निदेशकों के पदों की नियुक्ति में कोई निश्चित नीति अपनायी जाती है ;

(ख) क्या इन पदों पर हाल में की गयी पदोन्नतियां और नियुक्तियां उपयुक्त विज्ञापन देकर की गयीं ; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार सभा पटल पर एक विवरण रखेगी जिसमें पिछले छः महीनों में की गयी ऐसी पदोन्नतियों और नियुक्तियों का ब्यौरा हो ?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क) नीति यह है कि निदेशकों के पद के लिये विज्ञापन नहीं दिये जाते । अन्य पदों को सामान्यतः विज्ञापित किया जाता है लेकिन इस पर एक योग्य वैज्ञानिक को रखा जा सकता है लेकिन तब जबकि इस पद को विज्ञपित किया जाये और व्यक्ति को तदर्थ आधार पर नियुक्त किया जाये जब तक कि वह अन्यों के साथ बाद की तिथि को एक चयन समिति के समक्ष पेश न हो जाये ।

(ख) पिछले छः महीनों में उपरोक्त भाग (क) की व्यवस्था के अनुसार नियुक्तियां की गयीं। उप निदेशक की श्रेणी में एक मामले में पदोन्नति की गयी जहां कि एक वृत्ति भोगी का पद ऊंचा किया गया।

(ग) सभा पटल पर एक विवरण रखा जाता है जिसमें १-१०-१९६३ से ३१-३-१९६४ तक की अवधि में निदेशक उप-निदेशक और सहायक निदेशकों के पदों पर की गयी नियुक्तियों के बारे में बताया गया है। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० २७६४/६४]**

सैन्ट्रल जेल में विदेशी राष्ट्रजन

२३७१. श्री स० मो० बनर्जी : क्या गृह-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कितने विदेशी राष्ट्रजनों को सेंट्रल जेल नयी दिल्ली में सजा दी गयी है या कैद करके रखा गया है और उनमें से कितने 'बी' और 'सी' क्लास में हैं।

(ख) क्या विदेशी राष्ट्रजनों को पाश्चात्य भोजन दिया जाता है ; और

(ग) क्या उन भारतीयों को भी जो पाश्चात्य भोजन चाहते हैं, वैसा भोजन दिया जाता है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती चन्द्रशेखर): (क) विदेशी राष्ट्रजनों की संख्या १२

'बी' क्लास . . २

'सी' क्लास . . . १०

(ख) जी हां, केवल उन्हीं को जो पाश्चात्य भोजन के आदी हैं।

(ग) जी हां केवल उन्हीं को जो वास्तव में पाश्चात्य भोजन के आदी हैं।

सहायकों[1] की वरिष्ठता

२३७२. { श्री स० मो० बनर्जी :
श्री हुक्म चन्द कछवाय :

क्या गृह-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सचिवालय के सहायकों की ओर से, उनकी वरिष्ठता गलत निर्धारित किये जाने के सम्बन्ध में, कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुए थे ;

(ख) यदि हां, तो क्या इलाहाबाद उच्च न्यायालय के ३ जनवरी, १९६४ के निर्णय के आधार पर उन के सम्बन्ध में कोई कार्रवाई की गयी थी ; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण थे ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ल० ना० मिश्र): (क) से (ग). अभी हाल में इलाहाबाद उच्च न्यायालय के निर्णय का निर्देश करने वाले कुछ अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं। उन पर विचार हो रहा है।

[1]Assistants.

देहरादून में पाया गया बम

२३७३. { **श्री यशपाल सिंह :**
श्री स० मो० बनर्जी :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या १५ मार्च, १९६४ को देहरादून में सर्वे आफ इंडिया कार्यालय के पास एक बम पाया गया था ;

(ख) क्या किसी जांच पड़ताल का आदेश दिया गया है ; और

(ग) क्या किसी मुजरिम को गिरफ्तार किया गया है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री हाथी) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते।

विभागीय उपहार-गृह

२३७४. श्री अ० सिं० सहगल : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उनके मंत्रालय की कर्मचारी परिषदों के निर्वाचित सदस्यों को विभागीय उपाहार गहों के प्रबन्ध में सम्बद्ध नहीं किया जाता ;

(ख) क्या विभागीय उपहार गृहों में नियुक्त सरकारी कर्मचारियों को कोई परिलब्धियां दी जाती हैं ; और

(ग) यदि हां, तो ऐसे सरकारी कर्मचारियों को कुल कितनी परिलब्धियां दी गयी हैं ?

गृव-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती चन्द्रशेखर) : (क) जी नहीं। उनके प्रतिनिधि होते हैं।

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

अखिल भारतीय सेवा पदाधिकारी

२३७५. श्री हरिश्चन्द्र माथुर : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अखिल भारतीय सेवा के कौन कौन से ऐसे पदाधिकारी हैं जो ५५ वर्ष की उम्र में सेवा निवृत्त हुए हैं और जिन्हें ५८ वर्ष तक सेवानिवृत्ति की आयु में वृद्धि का लाभ नहीं दिया गया है ;

(ख) उनके मामलों की छानबीन किस प्रकार की गयी थी ;

(ग) क्या संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया गया था ?

(घ) ५५ वर्ष की उम्र में ऐसी सेवानिवृत्ति के कितने मामले विचाराधीन हैं ; और

(ङ) कितने लोग ५५ वर्ष की आयु सीमा पार कर चुके हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) : (क) एक पदाधिकारी श्री ए० आर० खां (आई० पी० एस०—उत्तर प्रदेश) नोटिस की अवधि समाप्त होने के बाद सेवानिवृत्त हुआ है।

एक दूसरे पदाधिकारी श्री वाई० भार्गव (आई० ए० एस०—मध्य प्रदेश) को भी नोटिस दी गयी है जिसके अनुसार नोटिस की अवधि समाप्त होने के बाद उसे १० जुलाई, १९६४ को सेवा निवृत्त होना पड़ेगा।

(ख) राज्य सरकारों ने ५५ वर्ष की उम्र तक पहुंचने वाले अफसरों के मामलों पर विचार किया और उन्हें नोटिस देने के लिए जिसके अनुसार उन्हें सेवानिवृत्त होना पड़ेगा, भारत सरकार की स्वीकृति मांगी है। भारत सरकार ने उन मामलों पर विचार किया और उन पर स्वीकृति दी।

(ग) जी नहीं।

(घ) १९ अप्रैल, १९६४ को एक मामला।

(ङ) ३१–३–१९६४ को आई० ए० एस० में ७२ अफसर और आई० पी० एस ० में ३६ अफसर थे जिनकी उम्र ५५ वर्ष से ज्यादा थी ।

विदेशी मुद्रा विनियमों का उल्लंघन

२३७६. **श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इ० एम० सी० कम्पनी, जेसोंर रोड, डमडम, पश्चिम बंगाल तथा उसकी सहायक कम्पनियों द्वारा विदेशी मुद्रा विनियमों के उल्लंघन और तथाकथित भ्रष्टाचार की जांच पूरी हो चुकी है ;

(ख) यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं ;

(ग) जांच किस दिशा में है ; और

(घ) क्या कोई अभियोग लगाये गये हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हाथी)

(क) बिजली बोर्डों के प्रति तथाकथित धोखा धड़ी सम्बन्धी मामलों की जांच विशेष पुलिस तिष्ठान पूरा कर चुका है।

विदेशी मुद्रा विनियमों के तथाकथित उल्लंघन के सम्बन्ध में, प्रतिवर्ष निदेशालय विदेशी मुद्रा विनिमय अधिनियम के अनुसार न्यायनिर्णय कार्यवाही पहले ही आरम्भ कर चुका है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) और (घ) मामलों की जांच-पड़ताल विशेष पुलिस प्रतिष्ठान बहुत पहले ही पूरा कर चुका है। एक मामले में जबलपुर के स्पेशल मजिस्ट्रेट की अदालत में उस कम्पनी और उसके सात पदाधिकारियों पर भारतीय दंड संहिता की धारा ५११ के साथ पठित धारा १२०-ख, ४२०, ४६८, ४७१, १०९, ११६ और ४२० के अधीन अभियोग लगाया गया था। एक दूसरे मामले में उस कम्पनी और चार पदाधिकारियों के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा ४२० के साथ पठित धारा १२०-ख और आयात-निर्यात नियंत्रण अधिनियम, १९४७ की धारा ५ और भारतीय दंड संहिता ४२० के अधीन आयात निर्यात के उप मुख्य नियंत्रक ने शिकायत दर्ज की है।

न्यायालयों ने अभी तक अभियोग नहीं लगाये हैं ।

इलेक्ट्रोलागिंग यूनिट

२३७७. श्री राम हरख यादव : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तेल और प्राकृतिक गस आयोग, देहरादून देश में पहला इलेक्ट्रोलागिंग यूनिट (बिजली से लट्ठे काटने का यंत्र) तैयार करने में सफल हुआ है ; और

(ख) यदि हां, तो भारतीय व्यापार और अर्थ-व्यवस्था पर उसका क्या प्रभाव पड़ा है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री हुमायून् कबिर) : (क) तेल और प्राकृतिक गैस आयोग ने प्रयोगात्मक आधार पर कुछ औजारों का एक सेट जो इलेक्ट्रोलागिंग यूनिट का एक अंग होगा, तैयार किया है। अभी इन औजारों का परीक्षण बाकी है।

(ख) इन औजारों का परीक्षण हो जाने और उन्हें संतोषजनक समझे जाने के बाद, देश में उनका उत्पादन आरम्भ किया जायेगा जिससे विदेशी मुद्रा की बचत होगी ।

उड़ीसा में मैट्रिक से पहले की छात्रवृत्तियां

२३७८. श्री रामचन्द्र उलाका :
श्री धुलेश्वर मीना :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा सरकार ने १९६३–६४ में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के लिए मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्तियों के अधीन दी जाने वाली रकम बढ़ाने के लिए केन्द्रीय सरकार से प्रार्थना की है ; और

(ख) यदि हां, तो उस बारे में सरकार की क्या राय है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती चन्द्रशेखर) : (क) जी, हां ।

(ख) १९६३–६४ में योजना के लिए राज्य सरकार द्वारा प्रस्तावित १६.०० लाख रुपये की पूरी पूरी रकम (८ लाख रुपया अनसूचित जातियों और ८ लाख रुपया अनुसूचित आदिम जातियों के लिए) मंजूर की जा चुकी है ।

महाराष्ट्र के आदिवासी

२३७९. श्री दे० शि० पाटिल : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र प्रदेश आदिवासी सेवा मंडल के तत्वावधान में आदिवासियों का एक शिष्टमंडल २७ नवम्बर, १९६३ को उनसे मिला था और उसने एक ज्ञापन प्रस्तुत किया था ;

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ग) उस पर क्या कार्यवाही की गयी ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती चन्द्रशेखर) : (क) जी हां ।

(ख) मुख्य बातें इस प्रकार हैं :—

(१) अनुसूचित आदिम जातियों के लिए एक अलग आयुक्त होना चाहिये ; और

(२) अनुसूचित आदिम जातियों की सूची का, विशेषकर विदर्भ प्रदेश की, संशोधन

(ग) अनुसूचित आदिम जातियों के लिए बिलकुल अलग एक आयुक्त होना चाहिये या नहीं इस प्रश्न की भली भांति छानबीन की गयी थी और यह समझा गया कि अलग आयुक्त की आवश्यकता नहीं है। अनुसूचित आदिम जातियों की सूचियां संशोधित करने का विषय विचाराधीन है। इस सम्बन्ध में लोक सभा के १२ फरवरी, १९६४ के तारांकित प्रश्न संख्या ५७ के उत्तर की ओर ध्यान आकृष्ट किया जाता है ।

लड़कियों के लिये पोलिटेकनिक

२३८०. **श्री गोकुलानन्द महन्ती :** क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्वी क्षेत्र (बिहार, उड़ीसा और आसाम) में चार स्थानों पर लड़कियों के लिए पोलिटेकनिक्स स्थापित करने की योजना पर विचार हो रहा है ; और

(ख) यदि हां, तो योजना का ब्यौरा क्या है ?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क) और (ख) बिहार, उड़ीसा और आसाम की तीसरी पंचवर्षीय योजना में लड़कियों के चार पोलिटेकनिक खोलने की व्यवस्था की गयी है। उस बारे में विस्तृत योजनाएं जिनमें उन स्थानों का भी उल्लेख होगा जहां कि वे स्थापित किये जायेंगे, अभी राज्य सरकारों से प्राप्त नहीं हुई हैं।

हरिजनों का कल्याण

२३८१. **श्री यशपाल सिंह :**
श्री विश्राम प्रसाद :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हरिजनों की दशा सुधारने के लिये अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के अखिल भारतीय संघ ने सरकार को कोई ज्ञापन प्रस्तुत किया है ;

(ख) यदि हां, तो उनकी मुख्य मांगें क्या हैं ; और

(ग) उन पर क्या कार्यवाही की जाने वाली है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती चन्द्रशेखर) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) विवरण संलग्न है।

[पुस्तकालय में रखा गया। कृपया देखिये संख्या एल० टी० २७६५/६४]

दिल्ली में भवन निर्माण समितियां

२३८२. { **श्री बृजराज सिंह :**
श्री बड़े :
श्री हुक्म चन्द कछवाय : }

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में कितनी भवन-निर्माण सहकारी समितियां हैं ;

(ख) कितनी समितियों को जमीन दी गयी है ; और

(ग) बाकी समितियों को जमीन संभवतः कब तक दी जाने वाली है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) : (क) २८२।

(ख) १८।

(ग) १४ भवन निर्माण सहकारी समितियों को जमीन दी गयी है लेकिन उन्हें कब्जा नहीं दिया गया है क्योंकि उन्होंने प्रीमियम नहीं अदा की है।

अन्य २३ भवन निमाण सहकारी समितियों के लिए ११० एकड़ जमीन साफ की जा रही है और वह पूरा हो जाने के बाद ही भूखंडों का कब्जा दिया जायगा।

११३ समितियों से यह पूछा गया है कि क्या वे उन क्षेत्रों में जहां अगले ५ से १० वर्ष के अन्दर नगरपालिका की सेवाएं नहीं दी जा सकेंगी, अधिक रिक्त भूखंड लेना पसन्द करेंगी ; बाकी समितियों से भी यही पूछा जा रहा है।

हजरतबल के पवित्र बाल की चोरी के मामले के लिए न्यायाधीश

२३८३. **श्री हरि विष्णु कामत :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री २५ मार्च, १९६४ के तारांकित प्रश्न संख्या ७५३ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जम्मू और कश्मीर सरकार से हजरत बल के पवित्र बाल की चोरी के मामले में निर्णय देने के लिये किसी न्यायाधीश की सेवाओं के लिये प्रार्थना प्राप्त हुई है ; और

(ख) यदि हां, तो उस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री हाथी) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

Ammonium Chloride Fertilizers

2384. { **Shri Bal Krishna Singh :**
Shri Bishwanath Roy :
Shri Rajdeo Singh : }

Will the Minister of **Petroleum and Chemicals** be pleased to state :

(a) the number and names of factories that are engaged in the production of ammonium chloride fertilizers;

(b) whether these factories produce ammonium chloride fertilizers in the form of powder which is injurious to the plants and not in crystal form; and

(c) if so, the steps being taken by Government in this connection?

The Minister of State in the Ministry of Petroleum and Chemicals (Shri Alagesan): (a) One. Sahu Chemicals Soda Ash Factory at Varanasi.

(b) Produced in crystal form.

(c) Does not arise.

अन्दमान और निकोबार द्वीप समूह के लिए मंत्रणा समितियां

२३८५. **श्रीमती सावित्री निगम :** क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अन्दमान और निकोबार द्वीपसमूह के लिए गृह मंत्री की मंत्रणा समिति और मुख्य आयुक्त की मंत्रणा समिति वर्ष १९६४-६५ के लिए पुनर्गठित की गयी है ;

(ख) यदि हां, तो इन समितियों के नये सदस्यों के नाम क्या हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री हाथी) : (क) और (ख) दोनों ही समितियों के पुनर्गठन का विषय विचाराधीन है ।

Production of Dry Protein

2386. **Shyi Onkar Lal Berwa :** Will the Minister of **Education** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that according to the researches made in the Central Drug Research Institute, Lucknow dry protein can now be produced in India in large quantity; and

(b) if so, the measures Government propose to take to encourage its production?

The Minister of Education (Shri M. C. Chagla): (a) The work carried out at the Central Drug Research Institute, Lucknow, relates to the development of a process for the preparation of protein hydrolysate from oil seed cake for oral therapy of protein malnutrition.

(b) the process has been released free of any charge for exploitation by the pharmaceutical industry.

Vishwayatan Yoga Asharam

2387. **Shri Yashpal Singh :** Will the Minister of **Education** be pleased to state :

(a) whether any grant is given by Government to Vishwayatan Yoga Asharam ;

(b) if so, the amount of assistance given during the last five years ; and

(c) whether Government have been receiving complaints from time to time regarding the misuse of this amount and if so, the action taken in the matter?

The Deputy Minister in the Ministry of Education (Shri Bhakt Darshan) : (a) Government has given grants in the past to Vishwayatan Yoga Ashram;

(b)	1959-60	70,000
	1960-61	40,000
	1961-62	92,000
	1962-63	27,408
	1963-64	NIL
		2,29,408

(c) Some complaints have been received and are being looked into.

इंजीनियरिंग अनुसन्धान

२३८८. **श्री दी० चं० शर्मा :** क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या १९६४–६५ में इलेक्ट्रिक, मेकैनिकल और भारी इंजीनियरिंग के सम्बन्ध में डिजाइन, अनुसंधान और विकास के लिये कोई धन दिया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो कितना और किन-किन विशिष्ट क्षेत्रों में अनुसन्धान आरम्भ किया जाने वाला है ?

शिक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (डा० म० मो० दास) : (क) और (ख) जहां तक शिक्षा मंत्रालय का संबंध है, वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद् के अधीन केन्द्रीय मेकैनिकल इंजीनिअरिंग अनुसंधान शाला, दुर्गापुर, के लिए वर्ष १९६४–६५ के लिए १३ लाख रुपये (आवर्तक) और १२.५९ लाख रुपये (पूंजी) की रकम बजट में रखी गई है। यह अनुसन्धान शाला मैकेनिकल इंजीनियरिंग के क्षेत्र में अनुसंधान करती है।

इलेक्ट्रिकल, मेकैनिकल और भारी इंजीनियरिंग के संबंध में खासकर डिजाइन, अनुसंधान और विकास के लिये अलग से कोई रकम नहीं दी गई है। फिर भी, मशीन डिजाइन, मेकैनिकल इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रिकल मशीन डिजाइन के स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम चलाने वाले कुछ विश्वविद्यालयों और इंजीनियरिंग संस्थाओं को ये पाठ्यक्रम संगठित करने के लिये आवर्तक तथा अनावर्तक व्यय के लिए शतप्रतिशत सहायता दी जाती है। इन पाठयक्रमों को चलाने का खर्च उन विश्वविद्यालयों।संस्थाओं के अपने अपने विभागों के विकास के लिये उन के समेकित अनुमानों में शामिल कर लिया गया है

वर्ल्ड गोल्फ चैम्पियनशिप

२३८९. { **श्री राम हरख यादव :**
श्री मुरली मनोहर : }

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अक्तूबर, १९६४ में रोम में होने वाली वर्ल्ड गोल्फ चैम्पियनशिप में भाग लेने के लिए अखिल भारतीय खेलकूद परिषद अपने प्रतिनिधि भेजने वाली है या किसी भारतीय टीम को भेजने का समर्थन करने वाली है ; और

(ख) यदि हां, तो उसके बारे में सरकार की क्या राय है ?

शिक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (श्री भक्त दर्शन : (क) अखिल भारतीय खेलकूद परिषद् ने सिफारिश की है कि एक भारतीय टीम को जिसमें चार गोल्फर और एक मैनेजर होगा, वर्ल्ड गोल्फ चैम्पियनशिप में भाग लेने की अनुमति दी जाये और इस प्रयोजन के लिये उसे विदेशी मुद्रा दी जाये।

(ख) सरकार परिषद् की सिफारिश पर विचार कर रही है।

बरौनी तेल शोधक कारखाना

२३९०. **श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बरौनी स्थित इंडियन रिफाइनरीज़ लिमिटेड के कर्मचारियों को कोई निर्माण भत्ता दिया जा रहा है ;

(ख) यदि नहीं, तो क्या सरकार को मालूम है कि बिहार में सरकारी क्षेत्र की अन्य सभी परियोजनाओं के कर्मचारियों को निर्माण भत्ता मिल रहा है ; और

(ग) इस भेदभाव के क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री हुमायून् कबिर) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते।

नांगल बांध में पोलिटेक्निक

२३९१. **श्री दलजीत सिंह** : क्या **शिक्षा** मंत्री २५ मार्च, १९६४ के अतारांकित प्रश्न संख्या १५३६ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नंगल बांध क्षेत्र में जो पिछड़ा हुआ पहाड़ी इलाका है और जहां ४०,००० की आबादी है जिनमें अधिकतर उर्वरक कारखाना और भाखड़ा बांध परियोजना के लिये अर्जित क्षेत्रों से विस्थापित व्यक्ति हैं, सरकार कोई पोलिटेकनिक स्थापित करने वाली है ; और

(ख) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क) राज्य सरकार से ऐसी कोई योजना प्राप्त नहीं हुई है।

(ख) नंगल में पोलिटेक्निक स्थापित करने के प्रश्न पर सबसे पहले राज्य सरकार द्वारा उसकी पंचवर्षीय योजना के अधीन विचार किया जायगा।

Scheduled Caste Community in Rajasthan

2392. **Shri Onkar Lal Berwa :**
Shri Hukam Chand Kachhavaiya :

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Central Government propose to depute some high officials to enquire into the conditions of Scheduled Caste community in Rajasthan; and

(b) if so, the duties assigned to such officials ?

The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shrimati Chandrasekhar) : (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

Manufacture of Arms

2393. **Shri P. L. Barupal :**
Shri Subodh Hansda :
Shri Hukam Chand Kachhavaiya :
Shri N. R. Laskar :
Shri Wadiwa :
Shri Babunath Singh :
Shri Ram Sewak :
Shri P. C. Barman :
Shri Daljit Singh :

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) the number of States in which licences have been granted since 1956 for the manufacture of arms besides the ordnance factories;

(b) the number of such factories in each State and the type of arms being produced in them ; and

(c) whether Government proppse to set up any other factory in view of the shortage of small arms ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Hathi) : (a) to (c). The information is being collected from the authorities concerned and will be placed on the Table of the House when received.

Castic Soda and Plastic Factories for Rajasthan

2394. Shri Onkar Lal Berwa : Will the Minister of **Petroleum and Chemicals** be pleased to state :

(a) whether a proposal to set up a caustic soda and plastic factories in Rajasthan is under consideration;

(b) if so, the location thereof and the time likely to be taken ; and

(c) the estimated cost thereof ?

The Minister of State in the Ministry of Petroleum and Chemicals (Shri Alagesan) : (a) One Caustic Soda, Polyvinyl Chloride and Calcium Carbide unit in the private sector namely,—Messrs. Rajasthan Vinyl and Chemical Industries Ltd., has gone into production early in 1964 at Kotah in Rajasthan State and there is no fresh proposal for setting up any other caustic soda and plastic factory in that State.

(b) & (c). Do not arise.

अन्तर्राज्यीय पुलिस संगठन

२३९५. **श्री दी० चं० शर्मा :**
श्री ओंकार लाल बेरवा :
श्री राम हरख यादव :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली, उत्तर प्रदेश और पंजाब में सक्रिय चोरों और अवैध शराब बनाने वालों

के गिरोहों के विरुद्ध निरन्तर कार्यवाही के लिए एक अन्तर्राज्यीय पुलिस संगठन कायम किया जाने वाला है ; और

(ख) यदि हां, तो इस योजना का ब्यौरा क्या है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री हाथी) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

उत्तर प्रदेश के राज्यपाल

२३९६. श्री हरि विष्णु कामत : क्या **गृह-कार्य** मंत्री ८ अप्रैल, १९६४ के तारांकित प्रश्न संख्या ९५३ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश के राज्यपाल उस समय राज्य में नहीं थे जिस समय कि विधान मण्डल और इलाहाबाद उच्चन्यायालय के बीच क्षेत्राधिकार का सांवैधानिक झगड़ा चल रहा था ;

(ख) यदि हां, तो किस तारीख से किस तारीख तक ; और

(ग) वह उस समय कहां थे ?

गृह कार्य मंत्रालय में राज्य मत्री (श्री हाथी): (क) से (ग) राज्यपाल लखनऊ से १५ मार्च को रवाना हुए और पश्चिमी बंगाल और उड़ीसा का दौरा करने के बाद २९ मार्च को वापस आ गये ।

उड़ीसा में संस्कृत का विकास

२३९७. { श्री रामचन्द्र उलाका :
श्री धुलेश्वर मीना :

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा में संस्कृत के विकास के लिये १९६३–६४ में स्वयंसेवी संस्थाओं को कुल कितनी केन्द्रीय सहायता दी गई ;

(ख) उपरोक्त अवधि में जिन संस्थाओं को ये अनुदान दिये गये थे, उन के नाम क्या हैं ; और

(ग) १९६४–६५ में संस्कृत के विकास के लिये राज्य की स्वयंसेवी संस्थाओं को कितनी केन्द्रीय सहायता देने का विचार है ?

शिक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (श्री भक्त दर्शन) : (क) १,८००.०० रु० ।

(ख) अनन्त संस्कृत विद्यापीठ, कतार, डाकखाना, सिधल, जिला कटक ।

(ग) राशि का राज्य वार आवंटन नहीं किया जाता है संस्कृत के विकास के लिये स्वयंसेवी संस्कृत संस्थाओं और पाठशालाओं को सहायता देने के लिए इस मंत्रालय की योजना के अन्तर्गत प्रति वर्ष प्रार्थना पत्र मांगे जाते हैं और सहायता आवेदन करने वाली स्थाओं को, उनके द्वारा क्रियान्वित की जाने वाली परियोजनाओं के गुणदोषों के आधार पर दी जाती है ।

उड़िया साहित्य और संस्कृति

२३६८. { **श्री धलेश्वर मीना :**
श्री रामचन्द्र उलाका :

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा को उड़िया साहित्य और संस्कृति को बढ़ावा देने के लिये तथा उसके परिरक्षण के लिये १९६३-६४ में कोई अनुदान दिये गये थे ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ; और

(ग) उसी प्रयोजन के लिये १९६४-६५ में राज्य को कुल कितनी राशि के अनुदान देने का विचार है ?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क) जी, हां ।

(ख) उड़ीसा सरकार और उड़ीसा की संस्थाओं को १९६३-६४ में निम्नलिखित अनुदान दिये गये थे :—

राज्य सरकार को दिये गये अनुदान

(१) ६,००० रु०—उड़ीसा दल के आसाम और राजस्थान के दौरे के लिये ।

(२) ३,८०० रु०—उड़ीसा दल के ईस्टर्न कमान के दौरे के लिये ।

(३) ५,७५० रु०—ग्रामीण क्षेत्रों में ५ ओपन एयर थियेटर स्थापित करने के लिये ।

(४) ८०,००० रु०—"आधुनिक भारतीय भाषाओं के विकास" की योजना के अन्तर्गत केन्द्रीय सहायता के रूप में दिये गये ।

(५) १५,१४७ रु०—"अजायबघरों का पुनर्गठन और विकास" की योजना के अन्तर्गत केन्यद्री सहायता के रूप में दिये गये ।

गैर सरकारी संस्थायें

(६) ५०० रु०—बाल कला प्रतियोगिता और ड्राइंग प्रदर्शनी के लिये गंजम जिला ड्राइंग मास्टर्स एसोसिएशन, ब्रह्मपुर को दिया गया ।

(७) ४,००० रु०—भवन निर्माण के लिये मयूरभंज का नृत्य प्रतिस्थान, बरीपाडा को दिया गया ।

(ग) १९६४-६५ में उड़ीसा सरकार को दिये जाने वाले अनुदानों की राशि राज्य सरकार से प्राप्त किये जाने वाले विशिष्ट प्रस्तावों पर निर्भर होगी ।

राज्यपाल

२३६९. **श्री हरि विष्णु कामत :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १ अप्रैल, १९५९ से ३१ मार्च, १९६४ तक प्रत्येक राज्य का राज्यपाल अपने राज्य से कुल कितने दिनों के लिये अनुपस्थित रहा ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री हाथी) : अपेक्षित जानकारी बताने वाला एक विवरण संलग्न है । (**पुस्कालय में रखा गया। देखिय संख्या एल० टी०--२७६६/६४**)

दिल्ली के स्कूलों के अध्यापकों की सेवा निवृत्ति आयु

२४००. **श्री इ० मधुसूदन राव** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिसम्बर, १९६२ से दिल्ली के सरकारी उच्च माध्यमिक स्कूलों के अध्यापकों की सेवा निवृत्ति आयु बढ़ा कर ५८ वर्ष कर दी गई है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि यह सुविधा दिल्ली के सरकारी सहायता प्राप्त और गैर सरकारी मान्यता प्राप्त उच्च माध्यमिक स्कलों के अध्यापकों को नहीं दी गई है ;

(ग) क्या इस संबंध में दिल्ली शिक्षा निदेशालय से कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है ; और

(घ) यदि हां, तो मामले में क्या कार्यवाही की गई है अथवा की जा रही है ?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क) जी, हां, इस सामान्य शर्त के अधीन कि सरकार कर्मचारी को ५५ साल की आयु पर बिना किसी कारण बताये ३ मास की सूचना देकर सेवा निवृत्त होने के लिये कह सकती है ;

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता, क्योंकि सहायता प्राप्त स्कूलों के अध्यापकों पर सेवा निवृत्त के भिन्न नियम लाग होते हैं । इन नियमों के अन्तर्गत वे ६० वर्ष की आयु तक रहते हैं बशर्ते कि स्वास्थ्य ठीक रहे और वे सेवा के लिये उपयुक्त रहें ।

(ग) जी, नहीं ।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता ।

राष्ट्रमण्डल प्रधान मंत्री सम्मेलन के बारे में वक्तव्य

STATEMENT *RE*: COMMONWEALTH PRIME MINISTERS' CONFERENCE

प्रधान मंत्री, वैदेशिक-कार्य मंत्री तथा अणुशक्ति मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू): अध्यक्ष महोदय, मैं सभी को यह सूचित करना चाहता हूं कि राष्ट्रमण्डल प्रधान मंत्री सम्मेलन की बैठक जुलाई मास में लन्दन में करने का प्रस्ताव है । प्रस्तावित तिथि ८ से १५ जुलाई है लेकिन ये तिथियां अभी निश्चित नहीं हैं । मैंने निमंत्रण स्वीकार कर लिया है और मुझे आशा है कि मैं सम्मेलन में भाग लूंगा ।

श्री नाथ पाई (राजापुर) : जब प्रधान मंत्री जी इतनी लम्बी यात्रा पर जा रहे हैं तो यहां पर उनकी अनुपस्थिति में उनके कार्य की देखभाल कौन करेगा ? एक बार पहले भी जब यह प्रश्न उठा था तो उन्होंने कहा था कि अवसर आने पर एक उप-प्रधान मंत्री नियुक्त करने के प्रश्न पर विचार किया जायेगा ।

श्री जवाहरलाल नेहरू : मुझे याद नहीं है कि पहले कभी कोई विशेष व्यवस्था की गयी थी ।

श्री नाथ पाई : पहले एक राष्ट्रमण्डल प्रधान मंत्री सम्मेलन के अवसर पर स्वर्गीय मौलाना आजाद को उप-प्रधान मंत्री बनाया गया था ।

सभा पटल पर रखे गये पत्र

PAPERS LAID ON THE TABLE

आपात्कालीन जोखिम (कारखाने) बीमा अधिनियम और आपात्कालीन जोखिम (माल) बीमा अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचना और जमा बीमा निगम के कार्य का प्रतिवेदन

वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी) : मैं निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं :

(१) अपापात्कालीन जोखिम (कारखाने) बीमा अधिनियम, १९६२ की धारा ३ की उप-धारा (७) के अन्तर्गत दिनांक ३० मार्च, १९६४ की अधिसूचना संख्या एस० ओ० १११४ में प्रकाशित आपात्कालीन जोखिम (कारखाने) बीमा (संशोधन) योजना, १९६४ । **[पुस्तकालय में रखी गयी। देखिये संख्या एल० टी० २७५७/६४]**

(२) आपात्कालीन जोखिम (माल) बीमा अधिनियम, १९६२ की धारा ५ की उप-धारा (६) के अन्तर्गत दिनांक ३० मार्च, १९६४ की अधिसूचना संख्या एस० ओ० १११५ में प्रकाशित आपात्कालीन जोखिम (माल) बीमा (संशोधन) योजना, १९६४ । **[पुस्तकालय में रखी गयी । देखिये संख्या एल० टी० २७५७/६४]**

(३) जमा बीमा निगम अधिनियम, १९६१ की धारा ३२ की उप-धारा (२) के अन्तर्गत दिनांक ३१ दिसम्बर, १९६३ को समाप्त हुए वर्ष के लिए जमा बीमा निगम के कार्य की रिपोर्ट, उसके वार्षिक लेखे और तत्सम्बन्धी लेखा-परीक्षा रिपोर्ट सहित। **[पुस्तकालय में रखी गयी। देखिये संख्या एल० टी० २७५८/६४]**

अखिल भारतीय सेवायें अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचना

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री हाथी) : मैं अखिल भारतीय सेवायें अधिनियम १९५१ की धारा ३ की उप-धारा (२) के अन्तर्गत अखिल भारतीय सेवायें (मृत्यु-व-सेवा-निवृत्ति लाभ) नियम, १९५८ में कुछ और संशोधन करने वाली दिनांक १ जून, १९६३ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० ८९८ की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं । **[पुस्तकालय में रखी गयी । देखिये संख्या एल० टी० २७५९/६४]**

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति
COMMITTEE ON PRIVATE MEMBERS' BILLS AND RESOLUTION

बयालीसवां प्रतिवेदन

श्री कृष्णमूर्ति राव (शिमोगा) : मैं गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति का बयालीसवां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं ।

वक्फ (संशोधन) विधेयक
Wakf (Amendment) Bill

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री हुमायून् कबिर) : श्रीमान्, मैं प्रस्ताव करता हूं कि वक्फ़ अधिनियम, १९५४ में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।"

अध्यक्ष महोदय प्रश्न यह है :

> "कि वक्फ अधिनियम, १९५४ में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

श्री हुमायन् कबिर : श्रीमान्, मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं ।

कार्य मंत्रणा समिति
BUSINESS ADVISORY COMMITTEE

छब्बीसवां प्रतिवेदन

श्री राने (बुलडाना) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

> "कि यह सभा कार्य मंत्रणा समिति के छब्बीसवें प्रतिवेदन से, जो २१ अप्रैल, १९६४ को सभा में प्रस्तुत किया गया था, सहमत है ।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

> "कि यह सभा कार्य मंत्रणा समिति के छब्बीसवें प्रतिवदन से, जो २१ अप्रैल, १९६४ को सभा में प्रस्तुत किया गया था सहमत है ।"

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर) : श्रीमान्, मैं प्रस्ताव करता हूं :

> "कि संविधान (अट्ठारहवां संशोधन) विधेयक, १९६४ के लिये नियत समय को बढ़ा कर १० घंटे कर दिया जाये ।"

श्री शिवमूर्ति स्वामी (कोप्पल) : अध्यक्ष महोदय, मेरा अनुरोध है कि जल विवाद के बारे में सरकार द्वारा नियुक्त गुलाटी आयोग के प्रतिवेदन पर विचार करने के लिये कुछ समय रखा जाये ।

अध्यक्ष महोदय : इस बारे में तब प्रश्न उठाया जाये जब संसद्-कार्य मंत्री अगले सप्ताह के कार्यक्रम की घोषणा करें।

श्री शं० शा० मोरे (पूना) : श्रीमान्, अधिवक्ता (संशोधन) विधेयक, १९६४ के लिये नियत किये गये २ घण्टे के समय को बढ़ा कर कम से कम ५ घण्टे कर दिया जाये।

मैं श्री बनर्जी के प्रस्ताव का भी समर्थन करता हूं।

मेरा प्रस्ताव है कि गोआ, दमन और दीव न्याय आयुक्त का न्यायालय (उच्च न्यायालय के रूप में घोषित किया जाना) विधेयक १९६३ के लिये नियत किये गये १ घण्टे के समय को बढ़ा कर ५ घण्टे कर दिया जाये।

अध्यक्ष महोदय : मैं पहले ही श्री बनर्जी का संशोधन रखूंगा। प्रश्न यह है :

> "कि संविधान (अठारहवां संशोधन) विधेयक, १९६४ के लिये नियत समय को बढ़ा कर १० घण्टे कर दिया जाये।"

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ।

The motion was negatived.

श्री उ० मू० त्रिवेदी : मैं श्री मोरे के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री शिंकरे : मैं भी इसका समर्थन करता हूं।

अध्यक्ष महोदय : मेरे विचार में अधिवक्ता (संशोधन) विधेयक के लिये पांच घण्टे की आवश्यकता नहीं है। इसके लिये हम दो की बजाय चार घण्टे नियत कर सकते हैं।

कुछ माननीय सदस्य : जी, हां।

अध्यक्ष महोदय : गोआ, दमन और दीव न्याय आयुक्त का न्यायालय (उच्च न्यायालय के रूप में घोषित किया जाना) विधेयक के बारे में पांच घण्टे नहीं बल्कि दो घण्टे काफी होंगे। प्रश्न यह है :

> "कि यह सभा कार्य मंत्रणा समिति के छब्बीसवें प्रतिवेदन से, जो २१ अप्रैल, १९६४ को सभा में पेश किया गया था, सभा द्वारा संशोधित रूप में, सहमत है।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

समवाय (लाभ) अतिकर विधेयक

COMPANIES (PROFITS) SURTAX BILL

वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी) : श्रीमान्, मैं प्रस्ताव करता हूं :

> "कि कुछ समवायों के लाभ पर एक विशेष कर लगाने वाले विधेयक पर विचार किया जाय।"

[श्री ति० त० कृष्णमाचारी]

यह विधेयक देश की आवश्यकता को देखते हुए निगमित क्षेत्र में अधिक बचत करने के लिये पेश किया गया है। बचत अधिक होने पर इसका औद्योगिक प्रगति में इस्तेमाल किया जा सकेगा। केवल प्रगति ही नहीं बल्कि उन उद्योगों को पर्याप्त धन मिलता रहना चाहिये जिनका देश के विकास में प्रमुख योग है। इसमें छोटे यूनिटों को प्रोत्साहन दिया जाना चाहिये और गैर-सरकारी विदेशी विनियोजन आकर्षित किया जाये। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए इस विधेयक पर विचार किया जाये।

प्रस्तावित कर समवायों के करायोग्य लाभ जो पूंजी आधार के १० प्रतिशत से अधिक हो या २ लाख रुपये हो इनमें से जो भी अधिक होगा, पर इस अतिरिक्त लाभ के ४० प्रतिशत की समान दर से लगेगा। ४० प्रतिशत की दर से कर लगाना स्वयं ही अधिलाभ कर में विद्यमान दरों की दोहरी अनुसूची की अपेक्षा कम है, अर्थात् पूंजी आधार के ६ से १० प्रतिशत तक के कर योग्य लाभ पर ५० प्रतिशत और बाकी रकम पर ६० प्रतिशत संविहित कमी और पूंजी आधार में से प्रत्येक की गणना नये कर में उदारता से की गयी है ताकि कर का भार सामान्यतया कम और अधिक सामान्य रूप में पड़े।

अतिकर की दृष्टि से कर योग्य लाभ में कम्पनी की वह कुल आय शामिल होगी जिसकी गणना आय कर अधिनियम के अन्तर्गत की गयी हो और जो उस आय के अतिरिक्त हो जिसे विशेष रूप से अतिकर से छूट दी गयी हो और जिस में से, कुछ आय को छोड़ कर, कम्पनी द्वारा दिया जाने वाला आय और अतिकर कम कर दिया गया हो। चूंकि कर योग्य लाभ की गणना उस कुल आय को ध्यान में रख कर की जायेगी जो आयकर अधिनियम के अन्तर्गत निर्धारित की गयी हो, इस अधिनियम के अन्तर्गत मिलने वाली सभी रियायतें स्वयं ही अधिकर के लिये भी छूट के रूप में मिलेंगी।

इसके अतिरिक्त जिन अन्य आय और राशियों को कर से अलग रखा गया है उनमें जीवन बीमा व्यापार के लाभ, पूंजी लाभ, हाल में स्थापित हुए औद्योगिक उपक्रम जिन्हें आयकर से अधिनियम के अन्तर्गत कर से पांच वर्ष के लिए छूट मिली है और आय कर से राहत पाने वाले धर्मार्थि दानशालि हैं। गैर-सरकारी विदेशी पूंजी आकर्षित करने की नीति के अनुसार भारत में विदेशी समवायों को ब्याज और तकनीकी सेवा के लिये मिलने वाली फीस के रूप में होने वाली आय को भी इस कर से छूट होगी। बैंकिंग समवायों को,चाहे वह भारतीय हों या विदेशी, बैंकिंग समवाय अधिनियम के अन्तर्गत भारत के रक्षित बैंक के पास किये गये संविहित रिज़र्व और डिपोज़िट की रकम पर और भारत में बनायी गयी किसी भी संचित राशि पर, (यदि वह एक सीमा के भीतर है), इनमें जो भी अधिक होंगी, उस पर, विशेष छूट मिलेगी।

समवायों द्वारा अपने समान लाभांश। (इक्विटी डिवीडेंड) के वितरण पर, इस लाभांश के ७.५ प्रतिशत की दर से, देय अतिकर की अतिरिक्त रकम पर कोई छूट नहीं दी जायेगी?

इस विधेयक में संविहित छूट पूंजी आधार का १० प्रतिशत या २ लाख रुपये है, जो भी अधिक हो जब कि अधिलाभ कर विधेयक में यही छूट पूंजी आधार का १० प्रतिशत या ५०,००० रुपये थी, जो भी अधिक हो। इस विधेयक में अधिक उदारता से कम की गयी राशियों का प्रभाव यह होगा कि अपेक्षाकृत छोटे समवायों या नये समवायों को, जिनके लाभ कर देने से पहले ४ लाख रुपये से अधिक नहीं होते, कोई भी अतिकर नहीं देना होगा। दूसरे मामलों में अतिकर

का दायित्व दीर्घकालीन ऋण पूंजी सहित पूंजी आधार के २० प्रतिशत से अधिक लाभ होने पर ही लागू होगा। अतिलाभ कर की तुलना में संविहित कटौती न केवल अधिक प्रतिशतता पर निश्चित की गयी है, परन्तु उसे अधिक पूंजी के आधार पर अधिक प्रतिशतता पर निश्चित किया गया है। अतिकर के लिये पूंजी आधार में न केवल किसी समवाय के विकास छूट रक्षित निधि समेत प्रदत्त अंश पूंजी और सारे रिजर्व ही शामिल नहीं होंगे बल्कि इस विधेयक की दूसरी अनुसूची में संगत नियम में उल्लिखित इसके ऋण पत्र और ऋण भी शामिल होंगे। पूंजी आधार में ऋण पूंजी के शामिल किये जाने से थोड़े समय से चल रहे उद्योगों के प्रति विभेद का व्यवहार दूर होगा जोकि अधिक रक्षित पूंजी का निर्माण नहीं कर सके तथा उन उद्योगों के बारे में भी विभेदपूर्ण व्यवहार दूर होगा जिन के पूंजी आधार में बहुत सी ऋण पूंजी शामिल है।

मैं विधेयक की दूसरी अनुसूची के नियम १ के खंड (५) के बारे में दो संशोधन प्रस्तुत करना चाहता हूं। पहला संशोधन सरकार से प्रत्यक्ष रूप में उधार लिये गये धन को पूंजी आधार में शामिल करने के बारे में है और दूसरा यह है कि उधार ली गई राशियों को इस शर्त पर पूंजी आधार में लिया जायेगा कि सारे मामलों में इन राशियों को चुकाने की न्यूनतम अवधि ७ वर्ष होगी और उधार लेने का उद्देश्य भारत में पूंजी आस्तियों का निर्माण हो। इस उदारता से पूंजी आस्तियां बनाने के लिये अल्पावधि ऋण लिया जा सकेगा जैसे पूंजी-आधार में शामिल करने के लिये पुनर्वित्त निगम से ऋण।

ऋण की राशि को पूंजी आधार में शामिल करने के साथ ऐसी रकम पर देय ब्याज को इसमें शामिल किया जायेगा ताकि दोहरी छट न मिल जाये।

वित्त विधेयक में निगमित करारोपण की सामान्य योजना के अनुसार अति-कर विधेयक में प्राथमिकता उद्योगों में विनियोजन को प्रोत्साहन देने के लिये एक निश्चित प्रोत्साहन रखा गया है। यह किसी कम्पनी द्वारा बिजली के उत्पादन अथवा वितरण से अथवा विधेयक की तीसरी अनुसूची में संगत वस्तुओं के निर्माण अथवा उत्पादन से प्राप्त लाभ पर देय अतिकर की सामान्य राशि में २० प्रतिशत की विशेष छूट के रूप में है। सभा ने इस अनुसूची में कुछ संशोधनों को स्वीकार किया है। समवाय (लाभ) अतिकर विधेयक की तीसरी सूची को भी वित्त विधेयक की अनुसूची के अनुरूप बनाने के लिये संशोधन प्रस्तुत करने का विचार है।

मुझे विश्वास है कि सभा इस विधेयक का सर्व-सम्मति से अनुमोदन करेगी।

अध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती (बैरकपुर) : समवाय (लाभ) अतिकर विधेयक अति-लाभ कर का ही स्थान ले रहा है। समवाय (लाभ) अतिकर विधेयक से बड़े बड़े व्यापारियों को भी लाभ होगा। न तो अतिरिक्त लाभ कर अधिनियम १९४० में और न व्यापार लाभ कर, १९४७ में इतने लाभ दिये गये हैं जितने कि अब समवाय (लाभ) अति कर विधेयक में दिये जा रहे हैं। वास्तव में मेरे अपने राज्य में इण्डियन अल्युमीनियम, दि मेटलबाक्स कम्पनी, गेस्ट, कीन एण्ड विलियम्स को कोई अति लाभ कर नहीं देना पड़ता है या बहुत थोड़ा देना पड़ता है। अति-लाभ कर विधेयक की यह स्थिति थी। हम चाहते थे कि कोई कड़ा विधान लागू किया जाये। लेकिन हम देखते हैं कि अति-लाभ कर का जो थोड़ा बहुत प्रभाव था भी, वह भी नहीं रहा।

[श्रीमती रेणु चक्रवर्ती]

अब इस में प्रदत्त पूंजी पर छूट को छः प्रतिशत की बजाय १० प्रतिशत किया जा रहा है। इस में और भी छूट दिये जाने की आशा है। अतिकर की दर भी काफी कम कर दी गयी है।

करदाताओं को दी गयी राहत, विशेषतः बड़े बड़े करदाताओं को, और भी अधिक है और अतिकर को अधिक राजस्व की प्राप्ति के लिये नहीं बनाया गया है बल्कि यह मिथ्या है और उनके लाभ को समेटा गया है। इस प्रकार प्रोत्साहन देने से अर्थ-शक्ति का केन्द्रीकरण बढ़ेगा। कहा गया है कि अग्रेतर पूंजी आधार बनाने के लिये, अग्रेतर औद्योगीकरण और विकास के लिये अधिक रिजर्व बनाने के लिये लाभ की आवश्यकता है लेकिन वास्तव में हुआ यह कि कुछ ही लोगों के हाथ में धन का केन्द्रीकरण हुआ है।

विदेशी पूंजी के बारे में भी कुछ निश्चित प्रोत्साहन दिये गये हैं। जहां तक विदेशी पूंजी और विशेषतः गैर-सरकारी विदेशी पूंजी का सम्बन्ध है, मेरा विचार है कि इसमें और वृद्धि का हमारे देश पर राजनीतिक तौर पर बड़ा बुरा असर पड़ेगा। ये हमारे अपने अर्जित लाभ की काफी रकम को ले जायेंगे और हमारे देश पर बुरा राजनीतिक प्रभाव पड़ेगा।

"तकनीकी सेवाओं" शब्दों की परिभाषा को और संकुचित किया जाये। भारत में उपलब्ध तकनीकी सेवाओं को कर से छूट नहीं मिलनी चाहिये। हमें इस दासता की प्रवृत्ति को दूर करना होगा।

यदि कोई ऐसी बात है जिसकी हमें जानकारी नहीं है तो हम यह छूट दे सकते हैं लेकिन इस बारे में हमें स्पष्ट व्याख्या कर देनी चाहिये।

इन शब्दों के साथ मैं समवाय (लाभ) अतिकर विधेयक का विरोध करती हूं।

श्री मी० रु० मसानी (राजकोट) : अध्यक्ष महोदय, मैं इस विधेयक का विरोध करता हूं। यह दावा किया गया है कि विधेयक अधिलाभ कर विधेयक से अच्छा है। मैं इससे इन्कार नहीं करता क्योंकि इससे उन समवायों की संख्या सीमित हो सकेगी जिनको अधिलाभ कर से बड़ी हानि हुई है। इससे उनको लाभ होगा। लेकिन अनेक कम्पनियों को जिनको पहले कर से मुक्त किया गया था, अब इसमें रखा गया है।

अति कर विधेयक का कोई औचित्य नहीं है। अतिकर विधेयक का औचित्य तभी सिद्ध होता है जबकि लाभ और लाभांशों का असामान्य ढंग से अधिक हो। देश में पहले ही लाभ और लाभांशों का स्तर कम है और इस विधान से यह स्तर और भी कम हो जायेगा। भारत के रक्षित बैंक द्वारा किये गये अध्ययन के अनुसार भी लाभों और लाभांशों का स्तर कम है और इसलिये इस विधान का कोई औचित्य नहीं है। देश में चालू सार्वजनिक सीमित ज्वायंट स्टाक समवायों की प्रदत्त पूंजी के अध्ययन से पता चला है कि पूंजी और रक्षित निधि को मिला कर लाभांश ४ से ७ प्रतिशत तक अर्थात् औसतन ६ प्रतिशत होता है और प्रदत्त पूंजी पर लाभांश ७ से १२ प्रतिशत अर्थात् ११ प्रतिशत बैठता है। लाभ का एक भाग लाभांश के रूप में दे दिया जाता है और बाकी व्यापार की वृद्धि के लिये व्यापार में रख लिया जाता है। यह प्रदत्त पूंजी का ६ प्रतिशत से अधिक नहीं बैठता। इसको अधिक किसी प्रकार भी नहीं कहा जा सकता। अतः इस विधेयक को संसद् के समक्ष रखने की बात ही नहीं बनती।

समूचे रूप से आयव्ययक, जिसमें यह विधेयक भी शामिल है, सरकार के हाथों में समस्त विनियोजन संसाधनों के जब्त करने का प्रयास है । यदि यह प्रयास देश की प्रतिरक्षा के लिये किया होता तो ठीक था । लेकिन यह इस समय देश की प्रतिरक्षा के लिये नहीं बल्कि नये भ्रष्ट व्यापारियों तथा भ्रष्ट राजनीतिज्ञों के विहित स्वार्थों के लिए किया गया है ।

एक वर्ष पूर्व तत्कालीन वित्त मंत्री ने भी अधिलाभ कर और अनिवार्य जमा योजना के लाभों को बताते हुए विश्वास और आश्वासन दिलाया था । लेकिन इन विधेयकों के छः महीने बाद जो हुआ, सर्व विदित है ।

आजकल योजना आयोग २ प्रतिशत की प्रगति दर को बढ़ा कर ७ प्रतिशत करने पर विचार कर रहा है । मैं उनकी शुभकामना करता हूं । लेकिन जब तक यह सरकार नहीं बदलेगी, ७ प्रतिशत की तो बात ही क्या यह दो प्रतिशत बढ़ कर तीन, चार या पांच प्रतिशत भी नहीं हो सकेगा क्योंकि एक बार की गयी गलतियों को बार बार दोहराया जा रहा है ।

श्री जोकीम आल्वा : कुछ बड़े व्यापारी स्वतंत्र दल को ५० प्रतिशत देते हैं ।

श्री नाथ पाई : ३३ प्रतिशत ।

यदि हम पूंजी बनाना चाहते हैं, यदि हम प्रगति की गति तीव्र करना चाहते हैं तो उसका तरीका यह है कि अधिक उत्पादन और अधिक उत्पादकता को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिये ।

अधिकांश व्यापारी सच्चे और ईमानदार हैं । संदिग्ध तत्व उनको गुमराह करते हैं । अब समय आ गया है जब कि उन्हें आंखें खोलनी चाहिये और अपने को सुधारना चाहिये और व्यापारियों को जिनको कुछ छिपाना नहीं है, सामने आना चाहिये और अन्य व्यापारियों का मार्गदर्शन करना चाहिये । इससे लोगों को शिक्षा लेनी चाहिये ।

श्री मुरारका (झुनझुनू) : मुझे श्री मसानी से यह आशा थी कि वे विधेयक के गुणों के सम्बन्ध में कुछ कहेंगे उन्होंने भ्रष्टाचार राजनैतिक दलों को अंशदान आदि के सम्बन्ध में ही जिक्र किया, श्रीमती रेणु चक्रवर्ती ने कहा कि यह विधेयक पहले विधेयक से बहुत नरम है । यह सच है कि दरें घटा दी गई हैं । पूंजी आधार बढ़ा दिया गया है और इसे अधिक युक्ति संगत बनाया जा रहा है । परन्तु उन्हें यह नहीं भूलना चाहिए कि पिछले अधिनियमों में जो दो मुख्य उपबन्ध थे उन्हें इस विधेयक में से निकाल दिया गया है । श्री मसानी ने कहा कि इस उपाय के लिए कोई औचित्य नहीं है । मैं उनकी इस बात से असहमत हूं । जैसा कि उन्हें पता है कि प्रतिरक्षा, विकास और पुनर्वास के लिए धन की आवश्यकता है । इन आवश्यकताओं के भविष्य में बढ़ने की ही संभावना है । आखिर यह धन कहां से आयेगा । जब तक आप हमारी अर्थ व्यवस्था निगमित क्षेत्र पर आधारित है तब तक निगमित क्षेत्र में कर को नहीं बढ़ाया जायेगा आपके राजस्व में वृद्धि नहीं हो सकेगी । श्री मसानी ने रिजर्व बैंक द्वारा तैयार की गई कुछ औसतें दी हैं । देश की सामान्य दशा जानने के लिये उन्हें प्रयोग में लाया जा सकता है । परन्तु विशेष कर प्रस्थापनों पर विचार करने में ये औसतें गलत रास्ते पर ले जा सकते हैं मान लीजिये निगमित क्षेत्र का कुछ औसत लाभ सात प्रतिशत है । यह सात प्रतिशत लाभ तीस हजार कम्पनियों पर लागू हो सकता है । और यह १३ अरब रुपये की प्रदत्त पूंजी पर लागू हो सकता है । परन्तु कुछ ऐसी कम्पनियां हैं जो सौ प्रतिशत लाभ अर्जित कर रही हैं और अन्य कम्पनियां ऐसी हैं जो पांच प्रतिशत प्राप्त कर रही हैं । फिर कुछ ऐसी कम्पनियां भी हो सकती हैं जो हानि उठा रही हैं अतः औसतें बिल्कुल गलत हैं लगभग २६ हजार

[श्री मुरारका]

छोटी बड़ी कम्पनियां हैं कुछ कम्पनियां बहुत अधिक लाभ अर्जित कर रही हैं और कुछ थोड़ा। लाभ अर्जित कर रही हैं। यह विधेयक केवल उन कम्पनियों पर लागू होगा जो बड़ा मुनाफा अर्जित कर रही हैं। अतः इस कर के लगाने में औचित्य है।

नवीनतम संशोधनों के बारे में जो वित्त मंत्री ने अभी प्रस्तुत किये हैं मैं एक या दो स्पष्टीकरण चाहता हूं उन्होंने कहा कि आधारभूत पूंजी में केवल उन्हीं ऋणों को शामिल किया जायेगा जो सात वर्ष के भीतर वापस कर दिये जायेंगे उन्होंने दस वर्ष से घटा कर सात वर्ष कर दिया है जो कि बहुत युक्तिसंगत है। मान लीजिये ऋण दिया गया है। और भुगतान की पहली किस्त दो वर्ष बाद आरम्भ होती है, दूसरी किस्त तीन वर्ष बाद और इसी प्रकार बाद की किस्तें। जिस समय पहली किस्त देय होती है। क्या उसी समय ऋण को चुकाया जाना समझा जायेगा अथवा उस समय जब कि अन्तिम किस्त की अदायगी की जायेगी यह स्पष्टीकरण बहुत आवश्यक है।

दूसरी बात यह है कि सात वर्ष अथवा दस वर्ष के बाद केवल बैंकों से लिए गये ऋणों पर लागू होती है। नये संशोधन के अन्तर्गत जो उन्होंने प्रस्तुत किये हैं यह आई० एफ० सी० और आई० सी० आई० सी० आई० तथा अन्य संस्थाओं पर भी लागू होगी। कठिनाई यह है कि ये ऋण नये उद्योगों के लिये पूंजीगत आस्तियां बनाने के लिये दिये जाते हैं। अतः मेरा सुझाव है कि आई० एफ० सी० और आई० सी० आई० सी० आई० द्वारा नयी कम्पनियों को विकास परियोजनों के लिये दिये जाने वाले ऋण आवश्यक रूप से पूंजीगत आधार के भाग होने चाहिए।

श्री हिम्मतसिंहका (गोड्डा) : श्रीमन्, अतिकर विधेयक के उपबन्ध, जिनकी कि अभी व्याख्या की गई है, अधिलाभ कर अधिनियम के उपबन्धों से निश्चित रूप से अच्छे हैं। परन्तु इसमें कुछ ऐसे नये तत्व लाये गये हैं जिनमें कम्पनियों की एक बड़ी संख्या लाभ नहीं उठा सकेगी। पूंजीगत आधार पर जो १० प्रतिशत छूट दी जाती है यह उससे निश्चित रूप से अधिक है। इसलिये, यद्यपि पूंजीगत आधार को बड़ा कर दिया गया है, प्रभार्य लाभ जितने कि वे अधिलाभ कर अधिनियम के अन्तर्गत थे उससे कुछ अधिक हो गये हैं।

अतः जब इस उपबन्ध को लागू किया जायेगा तो बड़ी कठिनाई होगी और वित्त मंत्री कम्पनियों को जो लाभ पहुंचाना चाहते हैं वह नहीं पहुंच सकेगा।

जो संशोधन प्रस्तुत किया गया है उससे स्थिति और भी खराब हो जायेगी। जैसा कि श्री मुरारका ने बताया कि इन वित्तीय निगमों से जो भी ऋण लिये जाते हैं उनकी अदायगी दूसरे या तीसरे वर्ष से आरम्भ हो जाती है। प्रश्न यह है कि क्या इन ऋणों को करार के अन्तर्गत कहा जा सकता है जहां कि अदायगी ७ से कम वर्षों में होनी चाहिये।

अति लाभ कर अधिनियम में यह उपबन्ध है कि यदि किसी कम्पनी को किसी वर्ष में लाभ कम हो तो उस पर अगले वर्ष में कम कर लगाया जायेगा। परन्तु इसमें इस लाभ की व्यवस्था नहीं है जो कि होनी चाहिये।

इन सुझावों के साथ मैं विधेयक का समर्थन करता हूं।

श्री अल्वारेस (पंजिम) : गत वर्ष का आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत करते हुए वित्त मंत्री ने पूंजी संग्रह की आवश्यकता पर जोर दिया । मैं समझता हूं कि चीनी आक्रमण को ध्यान में रखते हुए उन्होंने अधिलाभ कर विधेयक पेश किया। मुझे विश्वास है कि यदि कर की राशि गम्भीरता-पूर्वक इकट्ठी की जायेगी, जैसा कि उन्होंने वायदा किया है, तो यह चालू वित्तीय वर्ष में २५ करोड़ से अधिक हो जायेगी।

देश की आर्थिक दशा को देखते हुए इस विधेयक के स्थान पर कम्पनी (लाभ) अतिकर विधेयक को लाना नहीं चाहिये। मंत्री महोदय ने स्वयं यह बात मानी है कि कानूनी कटौतियों और पूंजीगत व्यय की गगना के सम्बन्ध में उन्होंने काफी ढील दी है जिससे निगमित क्षेत्र को इस विधेयक के लागू होने से कुछ राहत मिलेगी ।

मंत्री महोदय ने अधिलाभ कर अधिनियम के बारे में कहा कि कुछ क्षेत्रों पर इसका बुरा असर पड़ता था। आज उन्होंने कहा कि एक तो बचतों के संग्रह करने की आवश्यकता है और दूसरे विनि-योजन के लिये वातावरण बनाने की आवश्यकता है। मेरा कहना यह है कि बचतें तो पहले से ही थीं। अधिलाभ कर विधेयक से सरकार को गत वर्ष २० करोड़ रु० की आमदनी हुई और आशा है कि इस वर्ष इस विधेयक से २५ करोड़ रु० की आमदनी होगी। कम्पनी (लाभ) अतिकर विधेयक से तो यह २५ करोड़ ० की आमदनी कम हो जायेगी और इसका कुछ भाग निगमित क्षेत्र अथवा गैर सरकारी क्षेत्र को चला जायेगा ।

मेरी समझ में नहीं आता कि जब कि अधिलाभ कर अधिनियम को चीनी आक्रमण और पूंजी संग्रह की पृष्ठ भूमि में लाया गया था तो फिर इसके स्थान पर कम्पनी (लाभ) अतिकर जैसे नरम विधेयक को क्यों लाया जा रहा है ।

यह आश्चर्य की बात है कि सरकार जान बूझ कर निगमित और गैर सरकारी क्षेत्र के साथ ढील का बर्ताव कर रही है और अपनी २५ करोड़ की निश्चित आमदनी को हानि पहुंचा रही है ।

[**श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी** पीठासीन हुए
SHRI SURENDRANATH DWIVEDI *in the chair*]

इससे पहले कि मैं इस विधेयक से सहमति प्रकट करूं मैं वित्त मंत्री से एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। क्या वह यह आश्वासन दे सकते हैं कि वह इस २५ करोड़ रु० की हानि को अनिवार्य विनियोजन द्वारा गैर सरकारी क्षेत्र से पूरा करेंगे ? दूसरा आश्वासन मैं यह चाहता हूं कि कम्पनी (लाभ) अतिकर विधेयक की ढील के कारण गैर सरकारी क्षेत्र को जो लाभ होगा वह उस लाभ की राशि का सरकारी परियोजनाओं में विनियोजन करेगी। अन्यथा सरकार के राजस्व में कमी पड़ जायेगी।

कम्पनी (लाभ) अतिकर विधेयक के अन्तर्गत कई और उद्योगों को शामिल कर लिया गया है। इस विधेयक के नरम होने और इसमें अधिक उद्योगों को शामिल करने से विदेशी पूंजी को आने में प्रोत्साहन मिलेगा। मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं है। परन्तु मैं यह आश्वासन चाहता हूं कि इन विशिष्ट उद्योगों पर जो विनियोजन किया जायेगा उसे उन्हीं उद्योगों पर रहने दिया जायेगा, अन्यथा सरकार के राजस्व में हानि पड़ेगी और विदेशी सहायता बड़ी अनुकूल शर्तों पर मिलेगी और इसके साथ साथ गैर सरकारी क्षेत्र अपनी मरजी से अपना विस्तार करेगा । मैं आशा करता हूं कि सरकार ये स्पष्टीकरण देगी ।

श्री कृ० चं० शर्मा (सरधना) : हमारे सामने आज तीन कठिन परिस्थितियां हैं। पहली तो युद्ध की है युद्ध के लिये हमारे पास एक बहुत बड़ी संख्या में सिपाहियों का होना आवश्यक है। इतिहास ने यह सिद्ध कर दिया है कि जिस देश के पास सिपाही अधिक संख्या में थे उसकी सदैव जीत होती रही है। अतः यह आवश्यक है कि सिपाही बड़ी संख्या में भरती किये जायें।

दूसरा प्रश्न उपकरण, तीसरा टेक्नोलौजी और चौथा युद्ध उद्योगों का है। दो बड़े देश इंगलैंड और फ्रांस ने अपने युद्ध सोने और विदेशी प्रतिभूतियों के जोर पर लड़े। भारत के पास विदेशी प्रतिभूति नहीं है और सोने को जनता ने छिपा कर रखा हुआ है। अतः सरकार के पास केवल एक ही विकल्प है और वह करारोपण का।

[**उपाध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए]
[MR. DEPUTY SPEAKER *in the chair*]

दूसरी समस्या सरकार के सामने शरणार्थियों के पुनर्वास की है। जब जर्मनी के सामने यह समस्या आई तो उसने सभी उल्लिखित सम्पत्तियों पर ५० प्रतिशत पूंजीगत कर (कैपिटल लेवी) लगा दिया और थोड़े से समय में समस्या का समाधान हो गया। परन्तु यहां पर शरणार्थियों के लिये कुछ नहीं किया जाता। उन में से कुछ को थोड़ी सी भूमी दे दी जाती है, कुछ छोटा मोटा कारोबार करते हैं और कुछ भूखे रह कर धीरे धीरे मर जाते हैं।

यदि उन शरणार्थियों को बसाना है तो नये उद्योग चालू करने पड़ेंगे और उनमें अधिकतर धन जुटाना पड़ेगा। इससे देश की अर्थ व्यवस्था को भी सहायता मिलेगी।

तीसरी समस्या हमारे सामने आर्थिक विकास की है। औद्योगिक प्रगति के लिये बड़े विनियोजन की आवश्यकता है। आज देश के सामने जो कठिन परिस्थितियां हैं उनका मुकाबला करने के लिये धन की आवश्यकता है।

इन शब्दों के साथ मैं विधेयक का समर्थन करता हूं।

Shri Bade (Khargon) : I find there is not much difference between the Super Profits Tax and Companies Surtax. The 50 or 60 percent Super Profit Tax has been renamed as 40 per cent Surtax. The Finance Minister while speaking on the Budget said that Super Profits Tax will be very much unfavourable for the growth of industries.

माननीय वित्त मंत्री ने अधिलाभ कर अधिनियम पर बोलते हुए कहा कि अधिलाभ कर का उद्योगों पर बहुत बुरा असर पड़ेगा।

The Super Profits Tax has retarted the industrial growth in our country. I think that by the imposition of Sur Tax the industries shall not be getting capital and as a result there of there shall be no growth of the industries. I want to know from the Finance Minister whether he wants to see the industries in the Private sector alive or not.

Vivian Bose Commission reported of mismanagement and Corruption in certain industries. But this does not imply that there is Corruption and mismanagement in all the industries. What the Govt. should do is to have a good vigilance over the industries. Unless there is circulation of capital in the industries they are bound to die.

A report has appreared that 73·02 per cent companies have liquidated last year. It shows how many difficulties the companies are facing. If the companies fail to earn profits, the capitalists will not invest in them. Moreover the Income-tax officers some times unnecessarily harass the companies, Government should give due consideration to those things.

The Income-tax officers have been given wide powers with respect to the assessment on commission; entertainment and advertisement of which they have little experience. This will go a long way in corrupting the officers.

Wide powers should not be given to Income-tax officers, which are likely to be misused by them. The companies should not be placed at the mercy of these officers by giving them wide discretionary powers. Government should reconsider their whole policy if it is interested in the growth of the private sector. The Bill should be rid of the loose wordings to make it more comprehensible.

श्री हेडा (निजामाबाद) : वर्तमान विधेयक ारा पिछले अधिनियम में काफी सुधार किये गये हैं। हालांकि अधिलाभ कर विदेशी विनियोजन के रास्ते में बाधक था फिर भी विदेशी विनियोजकों ने आपातकाल की दृष्टि से उसकी सराहना की थी और विदेशी पूंजी का भारत में आना जारी रहा। विदेशी सहयोजकों के रास्ते में कर की मात्रा बाधक नहीं है अपितु कराधान की जटिल प्रणाली ही बाधक है। सरकार को इस मामले पर इस तथ्य को ध्यान में रख कर विचार करना चाहिये। इस बारे में पहले ही उपबन्ध है कि किसी विदेशी फर्म से समझौता वित्त मंत्रालय की सहमति के बिना नहीं किया जा सकता। इसके साथ साथ हमारे वाणिज्यदूतों को विदेशी उद्योगपतियों से सम्पर्क बनाये रखना चाहिये ताकि भारतीय उद्योगपतियों के पक्ष में शर्तें ठहराई जा सकें और उनका मार्ग दर्शनकिया जा सके। मुद्रा बाजर बहुत महंगा है और लोग १८ प्रतिशत ब्याज पर भी ऋण प्राप्त करने के लिये तैयार हैं। ऐसी स्थिति में निगमों के लिये जनता से पैसा प्राप्त करना संभव नहीं है। ऐसे विधान बनाते समय इस पहलू की ओर भी ध्यान दिया जाना चाहिये। पिछले वर्ष की हानि को वर्तमान वर्ष के लाभ से पूरा किया जाना चाहिये। वर्तमान विधेयक द्वारा प्रत्येक वर्ष पृथक माना जायेगा। और उसके अनुसार कर लगाया जायेगा। यह छोटे समवायों को प्रोत्साहन देने के विरुद्ध होगा। यह कई समवायों के समूह की अपेक्षा व्यक्तिगत समवाय के पक्ष में होगा। इस मामले पर विचार किया जाना चाहिये और पहले उपबन्धों को बनाये रखना चाहिये।

हालांकि लाभांश कर का इस विधेयक से सम्बन्ध नहीं है, फिर भी मेरा निवेदन है कि केवल एक विशेष सीमा से अधिक होने की अवस्था में ही लाभांश पर कर लगाया जाना चाहिये।

श्री जोकीम आल्वा (कनारा) : वित्त मंत्री को ऐसे विधान के लाने से पहले प्रत्येक मंत्रालय की जांच करनी चाहिये और उनमें जो बुराइयां पाई जायें उन्हें दूर करना चाहिये ताकि धन का अपव्यय न हो सके। यदि ऐसा किया जायेगा तो इस प्रकार के विधेयक लाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। हम विदेशी सहयोग का स्वागत करते हैं और वह हमारे देश के औद्योगिक विकास के लिये बहुत जरूरी है। परन्तु होटलों की स्थापना के लिये ऐसे सहयोग की अनुमति नहीं होनी चाहिये। वित्त मंत्री को कृषि मंत्रालय की जांच करनी चाहिये और देखना चाहिये कि क्या अन्न के आयात पर होने वाला खर्च बचाया जा सकता है या नहीं। राज्यों में भी धन के अपव्यय को रोका जाना चाहिये। इन सारी बुराइयों के दूर हो जाने से हम काफी बड़ी राशि बचा सकते हैं। कृषि मंत्रालय पर यह दबाव डाला जाना चाहिये कि वह कृषि उत्पादन को बढ़ाने के लिये कदम उठाये ताकि अनाज तथा चीनी की मांग पूरी की जा सके।

[श्री जोकीम आल्वा]

होटल उद्योग विदेशियों के हाथों में नहीं सौंपा जाना चाहिये। सरकार को विकास ऋण देकर होटलों के निर्माण में सहायता देनी चाहिये। नवयुवकों को प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिये विदेशों में भेजा जाना चाहिये। हमारा अशोक होटल विश्व के सर्वोत्तम होटलों में है। अतः सरकार को विदेशियों को नये सरकारी होटल चलाने के लिये आमंत्रित नहीं करना चाहिये।

आशा है कि एकाधिकार आयोग अच्छा काम करेगा और सारी बुराइयों को दूर करेगा। सरकार को यह देखना चाहिये कि धन देश से बाहर न जाने पाये। "हिन्दुस्तान लीवर" के चेयरमैन को रिजर्व बैंक का निदेशक नियुक्त किया गया है। वे एक योग्य व्यक्ति हैं परन्तु एक विदेशी फर्म से सम्बन्ध होने के कारण वे निष्पक्षता से कार्य नहीं कर सकते। हमें ऐसे लोगों को रिजर्व बैंक के निदेशक बोर्ड पर स्थान नहीं देना चाहिये जबकि हमारे बैंकों में काफी योग्य और अनुभवी व्यक्ति मौजूद हैं। लाइसेंस बड़े बड़े समवायों को ही दिये जाते हैं। कल्याणकारी राज्य की स्थापना के लिये यह आवश्यक है कि लाइसेंसों का ठीक प्रकार वितरण किया जाये। देश के आर्थिक विकास के लिये यह जरूरी है कि देश में शांति तथा व्यवस्था बनाये रखी जाये। अतः शांति तथा व्यवस्था बनाये रखने का काम ऐसे मंत्रियों को सौंपा जाना चाहिये जो सख्ती तथा निष्पक्ष रूप से कानून का पालन करवा सकें।

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर) : मैं इस विधेयक का विरोध करता हूं क्योंकि यह पुराने अधिलाभ कर विधेयक का दूसरा रूप है। जब पिछले साल यह विधेयक पास किया जा रहा था तब बड़े बड़े उद्योगपतियों का एक दल दिल्ली में आया हुआ था और उन्होंने भूतपूर्व वित्त मंत्री पर यह कर हटाने के लिये जोर डाला था। परन्तु वित्त मंत्री ने इसे वापिस नहीं लिया था हालांकि उन्होंने विधेयक में कुछ और अधिक रियायतें दे दी थीं। वर्तमान विधेयक में उस विधेयक से भी अधिक छूट दी गई है और वर्तमान वित्त मंत्री इसे इसलिए न्यायसंगत ठहराते हैं कि हमें भारत में विदेशी पूंजी को आकर्षित करना है। चाय उद्योग, तेल उद्योग, आदि के हमारे अनुभव से हमें पता लग गया है कि कितनी बड़ी राशि लाभ के रूप में इन उद्योगों द्वारा विदेशों को भेजी जाती रही है। अतः हमें सावधान रहना चाहिये कि कहीं "ईस्ट इंडिया कम्पनी" की तरह विदेशी विनियोजक भारत में अपनी जड़ें मजबूत न कर लें और हमारा समाजवाद का स्वप्न सदा के लिये समाप्त न हो जाये। औद्योगिक नीति संकल्प को बिल्कुल अर्थहीन बना दिया गया है। देश में इस प्रकार की धारणा है कि यह विधान हमें समाजवाद की तरफ नहीं ले जाता। यदि मंत्री महोदय हमें संतोष दिला सकें कि इस लाभ को बाहर जाने से कैसे रोका जायेगा यह कितनी राशि को बाहर भेजने की अनुमति दी जायेगी तो मैं उनकी बात मानने के लिये तैयार हूं।

सरकार लाभ पर कर लगाने जा रही है जबकि उसे इन समवायों द्वारा कमाये गये लाभ की वास्तविक राशि तक का पता नहीं है। विवियन बोस आयोग तथा महलनवीस समिति ने अपने प्रतिवेदनों में यह स्पष्ट कर दिया है कि देश के बड़े बड़े उद्योगपति गलत लेखे तैयार करते हैं और ऐसे ढंग से सब काम करते हैं कि लाभ बहुत थोड़ा दिखाया जा सके। मिश्रित अर्थव्यवस्था में जो व्यक्ति धन लगाता है उसे उसपर उचित लाभ प्राप्त करने का हक है परन्तु उस उचित लाभ की कोई सीमा होनी चाहिये। जब तक सरकार बड़े बड़े पूंजीपतियों के छिपाये गये लाभ या चोर-बाजारी के पैसे को निकालने के लिये कोई रास्ता नहीं निकालती तब तक ऐसे विधान से कोई लाभ होने वाला नहीं है।

यदि हम समाजवाद की ओर जा रहे होते और भ्रमणकारी अमरीकी व्यापारी मण्डल को यह आभास होता कि भारत में विदेशी व्यापार तथा अन्य बड़े उद्योगों का, जो जनता का शोषण करके पैसा बना रहे हैं, राष्ट्रीयकरण किया जाना है तो वे कभी भी भारत में वातावरण को अपने अनुकूल नहीं पाते। मुझे आशंका है कि अमरीकी तथा अन्य पूंजीवादी देशों के पैसे के भारत में आने से यहां का राजनीतिक जीवन दूषित हो जायेगा। जैसाकि श्री जोकीम आल्वा ने कहा लाइसेंस देने की सरकार की नीति में परिवर्तन होना चाहिये। देश में एकाधिकारों को पनपने न देने के लिये ऐसा करना जरूरी है। लाइसेंसिंग समिति पर कई वर्षों तक एक ही वरिष्ठ आई० ए० एस० अधिकारी का प्रभुत्व नहीं बनाये रखा जाना चाहिये। पांच वर्ष से अधिक ऐसे अधिकारियों को एक विभाग में नहीं रखा जाना चाहिये ताकि सरकार की नीति पर वे अनुचित प्रभाव न डाल सकें।

यदि सरकार ने एकाधिकार आयोग बनाना ही था तो उसमें प्रोफेसर हजारिया जैसे महान् अर्थशास्त्रियों तथा जनता के प्रतिनिधियों को भी स्थान दिया जाना चाहिये था। प्रोफेसर हजारिया ने कुछ बड़े समवायों की जांच की है और उन्होंने बहुत ही अच्छा कार्य कर के दिखाया है। एकाधिकार आयोग को चोरबाजारी के धन, आय-कर और दूसरे करों के छिपाने के मामलों की जांच करने का अधिकार भी दिया जाना चाहिये। यदि यह आयोग खुली जांच करता है और राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों, बड़े बड़े अर्थशास्त्रियों तथा अधिकृत लेखापालों को अपने विचार आयोग के सामने रखने का अवसर दिया जाता है, तो बड़े बड़े पूंजीपतियों द्वारा छिपाया गया पैसा प्रकाश में आ जायेगा। जब तक इन सब बातों पर प्रकाश नहीं डाला जायेगा, मैं इस विधेयक को पास करने की सहमति नहीं दे सकता।

श्री ति० त० कृष्णमाचारी : जहां तक श्री मुरारका की आपत्ति का प्रश्न है यदि किस्त सात वर्ष में दी जानी है तो वह संशोधन के अन्तर्गत आ जायेगी। गत किस्त सात वर्ष की अवधि के लिये होने से ऋण सात वर्ष की अवधि के लिये हो जायेगा। इस विधेयक में दी गई रियायतों के बारे में की गई आपत्ति के बारे में मैं यह कहना चाहता हूं कि और भी कई कर लगाये गये हैं और यही एकमात्र कर नहीं है। उनमें दी गई छूट को निष्प्रभावी बनाने के लिये वित्त विधेयक में लाभांश कर का उपबन्ध किया गया है। यह एक मध्यवर्ती विधान है। हम सभी वस्तुओं पर मूल्य नियंत्रण लागू नहीं कर सकते हैं अतः समवाय इस प्रकार जो अधिक लाभ कमायेंगे, उन पर कर लगाना जरूरी है। समवाय में लगाई गई पूंजी पर १० प्रतिशत लाभ को छोड़ कर शेष लाभ की राशि पर ४० प्रतिशत कर लगाया जा रहा है ताकि सरकार अतिरिक्त लाभ को राजस्व के रूप में प्राप्त कर सके। इस समय इस कर को ४० प्रतिशत की बजाय ५० प्रतिशत करना उचित नहीं है। इस विधेयक द्वारा पहले अधिलाभ कर के कार्यकरण में जो बुराइयां अनुभव की गईं उन्हें दूर किया गया है। यह कर नरम नहीं है अपितु न्यायपूर्ण है।

यह सराहनीय बात है कुछ आलोचनाओं के बावजूद भी अधिकांश सदस्यों ने वित्त विधेयक का समर्थन किया है। कुछ विरोधी दल के सदस्यों ने इसका विरोध भी किया है। कदाचित उनकी दृष्टि में विधेयक में देश के आर्थिक विकास के लिये की गई व्यवस्था काल्पनिक उड़ान मात्र है। मैं उन माननीय सदस्यों को दृढ़तापूर्वक विश्वास दिलाता हूं कि विधेयक देश के मूल आर्थिक सिद्धान्तों को दृष्टि में रख कर तैयार किया गया इस से देश के सभी वर्गों को लाभ पहुंचेगा।

माननीय सदस्य पीटर अल्वारेस अर्थशास्त्र के अच्छे ज्ञाता होते हुए भी कर नीति को समझने में असमर्थ रहे, मैं उनको बताना चाहता हूं कि देश के आर्थिक विकास में उद्योगों का महत्वपूर्ण

[श्री ति० त० कृष्णमाचारी]

स्थान है। इसी बात को दृष्टि में रख कर औद्योगिक क्षेत्र को प्रोत्साहन दिया गया है। आने वाले वर्ष में इसका परिणाम माननीय सदस्य के सामने आ जायेगा। तथा वह स्वयं अनुभव करेंगे कि उद्योगों को प्रोत्साहन देना उचित था।

७ वर्षीय ऋण के आधार पर ली गई पूंजी सम्पत को शामिल कर के १० प्रतिशत के आधार पर विस्तार किया गया है। और यह युक्तिसंगत है। इन उद्योगों को निगम कर के बारे में १० प्रतिशत की छूट नहीं दी जा सकती है।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि कुछ समवायों के लाभ पर विशेष कर लगाने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The Motion was adopted.

श्री रामेश्वर टांटिया (सीकर) : मैं अपना संशोधन संख्या १२ प्रस्तुत करता हूं।

यद्यपि कुछ मामलों में अधिलाभ कर की अपेक्षा प्रस्तावित अधिकर १० से २० प्रतिशत तक कम होगा, किन्तु इससे उद्योगों को किसी प्रकार की राहत नहीं मिलेगी, अधिलाभ कर में किसी वर्ष में घाटे की राशि अगले वर्ष में अधिलाभ कर के समय उस वर्ष की आय में घटाई जाती थी किन्तु अधिकर में ऐसा नहीं हो सकेगा। वित्त मंत्री महोदय को इस संशोधन पर विचार करना चाहिये।

श्री ति० त० कृष्णमाचारी : माननीय सदस्य का यह सुझाव स्वीकार नहीं किया जा सकता है कि किसी वर्ष के घाटे को अगले वर्ष की आय के साथ शामिल नहीं किया जा सकता है। अतः संशोधन को स्वीकार करने का कोई औचित्य नहीं है।

श्री रामेश्वर टांटिया : ऐसी स्थिति में मैं अपना संशोधन वापिस लेता हूं।

संशोधन संख्या १२ सभा की अनुमति से, वापिस लिया गया।

Amendment No. 12 was, by leave, withdrawn.

द **उपाध्यक्ष महोय** : प्रश्न यह है :

"कि खंड २ विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

खंड २ विधेयक में जोड़ दिया गया।

Clause 2 was added to the Bill.

खंड ३ और ४ विधेयक में जोड़ दिये गये।

Clauses 3 and 4 were added to the Bill.

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड ५ से २६ विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

खंड ५ से २६ विधेयक में जोड़ दिये गये ।

Clauses 5 to 26 were added to the Bill.

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम पहली सूची पर विचार करेंगे । क्या श्री टांटिया अपने संशोधन प्रस्तुत करेंगे ।

श्री रामेश्वर टांटिया : जी, नहीं ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि पहली सूची विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

पहली सूची विधेयक में जोड़ी गई ।

The first Schedule was added to the Bill.

दूसरी अनुसूची

संशोधन किया गया

Amendment made

(१) पृष्ठ १५, पंक्तियां २५ से ३४ के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाय :—

"(v) any moneys borrowed by it from Government or the Industrial Finance Corporation of India or the Industrial Credit and Investment Corporation of India or any other financial institution which the Central Government may notify in this behalf in the Official Gazette or any banking institution (not being a financial institution notified as aforesaid) or any person in a country outside India;

Provided that such moneys are borrowed for the creation of a capital asset in India and the agreement under which such moneys are borrowed provides for the repayment thereof during a period of not less than seven years".

["(४) सरकार अथवा भारत की औद्योगिक वित्त निगम अथवा भारत औद्योगिक ऋण और विनियोग निगम या कोई अन्य वित्तीय संस्था, जो केन्द्रीय सरकार अपनी ओर से सरकारी गजट में अधिसूचित करे अथवा कोई बैंकिंग समवाय, (जो उपरोक्त पद्धति पर अधिसूचित वित्तीय संस्था न हो) अथवा भारत के बाहर के देश में किसी भी व्यक्ति से प्राप्त ऋण की कोई रकम ;

[उपाध्यक्ष महोदय]

परन्तु यह रकम भारत में पूंजी आस्तियों के निर्माण के लिये की गई हों और जिस समझौते के अन्तर्गत यह रकम प्राप्त की गई हो उसके चुकाने के लिये सात वर्ष से अनधिक अवधि का उपबन्ध किया गया हो ।" (१)

(२) पृष्ठ १६, पंक्ति १५,

("Such moneys as are" ["ऐसी राशियां जोकि"] के स्थान पर "the Debentures referred to in clause (iv) or moneys" ["खंड (४) में उल्लिखित ऋण पत्र अथवा राशियां"] रखा जाय । (२)

[श्री ति० त० कृष्णमाचारी]

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि दूसरी अनुसूची संशोधित रूप में विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

दूसरी अनुसूची, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दी गई ।

The Second Schedule, as amended, was added to the Bill.

तीसरी अनुसूची

संशोधन किया गया

Amendment made

(१) पृष्ठ १७, पंक्ति १६,—

"and" ["और"] के स्थान पर "or" ["अथवा"] रखा जाय । (३)

(२) पृष्ठ १७, पंक्ति ३०,—

"and" ["और"] के स्थान पर "or" ["अथवा"] रखा जाय । (४)

(३) पृष्ठ १८,—

पंक्ति ४ के स्थान पर "(२) Aluminium, copper, lead and zin (Metals)" ["एल्यूमिनियम, तांबा, सीसा और जस्ता (धातुओं)"] रखा जाय । (५)

(४) पृष्ठ १८, पंक्ति ५,—

"iron ore and bauxite" ["लौह अयस्क और बाक्साइट"] के स्थान पर "iron ore, bauxite, manganese ore, dolomite, magnesite and mineral oil."

["लौह अयस्क, बाक्साइट, मैंगनीज़ अयस्क, डोलोमाइट, मैग्नेसाइट और अन्य खनिज तल"।] रखा जाय । (६)

(५) पृष्ठ १८,—

पंक्तियां १३ और १४ के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाए :—

"(6) Equipment for the generation and transmission of electricity including transformers, cables and transmission towers."

["(६) बिजली पैदा करने और इसका संचारण करने सम्बन्धी उपकरण जिसमें ट्रांसफार्मर्स, केबल और संचारण बुर्ज भी शामिल हैं।"] (७)

(६) पृष्ठ १८,—

पंक्ति १९ के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाए :—

for line 19, substitute—

"(11) Fertilisers, namely, ammonium sulphate, ammonium sulphate nitrate (double salt), ammonium nitrate (nitrolime stone), ammonium chloride, super phosphate, urea and complex fertilisers of synthetic origin containing both nitrogen and phosphorous, such as ammonium phosphates, ammonium sulphate phosphate and ammonium nitro phosphate"

["(११) उर्वरक, अर्थात्, एमोनियम सल्फेट, एमोनियम सलफेट नाइट्रेट (डबल साल्ट), एमोनियम नाइट्रेट (नाइट्रोलाइम पत्थर), एमोनियम क्लोराइड, सुपर पासफेट, यूरिया और कृत्रिम श्रेणी की बहुयोजी उर्वरक जिसमें नाइट्रोजन और फासफोरस पाया जाता है, जैसेकि एमोनियम फासफेट, एमोनियम सलफेट फासफेट और एमोनियम नाइट्रोफासफेट।"] (८)

(७) पृष्ठ १८,—

पंक्ति २१ के स्थान पर "(१३) Tea" ["(१३) चाय"] रखिये। (९)

(८) पृष्ठ १८,—

पंक्ति २१ के बाद निम्नलिखित रखा जाए :—

"(14) Electronic equipment, namely, radar equipment computers, electronic accounting and business machines, electronic communication equipment, electronic control instruments and basic components such as valves, transistors, resistors, condensors, coils, magnetic materials and micro wave components.

(15) Petrochemicals including corresponding products manufactured from other basic raw materials. namely, calcium carbide, ethyl alcohol or hydrocarbons from other sources."

["(१४) इलेक्ट्रानिक उपकरण, अर्थात्, रेडार उपकरण संगणक, इलेक्ट्रानिक लेखा तथा व्यापार मशीन, इलेक्ट्रानिक संचार उपकरण, इलेक्ट्रानिक नियंत्रण उपकरण तथा मूल पुर्जे, जैसे कि वाल्ब्स, ट्रांज़िस्टर, रेसिस्टर, कन्डेन्सर, काइल, चुम्बकीय सामान और माइक्रो वेभ पुर्जे।

(१५) पेट्रो केमिकल्स जिसमें बुनियादी कच्चे माल, अर्थात्, केलसियम कारबाइड, एथिल एल्कोहल अथवा दूसरे साधनों से प्राप्त हाइड्रोकार्बन, से निर्मित संबधित उत्पाद शामिल हैं।"] (१०)

As a result of the insertion of two new items in the list, item (14) may be re-numbered as item (16).

[सूची में दो नये उपबन्धों के रखे जाने के परिणामस्वरूप मद संख्या (१४) को मद संख्या (१६) कर दिया जाए।] (११)

[श्री ति० त० कृष्णमाचारी]

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि तीसरी अनुसूची, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted.

तीसरी अनुसूची, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दी गई।

The Third Schedule, as amended, was added to the Bill.

श्री ति० त० कृष्णमाचारी : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक को, संशोधित रूप में, पारित किया जाए।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक को संशोधित रूप में, पारित किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted.

सशस्त्र सेनायें (विशेष शक्तियां) जारी रखना विधेयक

ARMED FORCES (SPECIAL POWER) CONTINUANCE BILL

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्रीमती लक्ष्मी मेनन) : मैं प्रस्ताव करती हूं :

"कि सशस्त्र सेनायें (विशेष शक्तियां) विनियम, १९५८ को कुछ और अवधि तक जारी रखने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

प्रस्तुत विधेयक का उद्देश्य, राष्ट्रपति द्वारा प्रख्यापित वर्ष १९५८ के सशस्त्र सेनायें विनियम को और एक वर्ष की अवधि तक के लिए बढ़ाना है, जिससे सशस्त्र सेनाओं के अधिकारियों को विशेष शक्तियां दी जायेंगी ताकि वे त्वेनसांग और नागालैंड के कोहिमा तथा मोकोकचांग जिलों के उपद्रवग्रस्त क्षेत्रों में उपद्रवों को दबाने में असैनिक शक्तियों की सहायता कर सकें। प्रारम्भ में वर्ष १९५८ में नागाओं द्वारा उपद्रवों को दबाने के लिये राष्ट्रपति द्वारा सेना विनियम प्रख्यापित किया गया है। तब से राष्ट्रपति द्वारा, संविधान के अनुच्छेद २४० के अन्तर्गत इसकी अवधि एक एक वर्ष बढ़ाई जाती थी। अब नागालैंड एक अलग राज्य बन जाने के परिणामस्वरूप सेना विनियम की अवधि बढ़ाने के लिए यह विधेयक सभा में लाने की आवश्यकता पड़ी।

मैं सभा को आश्वासन दिलाती हूं कि सरकार का अभिप्राय अधिक समय तक के लिए सशस्त्र सेनाओं को विशेष शक्तियां देने का नहीं है । इसीलिये इस विनियम की अवधि केवल एक वर्ष के लिए और बढ़ाई जा रही है ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ ।

श्री रंगा (चित्तूर) : मैं अपना भाषण आरम्भ करने से पूर्व यह जानना चाहता हूं कि यह विनियम गत एक वर्ष में पंचमागियों तथा अन्य विरोधी तत्वों को समाप्त करने में असैनिक शक्तियों को सहायता देने में कहां तक प्रभावी रहा है ?

श्रीमती लक्ष्मी मेनन : आपातकाल मे नागालैंड तथा अन्य उपद्रवग्रस्त क्षेत्रों में शान्ति तथा व्यवस्था स्थापित करने में विनियम पर्याप्तरूप से असैनिक शक्तियों को सहायता पहुंचाने में सफल रहा है ।

श्री रंगा : मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं और सरकार से अनुरोध करता हूं कि इसमें दी गई शक्तियों का उचित प्रयोग किया जाये और सीमावर्ती क्षेत्रों की असैनिक स्वतंत्रता का हनन नहीं किया जाना चाहिए ।

सीमावर्ती क्षेत्रों की सुरक्षा व्यवस्था सुदृढ़ बनाने के लिए सरकार को हर संभव शक्ति प्राप्त होनी चाहिए । दुःख की बात है कि सीमावर्ती क्षेत्रों में सैनिक गुप्तचर कार्य कमजोर रहा है । पंचमांगी सैनिकों के रूप में सेना में काम करते पाये गये हैं । पता चला है कि दूर दूर तक फैले हुए क्षेत्रों में पंचमांगियों के साथ चीनियों का घनिष्ट सम्पर्क है । वहां के पंचमांगियों के बारे में पूरी जानकारी रहनी चाहिए और उनकी गतिविधियां समाप्त की जानी चाहिएं । सीमावर्ती क्षेत्रों में हमारे असैनिक कर्मचारी तथा सेनायें प्रभावी व कुशल नहीं रहे हैं ।

उपाध्यक्ष महोदय : क्या माननीय सदस्य और अधिक समय चाहते हैं ?

श्री रंगा : जी, हां ।

उपाध्यक्ष महोदय : आप अपना भाषण अगले दिन जारी रख सकते हैं । अब हम ग़ैर-सरकारी कार्यों को लेंगे ।

ग़ैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति

COMMITTEE ON PRIVATE MEMBERS' BILL AND RESOLUTIONS

इकतालीसवां प्रतिवेदन

श्री मुथिया (तिरुनेलवेली) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि यह सभा ग़ैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति के इकतालीसवें प्रतिवेदन से, जो १५ अप्रैल, १९६४ को सभा में प्रस्तुत किया गया था, सहमत है ।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि यह सभा ग़ैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति के इकतालीसवें प्रतिवेदन से जो, १५ अप्रैल, १९६४ को सभा में प्रस्तुत किया गया था, सहमत है।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

लोक आयुक्त के बारे में संकल्प—जारी

RESOLUTION *Re.* PEOPLE'S PROCURATOR—*Contd.*

उपाध्यक्ष महोदय : अब सभा डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी द्वारा ३ अप्रैल, १९६४ को प्रस्तुत संकल्प पर आगे विचार करेगी। इसके लिए एक घंटा और चौदह मिनट शेष हैं।

डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी (जोधपुर) : मेरा अनुरोध है कि इसके लिए कम से कम आधा घंटा समय बढ़ाया जाये।

उपाध्यक्ष महोदय : बाद मे देखेंगे। डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी अपना भाषण जारी रखें।

डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी : पिछले दिन मैं देश मे एक ऐसी संस्था स्थापित करने के बारे में कह रहा था जो जनता की शिकायतों को दूर करने, भ्रष्टाचार को दूर करने तथा देश के प्रशासन में एकरूपता लाने के लिये कार्य कर सके।

मैंने यह मामला पहली बार ३ अप्रैल, १९६३ को विधि मंत्रालय की अनुदानों की मांगों पर चर्चा के समय उठाया था। विधि मंत्री महोदय ने वाद-विवाद का उत्तर देते समय बताया कि इस सम्बन्ध के बारे प्रधान मंत्री महोदय ही बता सकते हैं क्योंकि यह बहुत महत्वपूर्ण विषय है। उन्होंने आगे बताया कि संभवतः इस विषय में ग़ैर-सरकारी संकल्प सभा के सामने लाये जाने पर प्रधान मंत्री इस सम्बन्ध में स्थिति स्पष्ट कर सकते हैं। उसके बाद ही मामले पर आगे विचार किया जा सकता है।

प्रधान मंत्री महोदय ने जयपुर में कांग्रेस के अधिवेशन मे भाषण देते हुए कहा था कि 'ओम्बुडसमैन' जैसी संस्था की स्थापना करना एक अच्छी बात है क्योंकि ऐसी संस्था छोटे से लेकर बड़े अधिकारी के विरुद्ध स्वतंत्रतापूर्वक ईमानदारी से काम कर सकती है किन्तु भारत जैसे विशाल देश में यह पद्धति शायद उचित हल सिद्ध नहीं हो सकेगी।

गृह-कार्य मंत्री श्री नन्दा ने भी कहा था कि प्रशासन के विरुद्ध नागरिकों की शिकायतें दूर करने के लिए एक प्रणाली स्थापित करने के बारे में जांच की जा रही है क्योंकि यह समस्या बहुत बड़ी होने के कारण सतर्कता आयोग इस सम्बन्ध में प्रभावी ढंग से इस कार्य को करने में असमर्थ है। उन्होंने आगे बताया था कि इस कार्य के लिए एक प्रशासन सम्बन्धी सुधार विभाग शीघ्र खोला जायेगा। किन्तु सरकार अपना वचन पूरा नहीं कर पायी।

भ्रष्टाचार निवारण सम्बन्धी सन्थानम समिति ने अपने प्रतिवेदन में अनेक भ्रष्टाचार के मामलों का उल्लेख किया है और भ्रष्टाचार को दूर करने के लिए अनेक सिफारिशें की हैं। समिति

ने अपनी सिफारिश में कहा है कि सतर्कता आयोग मंत्रियों के विरुद्ध भ्रष्टाचार के मामलों की जांच प्रभावी ढंग से नहीं कर सकता है अतः मंत्रियों के मामलों की जांच करने के लिए एक राष्ट्रीय तालिका (नेशनल पेनल) बनाया जाना चाहिए और किसी मामले की जांच करने के लिए इस तालिका में से एक तदर्थ समिति नियुक्त की जाये। मेरे विचार से इस प्रकार की बड़ी समस्यायें तदर्थ आधार पर हल नहीं की जा सकती हैं। अतः इस विषय पर गृह-मंत्री महोदय द्वारा शीघ्र विचार करके इस सभा को दिये गये वचन को पूरा करना चाहिये।

भारत के मुख्य न्यायाधिपति श्री गजेन्द्र गडकर ने भी संकल्प में प्रस्तावित संस्था जैसी एक संस्था स्थापित करने का समर्थन किया है। भूतपूर्व महान्यायवादी, श्री सीतलवाद, भूतपूर्व मुख्य न्यायाधिपति श्री बी० पी० सिन्हा और तेरह अन्य प्रमुख विधि वेत्ताओं ने भी इस विचार का समर्थन किया है। यदि सरकार फिर भी इस सम्बन्ध में कोई कदम नहीं उठाती है तो वह देश की प्रगति को खतरे में डालना चाहती है।

सन्थानम समिति के तदर्थ आधार पर जांच करने के सुझाव को क्रियान्वित करने से समस्या हल नहीं हो सकती है। यदि जांच विभागीय आधार पर की जाती है तो इसमें जनता का विश्वास नहीं रहेगा और सार्वजनिक रूप से तदर्थ जांच बड़े मामलों की ही हो सकती है। छोटे-छोटे मामलों के लिए तदर्थ आधार पर जांच करना कठिन है।

लोक आयुक्त जैसी संस्था किसी प्रकार के बाहरी या सरकारी हस्तक्षेप से मुक्त रहेगी इसलिये यह निष्पक्ष रूप से कार्य कर सकती है और इसमें जनता का पूर्ण विश्वास होगा। यह कार्य प्रणाली अनौपचारिक होगी जिससे जांच के समय साधारण प्रशासनिक कार्य में किसी प्रकार की बाधा नहीं होगी। लोक आयुक्त को फाइलें तथा अन्य आवश्यक कागजात देखने का पूरा अधिकार होगा। अतः जांच विस्तारपूर्वक की जा सकेगी।

लोक आयुक्त जैसी संस्था स्थापित करने सम्बन्ध में कुछ कठिनाइयां बताई गई हैं। विधि मंत्री महोदय ने कहा है कि इस प्रकार की संस्था स्थापित करने के लिए संविधान में संशोधन करना पड़ेगा। यह कोई बड़ी कठिनाई नहीं है क्योंकि सरकार प्रायः छोटी-छोटी बातों के लिए संविधान में संशोधन करती है। इतने बड़े कार्य के लिए संशोधन करना वांछनीय है।

दूसरी कठिनाई मंत्री महोदय ने यह बताई है कि इसकी स्थापना के लिए हमें दूसरे देशों की संस्थाओं के अनुभव पर आधारित रहना होगा। उनके पास इन संस्थाओं के कार्य के बारे में विस्तारपूर्वक अध्ययन करने के लिए समय नहीं है। मैं उनको दृढ़तापूर्वक विश्वास दिलाता हूं कि संस्थाओं का कार्य बहुत ही संतोषजनक चल रहा है और भारत में यह बहुत सफलतापूर्वक कार्य करेगी।

इस संस्था के स्थापना के सम्बन्ध में यह भी कठिनाई जाहिर की गई है कि भारत जैसे बड़े देश में यह प्रभावी रूप से कार्य नहीं कर सकती है। इस कठिनाई को दूर करने के लिये प्रत्येक राज्य में ऐसी संस्थायें स्थापित की जा सकती हैं जिससे कार्य सुचारु रूप से चल सकता है।

उपाध्यक्ष महोदय : संकल्प प्रस्तुत हुआ :

"इस सभा की यह राय है कि (क) सार्वजनिक शिकायतों की सक्रिय और निष्पक्ष जांच करने, सभी स्तरों से भ्रष्टाचार समाप्त करने, प्रशासनिक

[उपाध्यक्ष महोदय]

गलतियों और ज्यादतियों को दूर करने, नागरिकों को उनके अधिकार दिलाने और सामान्यतया संसदीय लोकतन्त्र शासन पद्धति की नींव को मज़बूत बनाने के लिए मोटे रूप में स्वीडन, डेन्मार्क, और न्यूज़ीलैण्ड की ओम्बुड्समैन प्रणाली के नमूने पर उपयुक्त विधान के अन्तर्गत संसद का एक पदाधिकारी नियुक्त किया जाये जिसे लोक आयुक्त कहा जाये।"

(ख) कि लोक आयुक्त कोई विख्यात विधिवेत्ता और बहुत ईमानदार व्यक्ति होना चाहिये और उसे संसद् की दोनों सभाओं की सिफारिश पर भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाना चाहिये। प्रत्येक लोक आयुक्त का कार्य-काल प्रत्येक संसद् के कार्य-काल के साथ समाप्त हो और कोई लोक आयुक्त उसी पद पर पुनर्नियुक्ति के लिए अर्ह नहीं होगा और लोक आयुक्त के पद से हटने के बाद कम से कम दस वर्ष तक वह केन्द्रीय सरकार अथवा किसी राज्य सरकार के अधीन या उनसे सम्बन्धित विश्वास अथवा लाभ का कोई पद स्वीकार नहीं करेगा। लोक आयुक्त को केवल संविधान के अनुच्छेद १२४(४) में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार ही हटाया जा सकेगा ;

(ग) कि लोक आयुक्त की मुख्यत: निम्नलिखित शक्तियां और कृत्य होंगे :—

(१) लोक आयुक्त को प्रशासन के मामले में सम्बन्धित अथवा किसी संविधि, नियम या निदेशों द्वारा प्रदत्त किसी शक्ति या कृत्य का उपयोग करते हुए किसी मंत्रालय और विभाग अथवा किसी मंत्री, पदाधिकारी, कर्मचारी, या उसके किसी सदस्य द्वारा किये गये किसी ऐसे निर्णय या सिफारिश अथवा किसी कार्य या भूल चूक की जांच करने की शक्ति होगी जिसका किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के निकाय पर प्रभाव पड़ता हो। लोक आयुक्त सरकार को सामान्य और विशिष्ट सिफारिशें करेगा और वह उन लोगों के विरुद्ध कार्यवाही का सुझाव देगा जिन्होंने अपने सरकारी कर्त्तव्यों का निष्पादन करते हुए, पक्षपात, अनुचित अनुग्रह अथवा अन्य किसी कारण या प्रतिफल के कारण कोई गैर-कानूनी काम किया हो अथवा उचित रीति से अपने कर्त्तव्य का पालन करने में उपेक्षा की हो ;

(२) लोक आयुक्त एक उपयुक्त अधिनियम में विस्तार से बताई जाने वाली अपेक्षाओं के अनुसार उससे शिकायत किये जाने पर अथवा अपनी ओर से प्रस्ताव करके इस प्रकार की जांच कर सकेगा ;

(३) पूर्व उपबन्धकों समिति किये बिना, लोक आयुक्त संसद की किसी सभा अथवा उनकी किसी समिति द्वारा उसे निर्दिष्ट की गई किसी याचिका की जांच उस सभा या समिति के निदेशों के अधीन करेगा और उसके सम्बन्ध में अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करेगा ;

(४) लोक आयुक्त की शक्तियों का प्रयोग, समय समय पर लोक-सभा द्वारा पारित किये गये और राज्य सभा द्वारा अनुमोदित एक प्रस्ताव में निर्धारित सिद्धान्तों और निदेशों के अनुसार किया जायेगा ;

(५) यदि इस प्रकार का कोई प्रश्न उत्पन्न हो कि क्या लोक आयुक्त को किसी मामले या किसी श्रेणी के मामलों के बारे में जांच करने का अधिकार है, तो लोक आयुक्त यदि, वह ठीक समझे, उच्चतम न्यायालय से उस विषय में राय मांगेगा ;

(६) लोक आयुक्त को कोई दस्तावेज मांगने या किसी व्यक्ति को बुलाने और किसी व्यक्ति को शपथ दिला कर पूछ-ताछ करने की शक्ति होगी ;

(७) लोक आयुक्त अपने कृत्यों के प्रयोग के बारे में संसद् को प्रति वर्ष कम से कम एक व्यापक प्रतिवेदन देगा ;

(घ) कि भारत संघ के सभी राज्यों में भी इसी प्रकार की शक्ति और कृत्य वाले लोक आयुक्त नियुक्त किये जायें और उपरोक्त प्रयोजनों को कार्य रूप देने के लिए संविधान में उपयुक्त संशोधन करने हेतु तथा विधान निर्माण के लिए शीघ्र आवश्यक कदम उठाये जायें।"

श्री सिद्धेश्वर प्रसाद का एक संशोधन है ।

श्री सिद्धेश्वर प्रसाद : मैं अपना संशोधन संख्या १ प्रस्तुत करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : संकल्प और संशोधन सभा के सामने हैं ।

डेढ़ घण्टे का समय निर्धारित किया गया है । प्रत्येक सदस्य को पांच मिनिट का समय दिया जायेगा ।

डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी : यह एक जटिल तथा विशेषीकृत विषय है और सारे देश का ध्यान इसकी ओर है । इसलिये यदि सदस्यों को केवल पांच मिनिट का समय दिया जायेगा तो यह न्यायसंगत नहीं होगा ।

श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी (केन्द्रपाड़ा) : केवल पांच मिनिट के समय में उपयोगी वाद-विवाद नहीं किया जा सकता । सदस्यों को कम से कम दस मिनिट का समय दिया जाना चाहिये ।

उपाध्यक्ष महोदय : क्या सभा की यह इच्छा है कि समय बढ़ाया जाये।

कुछ माननीय सदस्य : जी, हां ।

उपाध्यक्ष महोदय : ठीक है, इस संकल्प के लिये समय एक घण्टा बढ़ा दिया गया है । वाद-विवाद ४ बजकर ४० मिनिट तक चलेगा । श्री माथुर ।

श्री हरिश्चन्द्र माथुर (जालौर) : मैं अपने माननीय मंत्री श्री सिंघवी द्वारा प्रस्तुत किये गये प्रस्ताव का पूर्ण समर्थन करता हूं । गत पांच वर्षों में गृह-मंत्रालय कार्य की अनुदानों की मांगों पर जब कभी चर्चा हुई है तभी हमने यह सुझाव रखा है । परन्तु आज वह समय आ गया है जब हमें देश के विद्यमान हालात पर ध्यान देना चाहिये तथा कुछ ठोस कार्यवाही करनी चाहिये ।

मेरे विचार में आज देश के, नागरिकों के तथा प्रशासन के सामने पहली समस्या यह है कि हमारा राजनैतिक जीवन तथा प्रशासन दोष-रहित होना चाहिये । आज सर्व-साधारण का प्रशासन के प्रति वह आदर तथा विश्वास नहीं रहा है जो कि होना चाहिये था और किसी भी प्रशासन के लिये इससे अधिक हानि प्रदायक बात कोई और नहीं हो सकती ।

हमारे चारों ओर के अधिकांश पड़ौसी देशों के राजनीतिक जीवन में इतनी गिरावट आ गई है कि उसके साथ ही लोकतंत्र की स्थिति भी खराब हो गई है । केवल इस महान देश ने ही लोकतंत्र को जिन्दा बनाये रखा है जिसके लिये हम गर्व कर सकते हैं। इसका मुख्य कारण यह था कि हमारे राजनीतिक नेता ऐसी कल्पनाशक्ति वाले थे जो कि लोगों की भावनाओं को समझते थे और लोगों का उनके प्रति लगाव था । आज वह पुराने नेता मरते जा रहे हैं और इस समय हमारे जो नेता हैं वह आपस में एक दूसरे पर छींटाकशी करके राजनीतिक जीवन के प्रति लोगों के सम्मान को खो रहे हैं । राजनीतिक जीवन पर दुष्प्रभाव डालने वाली दूसरी बात यह है कि आज स्वयं कांग्रेस दल में निम्नतम स्तर पर भी मतभेद तथा गुटबन्दी है । एक ही दल के वही व्यक्ति बहुत समय से सत्तारूढ़ चले आ रहे हैं इसका भी जनसाधारण पर बुरा प्रभाव पड़ा है । हमारे प्रधान मंत्री देश की एक बड़ी पूंजी हैं जिन्होंने देश में प्रशासन तथा एकता को बनाये रखा है । परन्तु राजनीतिक जीवन पर इसका प्रतिकूल प्रभाव यह हुआ है कि राजनीतिक प्राधिकार के व्यक्ति, जनता की भावनाओं की उपेक्षा करके, उनको तथा उनके निकट सम्पर्क में रहने वाले व्यक्तियों को प्रसन्न रखने और उनकी खुशामद करने में ही लगे रहे हैं ।

दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि हमारे देश में कोई अच्छा विरोधी दल नहीं जिसका कि कोई वैकल्पिक कार्यक्रम लोगों के सम्मुख रखे जाने के लिये हो । सत्तारूढ़ दल की बुराइयां करना, उसके सम्मान को ठेस पहुंचाने का प्रयत्न करना तथा कांग्रेस की कमजोरियों और असफलताओं का बखान करके उनसे लाभ उठाना ही उनका मुख्य कार्य है । **(अन्तर्बाधायें)** । आप इस बात का जोर-शोर से विरोध कर सकते हैं परन्तु इसमें कोई सार नहीं है । **(अन्तर्बाधायें)** । दुर्भाग्यवश, यह एक सचाई है ।

श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी : किसी दल के सत्तारूढ़ हो जाने का अर्थ यह नहीं कि केवल उसी दल का कोई ठोस कार्यक्रम है और अन्य दलों का कोई नहीं । ऐसी बातें कहने से पहले श्री माथुर को अन्य दलों के कार्यक्रमों का अध्ययन करने में अधिक समय लगाना चाहिये ।

श्री रंगा : श्रीमान् मैं अपने माननीय मित्र से प्रार्थना करता हूं कि वे अन्य दलों के बारे में ऐसी अनावश्यक बातें कह कर अपने सुन्दर भाषण को खराब न करें । यह कोई अच्छी बात नहीं ।

श्री हरिश्चन्द्र माथुर : स्वयं कांग्रेस दल की कमजोरियों और असफलताओं का जो चित्रण मैंने किया है विरोधी दल के सदस्यों को उसे भी समझना चाहिये और उन्हें यह स्वीकार करना चाहिये कि जहां कहीं भी उन्हें सफलता प्राप्त हुई है वह विभिन्न दलों के एक साथ मिलकर कांग्रेस की कमजोरियों और असफलताओं का अनुचित लाभ उठाने के कारण ही हुई है, उनकी मुख्य ताकत उनके दल के निजी कार्यक्रम के कारण नहीं है । **(अन्तर्बाधायें)** ।

उपाध्यक्ष महोदय : शान्ति, शान्ति । माननीय सदस्यों को विरोध करने का अवसर मिलेगा ।

श्री हरिश्चन्द्र माथुर : युद्धकालीन नियंत्रक ने प्रशासन को बुरी तरह से भ्रष्ट कर दिया है । कल्याण राज्य और विकासशील अर्थव्यवस्था के हमारे विचार के कारण और भी नियंत्रण लगाये गये जिससे कि प्रशासन बिगड़ रहा है । फिर अधिकारियों पर राजनीति दबावों के डाले जाने के कारण सेवाओं तथा रानीतिक जीवन का और भी विनाश हुआ है ।

यदि हमें लोकतंत्र को बचाना है और राजनीतिक जीवन को दोषरहित करना है तो इस प्रयोजन के लिये कोई संस्था बनाई जानी चाहिये । गृह-कार्य मंत्री ने जो सतर्कता आयोग बनाया है उससे यह प्रयोजन सिद्ध नहीं होगा, जैसा कि भारत के वर्तमान मुख्य न्यायाधिपति ने भी कहा है । यह तो सरकार का एक दूसरा विभाग का बनकर रह जायेगा ।

वे जो यह आशा करते हैं कि गृह-कार्य मंत्री अन्य मंत्रियों को तथा मुख्य मंत्री अपने सहयोगियों को दण्ड देंगे तो मेरे विचार में मंत्रियों को दण्ड देने की इससे अधिक तुच्छ और उपहासास्पद व्यवस्था और कोई नहीं हो सकती । मैंने स्वयं गृह-कार्य मंत्री को ऐसे कई मामले बताये थे जिनमें आगे जांच की आवश्यकता नहीं थी और अभिलेखों से यह सिद्ध हो गया था कि दण्ड सम्बन्धी कार्यवाही की जा सकती है परन्तु आज २$^1/_2$ वर्ष बीत जाने पर भी अभी तक उन मामलों में कुछ नहीं हुआ ।

ओम्बडसमैन अथवा संसदीय संस्थाओं सम्बन्धी आयोग जैसा पूर्ण स्वतंत्र प्राधिकर, जोकि केवल संसद के प्रति उत्तरदायी हो, संसद की सिफारिश पर ही नियुक्त किया जाये तथा संसद की अवधि के लिये नियुक्त किया जाये, प्रभावकारी कार्यवाही कर सकेगा । अन्य देशों में ऐसी संस्थाओं को सफलता प्राप्त हुई है ।

आज संसद में तथा विधान सभाओं में क्या होता है । चर्चायें की जाती हैं तथा विभिन्न मंत्रियों पर और अनेक उच्चाधिकारियों पर अनेक प्रकार के आरोप लगाये जाते हैं परन्तु कोई कार्यवाही नहीं की जाती और न की जाने की सम्भावना है क्योंकि इन मामलों में कार्यवाही करने तथा जांच करने की कोई उपयुक्त व्यवस्था नहीं है । इस से वातावरण बहुत दूषित होता है ओम्बडसमैन जैसी संस्था के बनाये जाने पर केवल भ्रष्टाचार ही दूर नहीं होगा अपितु मंत्री आदि भी चरित्रहीनता तथा चरित्र पर लांछन लगाये जाने से बच जायेंगे ।

[श्री हरिश्चन्द्र माथुर]

संविधान में हमने यह व्यवस्था की है कि लोगों को सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक न्याय और स्वतंत्रता दी जानी चाहिये। परन्तु इसके लिये हमने न्यायालय बनाने के अतिरिक्त और क्या किया है और न्यायालय जैसे कार्य करते हैं वह हम जानते हैं।

ओम्बडसमैन न्यायालयों अथवा प्रशासनिक अधिकरणों की कोई वैकल्पिक संस्था नहीं है। यह एक ऐसी संस्था होगी जोकि राजनीतिक क्षेत्र में उच्च सत्तारूढ़ व्यक्तियों और प्रशासकीय प्राधिकारियों की कार्यवाहियों का विशेष ध्यान रखेगी तथा नागरिकों को न्याय आदि देने के लिये उनके एक शक्तिशाली मित्र के रूप में होगी। संसद तथा विधान साभायें इस से वास्तव में कारगर निकाय बन जायेंगे क्योंकि इसका संसद अधिकारी जो कुछ देश में तथा संसद में हो रहा है उसे तथा समाचारपत्रों में प्रकाशित समाचारों को भी देखेगा और आगे कार्यवाही करेगा। वह स्वप्रेरणा से कार्यवाही कर सकेगा। इस से प्रजातंत्र मजबत होगा तथा संसद और संसदीय संस्थाओं में लोगों का विश्वास बढ़ेगा। यह सबसे अधिक प्रभावकारी भ्रष्टाचार निरोधक सिद्ध होगा तथा प्रशासकीय सरकारी खर्चों में कमी करेगा। अब ऐसा समय आ गया है जबकि हमें अपने राजनीतिक जीवन को तथा प्रशासकीय सेवाओं को स्वस्थ बनाना चाहिये जिससे कि सबसे बड़ा प्रजातंत्र मिट्टी में न मिल जाये।

श्री रंगा : मैं इस संकल्प के प्रस्तुतकर्ता, डा० सिंघवी, को तथा श्री माथुर को जिन्होंने इस विषय को इतना महत्व दिया है धन्यवाद देता हूं। मैं श्री के० एम० मुंशी का भी आभारी हूं जिन्होंने पहली बार ऐसी संस्था स्थापित किये जाने की आवश्यकता को जनता के सम्मुख रखा था।

आज सभी लोग इस बात को मानते हैं कि सार्वजनिक कार्य और लोक-जीवन के प्रत्येक पहलू में भ्रष्टाचार व्याप्त है। जो कोई भी देश के कल्याण का इच्छुक है उसे भ्रष्टाचार को समाप्त करने में अपनी अभिरुचि रखनी चाहिये। इसका उत्तरदायित्व केवल सरकार का ही नहीं, अपितु सभी राजनीतिक दलों का है। मैं अपने माननीय मित्र श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी, श्री हेम बरुआ और कामत आदि को बधाई देता हूं क्योंकि संसदीय प्रक्रियाओं को अपना कर भ्रष्टाचार के ऐसे ज्वलन्त मामले सदन के सम्मुख लाये कि मंत्रिमण्डल के दो मंत्रियों को भी त्यागपत्र देना पड़ा। परन्तु यह संसदीय प्रक्रिया में भी एक सीमा से आगे प्रभावी सिद्ध नहीं हो सकतीं अतःओम्बडसमैन जैसी एक संस्था बनाना आवश्यक है। क्योंकि संसद ही इसकी नियुक्ति करेगी और सत्तारूढ़ दल का इसमें बड़ा हाथ होगा अतः सत्तारूढ़ दल को इसकी नियुक्ति से भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है।

इससे सत्तारूढ़ दल के मंत्रियों तथा सदस्यों और विरोधी दल के नेताओं तथा सदस्यों के सम्मान तथा स्थिति को संरक्षण मिलेगा। मेरे स्वर्गवासी मित्र पंडित ठाकुरदास भार्गव ने प्रयत्न करके लाभ पद अधिनियम को पारित कराया था और उसका बहुत अच्छा परिणाम हुआ। इसी के कारण कांग्रेस के एक ख्याति प्राप्त सदस्य को सरकारी निगमों अथवा आयोगों में महत्वपूर्ण पद सम्हालने के पश्चात अपनी संसद सदस्यता से त्यागपत्र देना पड़ा था। परन्तु फिर क्या हुआ ? वहां जाने के बाद भी अब भी वह एक राजनीतिक नेता हैं तथा अब भी कार्यकारी समिति में हैं। इसलिये इस अधिनियम की भी अपनी सीमायें हैं।

एक समय ऐसा था जबकि हमें प्रधान मंत्री में इतना पूर्ण विश्वास था कि केन्द्रीय अथवा राज्य मंत्रियों के सम्बन्ध में कोई भी शिकायत होती थी तो हम उसे उनसे करते थे परन्तु दुर्भाग्यवश आज लोगों के उस विश्वास को प्रधानमंत्री महोदय ने स्वयं खो दिया है क्योंकि वे इस समस्या को पक्षपातरहित तथा प्रभावी ढंग में हल करने में असफल रहे हैं। इसलिये अब ऐसा समय आ गया है जबकि संसद् को सत्तारूढ़ दल तथा विरोधी दलों की सहायता से एक ऐसी संस्था बनानी चाहिये जो कि प्रधान मंत्री तथा प्रत्येक संसद् सदस्यों की प्रसिद्धि को बनाये रखते हुए स्वयं प्रधान मंत्री महोदय की कार्यवाहियों की भी जांच कर सके।

यदि सारे देश के लिये एक ओम्बडसमैन जैसी संस्था बनाने में देश के महान आकार की समस्या सामने आये तो, जैसाकि मेरे माननीय मित्र ने सुझाव दिया है, हम प्रत्येक राज्य के लिये अलग अलग एक ऐसी संस्था बना सकते हैं। पंचायतों की स्थापना से न तो विकेन्द्रीकरण ही हुआ है और न ही भ्रष्टाचार कम हुआ है परन्तु इस के विरुद्ध पंचायतों के चुनावों तथा प्रबन्ध आदि में भ्रष्टाचार के ग्रन्थिकेश दिल्ली से प्रत्येक गांव तक फैल गई हैं। सामुदायिक विकास तथा पंचायती राज आदि जैसी योजनाओं से जो सहकारी संस्थाओं और इस प्रकार की अन्य संस्थायें स्थापित की जा रही हैं और सरकार केवल अपने ग्रन्थिकेशों को फैला रही है और सरकार का नियंत्रण बढ़ता जा रहा है और इसलिए ओम्बडसमैन जैसी संस्था के स्थापित किये जाने की ओर भी अधिक आवश्यकता है जिससे कि प्रजातांत्रिक, स्वतंत्र, राजनीतिक, गैर-राजनीतिक तथा सामाजिक संस्थाओं के प्रभारी व्यक्तियों की कार्यवाहियों पर, उनकी ख्याति को बनाये रखते हुए, नियंत्रण तथा निरीक्षण रखा जा सके। केवल तभी लोक जीवन की पुनः वह स्थिति आ सकेगी जोकि महात्मा गांधी के समय में थी जबकि यह कहना गर्व की बात मानी जाती थी कि हम सार्वजनिक कार्यकर्ता और राजनीतिज्ञ हैं। दुर्भाग्यवश आज सरकार की असफलता और इन सब बातों के कारण जिसे व्यक्ति के लिये सार्वजनिक कार्यकर्ता और राजनीतिज्ञ होना बहुत खतरनाक हो गया है जिसे कि वास्तव में अपनी ख्याति का ध्यान है।

Shri Sidheshwar Prasad (Nalanda) : I support with my amendments the important resolution moved by hon. Member Dr. Singhvi.

The corruption has taken a widespread and serious shape in our country but it is not a new thing in a developing economy and to solve this problem. We will have to adopt different measures than those adopted in England, America, France etc. since the conditions prevailing in those countries were different in many respects at that time.

For the success of democracy in our country it is essential to appoint such a person who may be empowered to institute an enquiry against anyone accused for corruption, irrespective of letter's staters' either as a Minister a high official or a Judge of any Court.

This problem cannot be solved merely by appointing-Lok Ayuktas or various Lok Ayukta at State levels. But, besides this, we will have to take positive steps for gearing the administration.

In addition to delays in the working of administration resulting in an increase in corruption, the national character of our people is so low that it creates many other problems difficult to be solved. It will therefore, be better that, rather than appointing any other person, a Lok Ayukta is

[Shri Sidheshwar Prasad]

appointed by Parliament for its ternures for equiring corruption cases. It will not only expedite the settlement of such cases but will also win the confidence of people in Parliament and democracy.

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

Mr. Speaker in the Chair

Many corruption and such other cases are discussed in the House, but no action is taken in those matters to our expectations. In order to win the firm faiths of people in democracy and to get their good representatives elected to Parliament, the Parliament may act as a supreme authority for considering such cases. It will have far reaching effects if Lok Ayukta is appointed by unaminous vote of Lok Sabha. While appointing Lok Ayukta and other authorities in the adminstrative set up and public services we will also have to borne in mind the ways by which we can succeed in creating a suitable atmosphere for democracy.

In this connection report of the Santhanam Committee may also be seen wherein while, on the one hand, they have pointed out towards the widespread corruption in high officials, Ministers and political workers, on the other, they have also invited our attention towards the fact that great industrialists, capitalists and their institutions like Chambers of Commerce and Industries, are responsible for this corruption to some extent since they have flatly refused to cooperate is any way to root out corruption from the country. This aspect of the problem may also be considered.

Another important thing is that no solution to this problem can be found unless the national character of our citizens, our people at large, is raised. Generally it happens that some sort of complaints are lodged against a high official and his substitute after former's transfer. Such things are to be avoided by raising the national character.

With these words I support the resolution and request the hon. Home Minister to consider the views expressed by many hon. Members in this House for finding out some solution to eradicate corruption.

श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी (केन्द्रपाड़ा) : मैं इस संकल्प के लिये डा० सिंघवी को बधाई देता हूं। अब वह समय जाता रहा है जब भ्रष्टाचार का आरोप द्वेष के कारण लगाया गया माना जाता था। राजनीतिक तथा प्रशासनिक जीवन में भ्रष्टाचार व्याप्त होने के कारण हमारे जीवन का प्रत्येक पहलू दूषित है। यह दलगत प्रश्न न होकर राष्ट्रीय समस्या है। सत्तारूढ़ दल का कर्तव्य है कि वह प्रशासन को कुशल एवं शुद्ध रखने के लिये कोई व्यवस्था करता। परन्तु वह इस में असफल रहा है। सम्पूर्ण शक्ति पूर्णतया भ्रष्ट कर देती है।

हमारे देश की परम्परा के अनुसार महात्मा गांधी ने निस्वार्थ सेवा की प्रमुखता मानी है। उन्होंने धन की अपेक्षा आत्मिक प्रोत्साहन के महत्व पर बल दिया है। इसी कारण उन्होंने विदेशियों से देश को मुक्त कराने और सब के लिये समान अवसर देने वाले समाज का संगठन करने का आंदोलन चलाया। हम सब प्रजातंत्र एवं विशुद्ध समा प्रशासन चाहते हैं। इस के लिये फुटकर प्रयत्न तो हुए हैं। गृह मंत्री ने सतर्कता आयोग बनाया है। परन्तु इन से उद्देश्य पूरा नहीं होगा। यह आयोग पूर्णतः स्वतंत्र होना चाहिये और इस को सब से बड़े अधिकारी एवं मंत्री तथा व्यक्ति के विरुद्ध जांच

करने का अधिकार प्राप्त होना चाहिये। केन्द्रीय सतर्कता आयोग केवल सरकारी अधिकारियों के सम्बन्ध में है। अतः वह उतना काम सफलतापूर्वक करने मे असमर्थ है। हमें इस संकल्प को यह कह कर अस्वीकार नहीं करना चाहिये कि स्कैंडेनेविया देश छोटे हैं, अतः वहां यह संभव है। जब यह छोटे देश के लिये लाभदायक हो सकता है तो हम अपने देश में भी इस का लाभ अच्छी तरह उठा सकते हैं। हमें अपने देश में इस प्रबंध को यशस्वी बनाने का प्रयत्न करना चाहिये। यदि संसद सिफारिश करे और राष्ट्रपति इस प्राधिकारी को नियुक्त करे तो संसद उस प्राधिकार के लिये वचनबद्ध हो जायगा और उस के द्वारा देश के सभी दल तथा जनता इस आयोग के उद्देश्य को सफल बनने के लिए वाग्बद्ध होंगे। उस अधिकार में जनता में पूर्ण विश्वास होना चाहिये कि उन की शिकायत की जांच होगी। उस आयोग को प्रशासनिक अनियमितताओं की जांच का भी अधिकार होना चाहिये। देश में यह धारणा बनी हुई है कि कांग्रेस दल और प्रशासन में कोई अन्तर नहीं है। सेवाओं में सभी जगह नवयुवक और कुशल अधिकारी हैं, परन्तु सब लोग जानते हैं कि प्रशासन में ईमानदार लोगों को कोई स्थान नहीं है। उस की अपील को कोई नहीं सुनता। हमें अपनी आंख मूंद कर नहीं रखनी चाहिये। सन्थानम समिति ने कुछ उपायों का सुझाव दिया है कि एक राष्ट्रीय तालिका होनी चाहिये। यह प्रजातंत्र में बहुत स्वीकार्य उपाय है। यदि इस संकल्प को इस रूप में स्वीकार करने को तैयार नहीं है तो उसे आश्वासन देना चाहिये कि वह इसी प्रकार का एक प्राधिकार नियुक्त करेगी।

श्री वि० चं० चटर्जी (वर्दवान) : देश में प्रशासन में भ्रष्टाचार व्याप्त है और अनेक प्रकार की अनियमिततायें तथा शक्तियों के दुरुपयोग की शिकायतें प्रति दिन आती रहती हैं। न केवल सरकारी कर्मचारियों एवं मंत्रियों के द्वारा ही भ्रष्टाचारपूर्ण उपाय अपनाये जाने के आरोप लगाये जाते हैं। यदि इस संकल्प को स्वीकार कर लिया जाय तो निश्चय ही देश के अन्दर उत्तम प्रशासन व्यवस्था हो सकेगी। इस संकल्प को स्वीकार कर के संसदीय प्रजातंत्र की रक्षा की जा सकती है और प्रजातंत्र दृढ़ होगा। जनता की अनेकानेक शिकायतों को दूर करने एवं प्रशासन को ईमानदार तथा विशुद्ध बनाने के निमित्त इस प्राधिकार से जनता को संतोष प्राप्त हो सकेगा।

यह कहना गलत है कि केवल स्कैन्डिनेविया के छोटे देशों में ही ओमडसमैन की इस प्रणाली को सफलतापूर्वक अपनाया गया है। मुझे मालूम है कि पोलैंड एवं न्यूजीलैंड में भी यह प्रयोग सफल रहा है। मैं इगलैंड गय था और श्री डी० एस० प्रिट से मेरी मुलाकात हुई थी। उन्होंने कहा मास्को में प्रोक्योरेटर जनरल का दफ्तर देखना। मैंने वहां इसके बारे में जानकारी प्राप्त की और मुझ सन्तोष हुआ कि वहां यह प्रणाली बड़ी सफल रही है और तानाशाही राज्य में भी प्रजातंत्रात्मक अधिकारों की रक्षा करती है।

लोक आयुक्त का प्राधिकार बहुत श्लाघनीय कार्य करता है। इसको प्रयोग में लाने की जरूरत है। सन्थानम समिति ने 'राष्ट्रीय तालिका' बनाने की सिफारिश की है। परन्तु मैं कह सकता हूं कि उसकी अपेक्षा यह 'ओम्बुडलमैन प्रणाली' कहीं अधिक यशस्वी तथा सफल हो सकती है। राष्ट्र में व्याप्त भ्रष्टाचार तथा कुप्रबन्ध एवं प्रशासनिक अनियमितताओं को दूर करने के लिये इस प्रणाली की उपयोगिता सर्वमान्य है। ब्रिटेन के कानूनदानों ने इसकी भूरी भूरी प्रशंसा की है। भारतीय विधि संस्था के डा० एम० पी० जैन ने इस प्रणाली पर उत्तम लेख लिखा है; मंत्री जी उसको पढ़ें। २६ आरोपित मामलों में से २० में लोगों को इन्साफ मिला है और शेष छः मामलों की जांच हो रही है।

[श्री वि० चं० चटर्जी]

गृह मंत्री भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिये उत्सुक हैं। परन्तु उनकी दो वर्ष में इसको समाप्त करने की बात समझ में नहीं आती। मंत्रियों तथा राजनीतिज्ञों पर भी लोगों को सन्देह है। मैं नहीं समझता कि सतर्कता आयोग पूर्णतया प्रभावी हो सकेगा। इसके स्थान पर लोक आयुक्त का प्राधिकार सफल हो सकेगा। ६० प्रतिशत मामलों का निपटारा मंत्री से नीचे के पदों पर होता है, अतः शक्ति के दुरुपयोग की गुंजाइश अधिक है। हमें पूर्ण ईमानदार व्यक्ति को इस प्राधिकार में रखना चाहिये। इस संकल्प को स्वीकार कर लिया जाये।

Shri Sinhasan Singh (Gorakhpur) **:** Gandhi Ji rembrked that he was against politics devoid of Dharma. Even after 17 years of altainment of independence we do not find things in an improved condition, rather the situation has gone from bad to worse.

The idea under lying this resolution in welcome and praiseworthy. It has to be seen whether this system of omludsman can be successfully implemented in one country or not. Looking on the circumstances in which we are working its working is doubtful because the fundamental rights provided in the constitution provide certain safeguards to the public servants. As the law exists at the moment, routing out corruption is difficult, if not impossible. The Govt. will have to examine, if they are anxious to root out corruption, as to which of the laws are hindrance in the way of putting an end of corrupt practices. Once found those laws should be abolished or suitably amended so as to make them more effective. As such articles 311 and 314 of the constitution merit deletion. The Prevention of corruption Act 1948 has proved unless, prosecution cannot be launched against any people. Cases are not put up in courts against so many officials under the existing rules and regulations. This difficulty should be removed by suitable enactment.

I am of the opinion that there should be a Code of Conduct to be followed by legislators and Govt. should bring forward the same. Legislators should be required to declare their personal properties as also family properties acquired by them. If this is done there will be no room to suspect them and it will serve as a good ideal for the Govt. officials to follow. This will enable the Legislators to enjoy confidence of the public. In the absence of such a code there is scope for suspecting Legislators and the disease spreads further and the Govt. officials also do not care for any Codes of Conduct on their part. Govt. should realise this and this is high time when such an arrangement should be made. In a democratic set up we should clean our administration so that confidence of the public may remain unshattered.

श्री श० ना० चतुर्वेदी (फिरोजाबाद) : मैं डा० सिंघवी के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं। जब सारा वातावरण ही भ्रष्टाचार से पूर्ण है, हम कैसे आशा कर सकते हैं कि सरकारी कर्मचारी उससे अछूते रह सकते हैं। यही बात संसद सदस्यों, मंत्रियों और अन्य लोगों के बारे में भी लागू होती है।

देश इस समय जिन त्रुटियों एवं दोषों के कारण नुकसान का भागी हो रहा है, वे दोष हमारे जीवन के प्रायः सभी क्षेत्रों एवं पहलुओं में व्याप्त भ्रष्टाचार के कारण जन्म लेते हैं ऐसा कोई तंत्र हमारे देश में नहीं है, जिसके पास लोग अपनी शिकायतें पेश कर सकें और उनका निदान करवा सकें। आम आदमी को न्याय नहीं मिलता, क्योंकि न तो उसके पास साधन हैं और न ही न्याय करने वाले लोग उनकी परवा करते हैं, क्योंकि उनको ऊपर के किसी तंत्र या प्राधिकार का डर नहीं है।

शिकायत होने पर भी उनको दण्ड नहीं मिलता, फिर वे क्यों परवा करें ? संसदीय प्रणाली इतनी पेचीदा है कि जनता की शिकायतें हल ही नहीं हो सकतीं। ऐसी अवस्था में यह परमावश्यक है कि कोई ऐसा व्यक्ति या प्राधिकार अथवा न्यायधिकरण नियुक्त किया जाए, जो दलगत या पक्षपातपूर्ण भावों से सर्वथा अछूता हो और उसके पास साधारण व्यक्ति जाकर अपनी कठिनाई व्यक्त कर क और वह उसकी शिकायत को हल कर सके। यह ठीक है कि प्रशासनिक सुधार होने चाहियें और सरकार को उसकी ओर ध्यान देना चाहिये । परन्तु उसके बावजूद 'ओम्बुडसमैन' प्रणाली की आवश्यकता कम नहीं होती। यह प्रणाली प्रजातंत्र में जनता का विश्वास बनाये रखने की दृष्टि से तथा जनता की कठिनाइयों को दूर करने एवं प्रशासनिक सुधारों को बनाये रखने के लिये जरूरी है। ऐसा कोई प्राधिकार अवश्य ही होना चाहिये जो लोगों की शिकायतों को स्वतंत्र एवं निष्पक्ष रूप से सुने और उनको हल करे ।

मैं इस संकल्प का स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि सरकार इसको स्वीकार करेगी और देश के भ्रष्टाचार को मिटाने के लिये सख्त कार्रवाई करेगी ।

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर) : मैं डा० सिंघवी के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं और इसको सभा के प्रत्येक सदस्य का समर्थन प्राप्त है। यह वांछनीय एवं परमावश्यक है ।

अध्यक्ष महोदय : मैं साधारणतया इतने लम्बे संकल्प की अनुमति नहीं देता ।

श्री स० मो० बनर्जी : आज देश की स्थिति यह है कि न केवल सरकारी कर्मचारियों अपितु विधायकों और मंत्रियों की ईमानदारी पर भी सन्देह किया जाता है। राज्यों के कई मुख्य मंत्रियों और कुछ केन्द्रीय मंत्रियों पर भ्रष्टाचार के गम्भीर आरोप लगते हैं। इस बात की आवश्यकता है कि जांच पड़ताल के लिये भ्रष्टाचार के सभी मामले महान्यायवादी को सौंपे जाएं। भ्रष्टाचार ऐसा रोग है कि जब तक इसे ऊपरी स्तर से समाप्त नहीं किया जाएगा, यह समाप्त नहीं होगा। हमें यह आशा नहीं करनी चाहिये कि केवल नीचे के स्तरों पर भ्रष्टाचार समाप्त करके यह रोग समाप्त हो जाएगा, क्योंकि इसकी प्रेरणा ऊपर फैले भ्रष्टाचार से मिलती है। अतः पहले उसको समाप्त करने की जरूरत है। बख्शी के शासन काल में दिल्ली और पंजाब ७०० मार्ग पर्मिट ऊंचे राजनीतिज्ञों को और बड़े लोगों को दिये गये। दिल्ली में कारों सामुदायिक विकास विभाग की कारों की नीलामी का भी गोलमाल सुना और एक मंत्री ने ८०,००० कार खरीदी। उड़ीसा के मुख्य मंत्री के विरुद्ध भी आरोप हैं। ऐसे सभी मामलों की जांच होनी चाहिये। दिल्ली में एक उपमंत्री के विरुद्ध आरोप महान्यायवादी को सौंपे गये, तो मुख्य मंत्रियों के विरुद्ध आरोप भी महान्यायवादी को दिये जाने चाहियें ।

इस संकल्प को स्वीकार कर लिया जाना चाहिये ताकि देश का प्रशासन भ्रष्टाचार से मुक्त किया जा सके और जनता को राहत मिले ।

Shri Yashpal Singh (Kairana) : I congratulate Dr. Singhvi for bringing this resolution. I request the govt. not to reject it. Public and the Govt. both require setting up of such an institution.

I am sure that by accepting the resolution democratic set up and administration of law will be strengthened. It will help in rooting out corruption and clearing administration and giving redress to the grievances of the public. I would suggest that an independent authority should be set up for looking

[Shri Yashpal Singh]

after politicians. There should also be framed a code of conduct for Ministers Legislators and politicians. It should be the duty of the proposed authority to see that the code of conduct is observed strictly. We have to give due importance to moral values in the administration. So long as the Govt. takes concrete steps to eradicate corruption, it cannot be rooted out. In Japan the Home Minister had to resign because a person was stabbed. In England the Prime Minister had to resign on account of Miss keeler episode. But in India we daily see number of such incidents and no minister resigns. This is a sorry state of affairs there is need of an authority before whom we may speak fearlessly. With a view to put an end to bureaucracy the establishment of such an institution is most desirable.

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री हाथी) : यह महत्वपूर्ण संकल्प है, मैं इसको समझता हूं । इस पर की गई चर्चा बड़ी उपयोगी है ।

मैं माननीय सदस्य को आश्वासन देता हूं कि हमने इस संकल्प को किसी बुरी भावना से नहीं देखा । मैंने इस संकल्प की भावना को स्वीकार कर लिया है । भ्रष्टाचार के उन्मूलन, प्रशासनिक सुधारों और जनता की शिकायतों को दूर करने की बातों पर सरकार ने भी विचार किया है और जब तक सरकार प्रशासन को शुद्ध नहीं रख सकती वह चल नहीं सकती । भ्रष्टाचार के कारणों को देखना है । एक सुझाव राष्ट्रपति को मंत्रणा देने लिये के प्रिवी कौंसिल बनाने का था, दूसरा उच्च अधिकारियों के विरुद्ध शिकायतों की जांच के लिये स्वतन्त्र न्यायाधिकरण बनाने का था । मुख्य न्यायाधीश श्री गजेन्द्र गडकर ने स्वीडन के 'ओम्बुड्समैन' का विचार दिया है । विधि आयोग तथा प्राक्कलन समिति ने भी इसी प्रकार के सुझाव दिये । शिकायतों की जांच के लिये संसदीय समिति का हो सुझाव आया । प्रधान मंत्री ने भी कहा है कि जनता की शिकायतों की जांच करने के लिये और प्रशासनिक सुधार के लिये एक तंत्र स्थापित किया जाना चाहिये ।

सन्थानम समिति की सिफारिशें भी विचाराधीन हैं । सरकार ने सतर्कता आयोग बना दिया है ।

प्रशासनिक सुधारों के लिये गृह मंत्रालय में एक विभाग काम कर रहा है । इस उद्देश्य को किस प्रकार शीघ्रता से प्राप्त किया जा सकता है, यह एक प्रश्न है जिस पर विचार करना है ।

आज नैतिक चरित्र, आचरण संहिता, मंत्रियों, विधायकों, सरकारी अधिकारियों आदि के बारे में विचार व्यक्त किये गये हैं । यह अच्छा है कि राष्ट्रीय चरित्र निर्माण किया जाए और देश का नाम उन्नत हो । जब तक नैतिक एवं राष्ट्रीय चरित्र का निर्माण नहीं होता, प्रशासनिक तंत्र का कोई भी व्यक्ति वर्तमान परिस्थिति में परिवर्तन नहीं ला सकता ।

यह सोचना गलत है कि सभा द्वारा नियुक्त किया गया कोई अधिकारी जादू के डंडे से प्रशासन को शुद्ध कर देगा । क्योंकि इतने बड़े देश में बहुतेरी राजनीतिक प्रवृत्तियां हैं, जो एक दूसरे के विरुद्ध हैं ।

[**उपाध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए]

[MR. DEPUTY SPEAKER *in the chair*]

अतः मुझे प्रसन्नता है कि चरित्र निर्माण के महत्व पर बल दिया गया। मुझे विश्वास है कि सन्थानम समिति की रिपोर्ट की प्रतियां सदस्यों को मिल गई हैं और उन्होंने उनको पढ़ लिया है।

श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी : हमें इसकी प्रतियां नहीं मिली हैं।

श्री हाथी : वे शायद छप रही हैं। छपते ही प्रतियां माननीय सदस्यों को मिल जायेंगी।

उन्होंने संसद्-सदस्यों, राज्य विधान मण्डलों के सदस्यों तथा राजनीतिज्ञों के लिए आचार संहिता का भी उल्लेख किया है जो बहुत महत्वपूर्ण है।

गृह-कार्य मंत्री ने घोषणा की थी कि वह दो वर्षों में भ्रष्टाचार मिटा देंगे। उन्होंने राजनैतिक दलों के नेताओं की एक बैठक बुलाई थी परन्तु वे शायद राजनैतिक कारणों से ऐसी समितियों में काम नहीं कर सकते।

श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी : बैठक के समय कोई ठोस प्रस्ताव नहीं थे। बात केवल केन्द्रीय सदाचार समिति में काम करने की थी। हमने सोचा कि सदाचार बिना राजनैतिक दलों के चल जायेगा।

श्री हाथी : प्रश्न सदाचार शब्द को पसन्द करने या न करने का नहीं है। उद्देश्य तो यह है कि जनता की शिकायतों की जांच की जाए। सन्थानम् समिति ने विभिन्न प्रस्ताव दिये हैं। अब देखना यह है कि वे कहां तक संविधान और देश की परस्थितियों के अनुकूल हैं। इस संकल्प में छः महत्वपूर्ण उद्देश्य दिये गये हैं। भ्रश्टाचार का निवारण, प्रशासनकि भूलों को दूर करना, नागरिकों की स्वतंत्रता सुनिश्चित करना, सरकारी पद्धति के रूप में संसदीय लोकतंत्र की नींव को सुदृढ़ बनाना इत्यादि। ये सब सराहनीय उद्देश्य हैं परन्तु सतर्कता आयोग के भी यही कृत्य हैं। यह आयोग भ्रष्टाचार के मामलों तथा सरकारी कर्मचारियों के विरुद्ध शिकायतों का निपटारा करेगा।

समिति ने सिफारिश की है कि सतर्कता आयोग एक संविहित निकाय हो परन्तु हमने सोचा कि इन सब औपचारिकताओं के पूरा होने की प्रतीक्षा किये बिना कोई न कोई कदम उठा देना चाहिए।

अगला प्रश्न प्रशासन के विरुद्ध नागरिकों की शिकायतों को दूर करने के लिये उपयुक्त व्यवस्था के निर्माण का है। प्रशासनिक सुधार विभाग इसका ब्योरा तैयार करेगा और इस तरह इस संकल्प का दूसरा महत्वपूर्ण उद्देश्य भी सरकार के विचाराधीन है।

जहां तक नागरिकों के अधिकारों का सम्बन्ध है, संविधान के अन्तर्गत उन्हें किसी भी न्यायालय में जाने का अधिकार और अवसर प्राप्त है।

श्री सिंहसान सिंह : नियुक्त करने वाले प्राधिकार की आज्ञा के बिना कोई किसी अधिकारी के विरुद्ध मुकदमा नहीं चला सकता।

श्री हाथी : मैं किसी अधिकारी के विरुद्ध मुकदमा चलाने की बात नहीं कर रहा हूं । माननीय सदस्य शायद संविधान के अनुच्छेद ३११ के बारे में सोच रहे हैं।

श्री सिंहासन सिंह : भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा ६ ।

श्री हाथी : ये प्रशासनिक मामले हैं । कुछ कानूनी कठिनाइयां हैं जिन्हें दूर करना है । इस संकल्प के महान उद्देश्यों से हर कोई सहमत होगा परन्तु प्रश्न यह है कि व्यवस्था किस प्रकार की हो । क्या दोनों सदनों द्वारा एकमत से नियुक्त किया गया आम्बुड्समैन उपयुक्त रहेगा? उसमें आपत्ति यह है कि एक व्यक्ति सारे मामलों को निपटा नहीं सकेगा । उसका उत्तर यह है कि प्रत्येक राज्य में हम ऐसा व्यक्ति रख सकते हैं जिसकी नियुक्ति अलग अलग विधान मण्डल द्वारा होगी। हमें व्याबहारिक दृष्टि से देखना है कि देश में अलग अलग मानक, निर्णय और संहितायें हों या एकरूप व्यवस्था हो । इन सारी बातों पर विचार करके देश की परिस्थितियों के अनुकूल कोई प्रणाली हमने तैयार करनी है । ऐसा असंभव नहीं है परन्तु मैं समझता हूं कि यह व्यावहारिक नहीं होगा । मैं संकल्प में दिये गये सिद्धांतों की सराहना करता हूं परन्तु मेरा विचार है कि इस समय यह व्यवहार्य नहीं होगा । सन्थानम समिति की रिपोर्ट भी अब सभा के समक्ष है । उस पर विचार करने के बाद सभा देश के हित में जो भी निर्णय लेगी सरकार को उस पर कोई आपत्ति नहीं होगी । अतः मैं माननीय सदस्य से प्रार्थना करता हूं कि वह अपना संकल्प वापिस ले लें ।

डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी : उपाध्यक्ष महोदय, मैं चर्चा में भाग लेने वाले सदस्यों तथा गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री का आभारी हूं । मैं यह दावा नहीं करता कि आम्बुड्समैन से भ्रष्टाचार तथा सभी प्रशासनिक कुरीतियां समाप्त हो जायेंगी । बड़े बड़े संसद्-सदस्यों ने मेरे संकल्प में अन्तर्विहित अभिप्राय का समर्थन किया है और केवल इसी को देखते हुये सरकार को यह संकल्प स्वीकार कर लेना चाहिये । मुझे खेद है कि मंत्री महोदय ने इसे स्वीकार नहीं किया । मैं उनसे अपील करता हूं कि वह संकल्प के प्रथम भाग में दिये गये सिद्धांतों को मान लें कि जनता की शिकायतों को दूर करने तथा संसदीय लोकतंत्र को बनाए रखने के लिये एक संस्था बनाने के हेतु सरकार उपयुक्त विधान बनाये।

बीसवीं शताब्दी के मध्यकाल में सामाजिक तथा राजनैतिक संगठनों की जटिलताओं को देखते हुये आम्बुड्समैन संसदीय लोकतंत्र के लिये अत्यावश्यक है । प्रशासन की संचालन प्रक्रियाओं तथा संगठनात्मक ढांचे में हम बहुत से दोष देखते हैं जिनके निराकरण के लिये किसी संस्था के बारे में सोचना हमारे लिये जरूरी है । जब तक जनता की शिकायतों को सुनने और दूर करने के लिये कोई संस्था नहीं होगी, संविधान में लोगों को दिये गये अधिकार और स्वतंत्रता अस्पष्ट रहेंगे । आम्बुड्समैन से लोगों में अधिक विश्वास पैदा होगा तथा प्रशासन में सुधार आयेगा जिससे हमारे समाज के आदर्श और ध्येय पूरे हो सकेंगे।

मेरा मुख्य प्रयोजन इस संकल्प के विषय की ओर सारे देश तथा इस सभा का ध्यान केन्द्रित करना था । यदि माननीय मंत्री स्पष्ट शब्दों में यह आश्वासन दें कि शीघ्र ही जनता की शिकायतें दूर करने वाली संस्था बनाई जायेगी और वह संकल्प

के आधारभूत सिद्धान्त को मानते हैं तो मैं इसे यहीं छोड़ने को तैयार हूं क्योंकि सारा सदन आम्बुड्समैन के पक्ष में है।

उपाध्यक्ष महोदय : क्या मंत्री महोदय ऐसा आश्वासन देने को तैयार हैं ?

श्री हाथी : मैंने जो कहना था कह दिया है। हम मूलभूत सिद्धान्त को मानते हैं। प्रश्न यह है कि कैसी व्यवस्था हो। हो सकता है कि आम्बुड्समैन की बजाय कुछ और व्यवस्था हो। अतः मैं ऐसा आश्वासन नहीं दे सकता।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा श्री सिद्धेश्वर प्रसाद का संशोधन मतदान के लिये रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ।

The amendment was put and negatived.

संकल्प सभा की अनुमति से वापिस लिया गया।

The Resolution was by leave withdrawn.

आय में असमानता के बारे में संकल्प

RESOLUTION RE: DISPARITY IN INCOME

Shri B. P. Yadava (Kesaria) : Sir, I beg to more :

"This House is of opinion that Government should appoint a Committee of Members of Parliament and economic experts to review the progress made towards the reduction of disparity between the lowest and highest income to the order of 1 : 30 over the next two or three Plan periods."

Sir, I am moving this resolution in the wider interest of the country which has teken the pledge to establish Socilistic Society. Even the Directive Principles of our constitution are clear about the removal of disparity in income:

> "राज्य अपनी नीति का विशेषतया ऐसा संचालन करेगा कि सुनिश्चित रूप से आर्थिक व्यवस्था इस प्रकार चले कि जिससे धन और उत्पादन साधनों का सर्वसाधारण के लिये अहितकारी केन्द्रण न हो।"

The same objective has been reiterated in the Second Five Year Plan which, in brief, states :

> "उच्चतर स्तरों पर धन तथा आय के केन्द्रण को कम करके तथा नीचे के स्तरों पर आय को बढ़ा कर आय की असमानताओं में कमी लाना द्वितीय पंचवर्षीय योजना के चार उद्देश्यों में से एक है।"

The Third Plan goes a step further and emphasises that a reasonable range of incomes after tax would be about thirty times the average family income and this goal would be achieved during the next two or three Plan periods.

The present trends do not indicate that we are leading towards that goal. The fact, on the other hand, is that disparity is increasing day by day and economic powers are concentrating despite our phased plans and fundamental rights. Is it not a fact that the poor are becoming poorer and the rich richer. A reply to this question is essential to gain public confidence. The hon. Finance Minister must look into the causes why, despite planned development, all our efforts to reduce the disparity in incomes are being drainpiped.

[Shri B. P. Yadava]

It is a welcome measure to appoint a Monopolis Commission and the Finance Minister deserves our thanks for this wise step.

It is improper that extracts from the report of Mahalanobis Committee should have appeared in the press before its being presented to the House. The extracts, however, reveal that the disparity in incomes has widened and our Plans have added to it. The report clearly mentions.

"इसमें सन्देह नहीं कि भारत में बड़े कारोबार को सुविधा तथा सहायता देकर हमारी योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था ने धन के केन्द्रण को प्रोत्साहन दिया है ।"

The reason stated is that the industrial Finance Corporation and National Industrial Cerporation has given more aid to big industries and companies which had added to the wealth of big industrialists. The Govt. should see that its policies should not hamper the growth of small scale industries.

Then Committee adds :

"सरकार द्वारा किये गये सभी उपायों के बावजूद गैर-सरकारी क्षेत्र में आर्थिक शक्ति का केन्द्रण बहुत अधिक हो गया है ।"

Its cause, as given by the Committee, is defective strategy of our planning. The disparity in income can be judged from some figures given by Prof. Mahalanobis. In 1961, 86 per cent companies had a paid-up capital of 14.6 per cent only while 53 per cent of the total capital was in the hands of only 1.6 per cent companies. This yawning disparity can prove to be dengerous for the country.

As far disparity in income in rural areas, the statistics of Sample Survey reveal that in 1953-54 top one per cent families owned 17 per cent of the total land in the country, five per cent owned 41 per cent of land, ten per cent possessed 58 per cent and twenty per cent had no land at all. That shows the magnitude of disparity. Unless some attention is paid towards this, it is imposible to ameliorate the lot of millions of farmers and workers.

A policy of regulation is of paramount importance today. The Plan programmes should be reviewed minutely at different stages so that we could know of loopholes in time and try to plug them.

If the Income tax department were to make proper assesment of taxes and detect hidden wealth, it would have reduced the disparity in income to some extent. Similarly, if the licensing policy is rightly implemented with a view to break the monopolistic hold of a few individuals on industry, it would be yet another step in that direction.

That is why I want that a Committee of Members of Parliament and economic experts should be appointed to see why disparity in income is increasing instead of decreasing and whether it is due to the fact that the machinery which is to implement the Plans is deset with defects and drawbacks.

Mr. Deputy Speaker : Are you concluding?

Shri B. P. Yadava : I would like to continue next time.

इसके पश्चात् लोक-सभा शुक्रवार, २४ अप्रैल, १९६४/४ वैशाख, १८८६ (शक) के ग्यारह बजे तक के लिये स्थगित हुई ।

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the clock on Friday the 24th April, 1964/Vaisakha 4, 1886 (Saka.)

GMGIPND—LS III—635(Ai) LS—7-7-64—600.